

# भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए



संघ सरकार  
राजस्व विभाग  
(अप्रत्यक्ष कर - केंद्रीय उत्पाद शुल्क)  
2017 का प्रतिवेदन संख्या 42

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का  
प्रतिवेदन**

**मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए**

**संघ सरकार  
राजस्व विभाग  
(अप्रत्यक्ष कर - केंद्रीय उत्पाद शुल्क)  
2017 का प्रतिवेदन संख्या 42**

----- को लोक सभा/राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया

## विषय सूची

विषय	पृष्ठ
प्राक्कथन	(i)
कार्यकारी सार	(iii)
<b>अध्याय I: केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रशासन</b>	<b>1-25</b>
1.1 संघ सरकार के संसाधन	1
1.2 अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति	2
1.3 संगठनात्मक ढाँचा	3
1.4 अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि - प्रवृत्ति एवं संयोजन	4
1.5 अप्रत्यक्ष कर - सापेक्ष योगदान	5
1.6 केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि - प्रवृत्ति एवं संयोजन	5
1.7 उपयोग किए गए सेनवैट क्रेडिट की तुलना में केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां	6
1.8 प्रमुख वस्तुओं से केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व	7
1.9 कर आधार	9
1.10 बजट प्राक्कलन बनाम वास्तविक प्राप्तियां	10
1.11 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत छोड़ा गया केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व	10
1.12 केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बकाया	12
1.13 अपवंचन रोधी उपायों के कारण वसूल किया गया अतिरिक्त राजस्व	13
1.14 केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा	14
1.15 अधिनिर्णय	15
1.16 प्रतिदाय दावों का निपटान	15
1.17 कॉल बुक	17
1.18 अपील मामले	18
1.19 संग्रहण की लागत	20

	<b>विषय</b>	<b>पृष्ठ</b>
1.20	आंतरिक लेखापरीक्षा	21
1.21	विभागीय प्रयासों के कारण राजस्व संग्रहण	22
1.22	लेखापरीक्षा प्रयास और केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा उत्पाद-अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	24
1.23	प्रतिवेदन विहंगावलोकन	24
1.24	सीएजी की लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का राजस्व प्रभाव/अनुवर्ती कार्यवाही	24
<b>अध्याय II : प्लास्टिक और उसके उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क का उदग्रहण और संग्रहण</b>		<b>27-51</b>
2.1	प्रस्तावना	27
2.2	लेखापरीक्षा उद्देश्य	28
2.3	कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा कवरेज	28
2.4	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	29
2.5	निष्कर्ष	51
<b>अध्याय III : तम्बाकू उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क का उदग्रहण और संग्रहण</b>		<b>53-77</b>
3.1	प्रस्तावना	53
3.2	लेखापरीक्षा उद्देश्य	54
3.3	कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा कवरेज	55
3.4	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	55
3.5	आंतरिक लेखापरीक्षा	62
3.6	विभागीय इकाइयों की लेखापरीक्षा में देखी गई अन्य कमियां	66
3.7	अन्य मामले	73
3.8	निष्कर्ष	76
<b>अध्याय IV : नियमों एवं विनियमों का अननुपालन</b>		<b>79-93</b>
4.1	प्रस्तावना	79

<b>विषय</b>		<b>पृष्ठ</b>
4.2	केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान न करना/अल्प भुगतान	81
4.3	सेनवैट क्रेडिट	87
4.4	अन्य मामले	92
<b>अध्याय V : आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता</b>		<b>95-131</b>
5.1	आंतरिक नियंत्रण	95
5.2	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	95
5.3	आंतरिक लेखापरीक्षा न किया जाना	95
5.4	आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा अवधि का अपूर्ण समावेश	101
5.5	आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारितियों की कमियों का पता न लगाया जाना	104
5.6	विविध मामले	125
<b>परिशिष्ट I</b>		<b>133</b>
<b>परिशिष्ट II</b>		<b>134</b>
<b>परिशिष्ट III</b>		<b>137</b>
<b>शब्दावली</b>		<b>140</b>



## प्राक्कथन

मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में संघ सरकार के राजस्व विभाग-अप्रत्यक्ष कर (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) के अन्तर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम निहित हैं।

इस प्रतिवेदन में उन मामलों, जो 2016-17 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए और साथ ही वे मामले जो पूर्व के वर्षों में देखे गए लेकिन पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके, का उल्लेख किया गया है।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई है।





## कार्यकारी सार

सीएजी के (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 16 सीएजी को भारत की समेकित निधि में देय प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करने तथा यह संतुष्ट करने का अधिकार देती है कि राजस्व के निर्धारण, संग्रहण तथा उचित आवंटन पर प्रभावी जांच करने के लिए नियम तथा प्रक्रियाएं बनाई गई हैं तथा उनका पूर्ण रूप से अनुसरण किया जा रहा है। हमने केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के संवीक्षा, आन्तरिक लेखापरीक्षा आदि से संबंधित कार्यों की जांच की तथा निर्धारितियों के उन अभिलेखों, जो कर गणना का आधार बनाते हैं, का स्थापित तंत्र की मौजूदा प्रभावकारिता की जांच करने हेतु, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्धारित स्व-निर्धारण के इस काल में मौजूदा नियमों तथा प्रक्रियाओंका अनुपालन करते हैं, सत्यापन किया। विभागीय कार्यों तथा निर्धारितियों द्वारा अनुपालन की नियमित लेखापरीक्षा के अलावा, इस वर्ष हमने दो प्रमुख मदों अर्थात् प्लास्टिक तथा उसकी वस्तुओं और तम्बाकू उत्पादों पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) की।

इस प्रतिवेदन में केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर 104 लेखापरीक्षा आपत्तियां हैं जिनका वित्तीय प्रभाव ₹ 665.93 करोड़ है। मंत्रालय/विभाग ने सितम्बर 2017 तक ₹ 343.30 करोड़ के राजस्व वाली 93 लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार की तथा 44 मामलों में ₹ 271.45 करोड़ की वसूली सूचित की। कुछ महत्वपूर्ण आपत्तियां तथा निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:-

### अध्याय I: केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रशासन

- वित्त वर्ष 2016-17 (वि.व. 17) के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण ₹ 3,80,495 करोड़ था तथा वि.व. 17 में अप्रत्यक्ष कर राजस्व का 44.13 प्रतिशत था। वि.व. 16 की तुलना में, वि.व. 17 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व ₹ 93,346 करोड़ (32.51 प्रतिशत) तक बढ़ा। प्रतिबन्धित छूटों के कारण केंद्रीय उत्पाद शुल्क में छोड़ा गया राजस्व वि.व. 17 में ₹ 76,844 करोड़ था जो कुल केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व का 20.20 प्रतिशत था।

(पैराग्राफ 1.6 तथा 1.11)

- वि.व. 16 की समाप्ति पर लम्बित राशि में 18 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए वि.व. 17 की समाप्ति पर अपील में ₹ 1,08,563 करोड़ के राजस्व वाले मामले लम्बित थे। चूंकि जब तक अपील लम्बित है तब तक राजस्व की वसूली के लिए कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की जा सकती, सरकारी कोष में ₹ 1,08,563 करोड़ का संभावित राजस्व ले जाने के लिए विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा शीघ्र निपटान महत्वपूर्ण है।

(पैराग्राफ 1.18)

## अध्याय II: प्लास्टिक और उसके उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क का उदग्रहण और संग्रहण

लेखापरीक्षा ने प्लास्टिक क्षेत्र में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के उदग्रहण, निर्धारण तथा संग्रहण के संबंध में विभाग द्वारा नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुपालन में कमियां देखीं।

- विभाग ने 2013-14 से 2015-16 की समयावधि के दौरान प्लास्टिक की वस्तुओं के विनिर्माण से संबंधित 1,296 मामलों में से फाइल न की गई विवरणियों के 128 (100 प्रतिशत) मामलों तथा विलम्बित फाइल की गई गई विवरणियों के 809 (62.42 प्रतिशत) मामलों में न तो कोई कार्रवाई की न ही कोई शास्ति लगाई थी।

(पैराग्राफ 2.4.3)

- विभाग 2013-14 से 2015-16 की समयावधि के दौरान एसीईएस सिस्टम द्वारा समीक्षा एवं सुधार (आरएंडसी) के लिए चिन्हित 25,898 विवरणियों में से 2,900 (11.20 प्रतिशत) मामलों में आरएंडसी करने में विफल हुआ।

(पैराग्राफ 2.4.4)

- प्लास्टिक निर्माताओं से संबंधित 106 मामलों में, लेखापरीक्षा ने ₹ 4.71 करोड़ के राजस्व वाली विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा तथा अन्य चूकें देखीं। अन्य 190 मामलों में, लेखापरीक्षा ने निर्धारितियों द्वारा ₹ 7.68 करोड़ के राजस्व वाले अधिनियम, नियमों आदि का अननुपालन देखा।

(पैराग्राफ 2.4.7 से 2.4.9 तथ 2.4.11)

- कर दायरे को बढ़ाने के लिए राज्य वाणिज्य कर डाटाबेसों के साथ केंद्रीय उत्पाद शुल्क डाटा का प्रति सत्यापन करने के लिए विभाग द्वारा कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया।

(पैराग्राफ 2.4.10)

### अध्याय III: तम्बाकू उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण और संग्रहण

लेखापरीक्षा ने तम्बाकू उत्पादों से संबंधित अधिनियम/नियमों/अधिसूचनाओं के विशिष्ट प्रावधानों के अनुपालन में कमियां देखी जिन्हे बीडी इकाईयां, जो अधिकतर अनौपचारिक क्षेत्र में प्रचालन करती हैं, द्वारा विवरणियां फाइल करने की पहचान करने तथा इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र की कमी और विभाग द्वारा निर्धारित अभिलेखों के अनुरक्षण के खराब प्रवर्तन तथा सिगरेट इकाईयों की तिमाही जांच न करने के द्वारा दर्शाया गया। पान मसाला तथा चबाने वाले तम्बाकू उत्पादों के मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग, पाउचों के 'माने गये उत्पादन' के अतिरिक्त असामान्य अधिक उत्पादन का संज्ञान लेने में विफल हुआ जिसके कारण राजस्व की हानि हुई। महत्वपूर्ण आपत्तियां निम्नलिखित हैं:

- विभाग ने 2013-14 से 2015-16 तक की समयावधि के दौरान 3,838 मामलों में से फाइल न की गई विवरणियों के 3,822 (99.58 प्रतिशत) मामलों तथा विलम्बित फाइल विवरणियों के 1,480 मामलों में से 901 (60.88 प्रतिशत) मामलों में न तो कोई कार्रवाई की और न ही कोई शास्ति लगाई।

(पैराग्राफ 3.4.1)

- एसीईएस सिस्टम द्वारा समीक्षा एवं सुधार (आरएंडसी) के लिए चिन्हित 46,676 विवरणियों में से विभाग 2013-14 से 2015-16 तक की समयावधि के दौरान 10,071 (21.53 प्रतिशत) मामलों में आरएंडसी करने में विफल हुआ।

(पैराग्राफ 3.4.2)

- उत्पादन क्षमता के आधार पर चबाने वाले तम्बाकू/पान मसाले पर शुल्क के भुगतान के नमूना जांच किए गए 10 मामलों में, लेखापरीक्षा ने ₹ 309.18 करोड़ के राजस्व वाला 'माने गये उत्पादन' से 325 प्रतिशत तक अधिक उत्पादन देखा।

(पैराग्राफ 3.6.3)

- तम्बाकू विनिर्माताओं से संबंधित 40 मामलों में, लेखापरीक्षा ने निर्धारितियों द्वारा ₹ 97.72 लाख के राजस्व वाले अधिनियम, नियमों आदि का अननुपालन देखा।

(पैराग्राफ 3.7)

#### अध्याय IV: नियमों एवं विनियमों का अननुपालन

- लेखापरीक्षा ने ₹ 45.40 करोड़ के राजस्व वाले सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ लेने तथा उपयोग करने, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान न करने/कम भुगतान करने के 44 मामले देखे।

(पैराग्राफ 4.1)

#### अध्याय V: आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता

- लेखापरीक्षा ने विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई आन्तरिक लेखापरीक्षा में कमियों तथा अन्य मुद्दों से सम्बंधित ₹ 279.19 करोड़ के राजस्व वाले 58 मामले देखे।

(पैराग्राफ 5.2)

## अध्याय I केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रशासन

### 1.1 संघ सरकार के संसाधन

भारत सरकार के संसाधनों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिलों के जारी करने से प्राप्त सभी ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋण की वापसी से प्राप्त समस्त राशियाँ शामिल हैं। संघ सरकार के कर राजस्व संसाधनों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की राजस्व प्राप्तियाँ शामिल हैं। नीचे तालिका 1.1 वित्त वर्ष 2016-17 (वि.व.17) तथा वि.व. 16 के संसाधनों का सार दर्शाती है।

तालिका 1.1: संघ सरकार के संसाधन

	वि.व.17	वि.व.16
क. कुल राजस्व प्राप्तियाँ	22,23,986	19,42,353
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ	8,49,801	7,42,012
ii. अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ	8,66,167	7,13,879
iii. गैर-कर प्राप्तियाँ	5,06,721	4,84,581
iv. सहायता अनुदान एवं अंशदान	1,299	1,881
ख. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ <sup>1</sup>	47,743	42,132
ग. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली <sup>2</sup>	40,971	41,878
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ <sup>3</sup>	61,34,137	43,16,950
<b>भारत सरकार की कुल प्राप्तियाँ (क+ख+ग+घ)</b>	<b>84,46,839</b>	<b>63,43,313</b>

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेख। वि.व.17 के आंकड़े अनंतिम हैं।

नोट: अन्य करों सहित प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों और अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों की गणना संघ वित्तीय लेख से की गई है। कुल राजस्व प्राप्तियों में सीधे राज्यों को सौंपे गए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की निवल प्राप्तियों के हिस्से के रूप में वि.व. 16 में ₹5,06,193 करोड़ तथा वि.व. 17 में ₹6,08,000 करोड़ शामिल है।

संघ सरकार की कुल प्राप्तियों में वि.व. 16 में ₹ 63,43,313 करोड़ से वि.व. 17 में ₹ 84,46,839 करोड़ तक की वृद्धि हुई। वि.व. 17 में इसकी अपनी प्राप्तियाँ ₹ 22,23,988 करोड़ थी, ₹ 2,81,635 करोड़ की बढ़ोतरी जो पिछले वर्ष से 14.50 प्रतिशत अधिक थी। इसमें ₹ 17,15,968 करोड़ की सकल कर

<sup>1</sup> इसमें बोनस शेयर का मूल्य, सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों के विनिवेश तथा अन्य प्राप्तियाँ शामिल हैं;

<sup>2</sup> संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली;

<sup>3</sup> भारत सरकार द्वारा आंतरिक के साथ साथ बाह्य उधारियाँ

प्राप्तियां शामिल हैं जिसमें ₹ 8,66,167 करोड़ की अन्य कर सहित सकल अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां थीं।

## 1.2 अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति

यह प्रतिवेदन वि.व. 17 तक के लिए आयोजित लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा इसमें वि.व. 16 तक के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की उगाही एवं संग्रहण सहित उस तारीख तक प्रचलित लेन-देन शामिल हैं जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

**क) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क:** केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भारत में विनिर्मित या उत्पादित माल पर लगाया जाता है। संसद को मानव उपभोग के लिए शराब, अफीम, भारतीय गांजा और अन्य नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों को छोड़कर किन्तु शराब, अफीम इत्यादि वाले औषधीय और प्रसाधन पदार्थों सहित भारत में विनिर्मित या उत्पादित तम्बाकू और अन्य माल पर उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84)।

**ख) सेवा कर:** कर योग्य क्षेत्र में प्रदान की गई सेवाओं पर सेवा कर लगाया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 97)। सेवाकर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी गई सेवाओं पर कर है। वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66बी में प्रावधान है कि नकारात्मक सूची में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को कर योग्य क्षेत्र में दी गई सेवाओं या सेवाएँ देने पर सहमति देने वाली सभी सेवाओं के मूल्य पर 14 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा और इस रूप में वसूल किया जाएगा जैसा निर्धारित<sup>4</sup> किया जाय। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए प्रतिफल हेतु गतिविधि (उनमें छोड़ी गई मदों के अलावा) और उसको घोषित सेवा<sup>5</sup> में शामिल करने के लिए 'सेवा' को वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65बी(44) में परिभाषित किया गया है।

<sup>4</sup> 1 जुलाई 2012 से वित्त अधिनियम 2012 द्वारा सम्मिलित धारा 66बी, धारा 66 डी में मदों की सूची है जो ऋणात्मक सूची से बनी है।

<sup>5</sup> वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66ई घोषित सेवाओं को सूची बद्ध करती है।

**ग) सीमाशुल्क:** भारत में आयातित माल और भारत से बाहर निर्यात होने वाले कुछ माल पर सीमाशुल्क लगाया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 83)।

यह विचारणीय है कि 1 जुलाई 2017 से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पेट्रोलियम व कुछ तम्बाकु पदार्थों के छोड़कर), सेवा कर और राज्यों के लगभग सभी अप्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क के प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) व विशेष अतिरिक्त शुल्क (एस.ए.डी.) घटकों को छोड़कर, माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) में सम्मिलित हो गये हैं।

इस अध्याय में वित्त लेखे, विभागीय लेखे और सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध संबंधित डाटा का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद में प्रवृत्तियों, संयोजन और प्रणालीगत मुद्दों पर चर्चा की गई है।

### 1.3 संगठनात्मक ढाँचा

वित्त मंत्रालय (एमओएफ) का राजस्व विभाग (डीओआर) सचिव (राजस्व) के समग्र निर्देशन तथा नियंत्रण के तहत कार्य करता है और केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित दो सांविधिक बोर्ड नामतः केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के माध्यम से सभी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संघ करों से संबंधित मामलों का समन्वय करता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाने और इसके संग्रहण से संबंधित मामलों की सीबीईसी द्वारा देखभाल की जाती है।

अप्रत्यक्ष कर कानूनों को सीबीईसी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों, कमिश्नरियों, के माध्यम से शासित किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए जीएसटी लागू करने के मद्देनजर पूर्णगठन से पूर्व, देश को मुख्य कमिश्नर की अध्यक्षता में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के 27 जोनों में बांटा गया था। इन 27 जोनों के अंतर्गत 83 समन्वित कार्यकारी कमिश्नरियां, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर से संबंधित हैं, 36 एकमात्र केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यकारी कमिश्नरियां और प्रधान कमिश्नर/कमिश्नर की अध्यक्षता में 22 एकमात्र सेवा कर कार्यकारी कमिश्नरियां हैं। डिवीजन और रेंज अगली संरचनाएं हैं जिनकी अध्यक्षता क्रमशः उप/सहायक कमिश्नर और अधीक्षक द्वारा की जाती है। इन

कार्यकारी कमिशनरियों के अलावा आठ बड़ी करदाता यूनिटें (एलटीयू) कमिशनरियां, 60 अपील कमिशनरियां, 45 लेखापरीक्षा कमिशनरियां और विशिष्ट कार्यों से संबंधित 20 महानिदेशालय/निदेशालय हैं।

1 जनवरी 2017 को सीबीईसी की समग्र संस्वीकृत कार्यबल संख्या 84,875 थी। सीबीईसी का संगठनात्मक ढाँचा परिशिष्ट 1 में दर्शाया गया है।

#### 1.4 अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि - प्रवृत्ति एवं संयोजन

तालिका 1.2 वि.व. 13 से वि.व. 17 के दौरान अप्रत्यक्ष करों में सापेक्षित वृद्धि दर्शाती है।

तालिका 1.2: अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अप्रत्यक्ष कर	जीडीपी	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष कर	सकल कर राजस्व	सकल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष कर
वि.व.13	4,74,728	99,88,540	4.75	10,36,460	45.80
वि.व.14	4,97,349	1,13,45,056	4.38	11,38,996	43.67
वि.व.15	5,46,214	1,25,41,208	4.36	12,45,135	43.87
वि.व.16	7,10,101	1,35,76,086	5.23	14,55,891	48.77
वि.व.17	8,62,151	1,51,83,709	5.68	17,15,968	50.24

स्रोत: कर राजस्व: संघ वित्तीय लेखे (वि.व.17 अंतिम), जीडीपी - सीएसओ<sup>6</sup> का प्रेस नोट

यह देखा गया कि वि.व. 16 की तुलना में वि.व. 17 में अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में थोड़ी वृद्धि हुई और सकल कर राजस्व में इसके योगदान में भी वि.व. 16 की तुलना में वि.व. 17 में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

<sup>6</sup> केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा 31 मई 2017 को जारी जीडीपी पर प्रेस नोट। यह दर्शाता है कि वि.व. 14 और वि.व. 15 हेतु जीडीपी के आंकड़े नई सिरीज प्राक्कलनों के आधार पर हैं; और वि.व. 17 के आंकड़े विद्यमान कीमतों पर अनन्तिम प्राक्कलनों के आधार पर हैं। वि.व. 13 के पीडीपी के आंकड़े आधार वर्ष 2004-05 के वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर हैं। आंकड़ों को सीएसओ द्वारा निरंतर संशोधित किया जा रहा है और यह डाटा वित्तीय निष्पादन के साथ व्यापक आर्थिक निष्पादन की सांकेतिक तुलना के लिये हैं।



## 1.5 अप्रत्यक्ष कर - सापेक्ष योगदान

तालिका 1.3, वि.व. 13 से वि.व 17 तक की अवधि में जीडीपी के संदर्भ में विभिन्न अप्रत्यक्ष कर घटकों का प्रक्षेप वक्र दर्शाती है।

तालिका 1.3: अप्रत्यक्ष कर - जीडीपी की प्रतिशतता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जीडीपी	के.उ.शु. राजस्व	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में के.उ.शु. राजस्व	सेवा कर राजस्व	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सेवा कर राजस्व	सीमा शुल्क राजस्व	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सीमा शुल्क राजस्व
वि.व.13	99,88,540	1,75,845	1.76	1,32,601	1.33	1,65,346	1.66
वि.व.14	1,13,45,056	1,69,455	1.49	1,54,780	1.36	1,72,085	1.52
वि.व.15	1,25,41,208	1,89,038	1.51	1,67,969	1.34	1,88,016	1.50
वि.व.16	1,35,76,086	2,87,149	2.12	2,11,415	1.56	2,10,338	1.55
वि.व.17	1,51,83,709	3,80,495	2.51	2,54,499	1.68	2,25,370	1.48

स्रोत: कर प्राप्तियों के आंकड़े संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे के अनुसार हैं। वि.व.17 के आंकड़े अनंतिम हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान अप्रत्यक्ष करों के बीच जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर में बढ़ती प्रवृत्ति जारी है, जबकि वि.व.17 के दौरान जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सीमाशुल्क राजस्व में कमी हुई यद्यपि मौद्रिक रूप में सभी तीनों करों ने सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है।

## 1.6 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि - प्रवृत्ति एवं संयोजन

तालिका 1.4, वि.व.13 से वि.व.17 के दौरान निरपेक्ष और जीडीपी में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व की प्रवृत्ति दर्शाती है।

तालिका 1.4: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जीडीपी	सकल कर राजस्व	सकल अप्रत्यक्ष कर	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व	सकल कर राजस्व की प्रतिशतता के रूप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व	अप्रत्यक्ष कर के प्रतिशत के रूप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व
वि.व.13	99,88,540	10,36,460	4,74,728	1,75,845	1.76	16.97	37.04
वि.व.14	1,13,45,056	11,38,996	4,97,349	1,69,455	1.49	14.88	34.07
वि.व.15	1,25,41,208	12,45,135	5,46,214	1,89,038	1.51	15.18	34.61
वि.व.16	1,35,76,086	14,55,891	7,10,101	2,87,149	2.12	19.72	40.44
वि.व.17	1,51,83,709	17,15,968	8,62,151	3,80,495	2.51	22.17	44.13

स्रोत: कर प्राप्तियों के आंकड़े संबंधित वर्षों के संघ वित्तीय लेखों के अनुसार हैं। वि.व.17 के आंकड़े अन्तिम हैं।

वि.व.17 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सकल कर राजस्व का 22.17 प्रतिशत एवं अप्रत्यक्ष कर राजस्व का 44.13 प्रतिशत रहा। सकल कर राजस्व के साथ-साथ अप्रत्यक्ष करों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के शेयर में वि.व 14 से थोड़ी वृद्धि हुई है। वि.व.17 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व ₹ 93,346 करोड़ (32.51 प्रतिशत) तक बढ़ गया जो मुख्यतः पेट्रोलियम क्षेत्र से बढ़े राजस्व के कारण था।

### 1.7 उपयोग किए गए सेनवैट क्रेडिट की तुलना में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां

एक विनिर्माता इनपुटों या पूँजीगत माल पर प्रदत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के साथ-साथ, उसके विनिर्माण कार्य से संबंधित इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए सेवा कर के क्रेडिट का लाभ ले सकता है तथा इस प्रकार लिए गये क्रेडिट का उपयोग केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान में कर सकता है।

तालिका 1.5 वि.व. 13 से वि.व. 17 के दौरान व्यक्तिगत बही खाता अर्थात् नगद (पीएलए) तथा सेनवैट क्रेडिट द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण में वृद्धि दर्शाती है।

तालिका 1.5 केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां : पीएलए तथा सेनवैट का उपयोग

(₹ करोड़ में)


वर्ष	पीएलए द्वारा प्रदत्त के.उ.शु.		सेनवैट क्रेडिट द्वारा प्रदत्त के.उ.शु.		पीएलए भुगतान के प्रतिशत के रूप में सेनवैट क्रेडिट से प्रदत्त के.उ.शु.
	राशि#	पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	राशि*	पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	
वि.व.13	1,75,845	21.36	2,58,697	20.88	147.12
वि.व.14	1,69,455	-3.63	2,73,323	5.65	161.30
वि.व.15	1,89,038	11.56	2,91,694	6.72	154.30
वि.व.16	2,87,149	51.90	3,10,335	6.39	108.07
वि.व.17	3,80,495	32.51	3,39,274	9.33	89.17

स्रोत: # संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेख। वि.व.17 के आंकड़े अनंतिम हैं। \* मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

यह देखा गया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व (पीएलए) ने वि.व.14 में नकारात्मक वृद्धि दर्शाई और उसके बाद के सभी वर्षों के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्शाई। पीएलए के माध्यम से प्रतिशत के रूप में सेनवैट क्रेडिट के माध्यम से केंद्रीय उत्पाद शुल्क भुगतान में लगातार गिरावट आई और वि.व.14 में 161.30 प्रतिशत से गिरकर वि.व.17 में 89.17 प्रतिशत रह गया, जोकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान नगद में अधिक होना इंगित करता है।

### 1.8 प्रमुख वस्तुओं से केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व

वि.व.17 के दौरान कुल केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण में पांच प्रमुख वस्तुओं का योगदान 90.07 प्रतिशत था जिसे पाई चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है।



स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

वि.व.13 से वि.व.17 के दौरान इन पांच प्रमुख वस्तुओं से केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण तालिका 1.6 में दर्शाया गया है।

**तालिका 1.6: शीर्ष पांच वस्तुओं से राजस्व**

(₹ करोड़ में)

वस्तुएं	वि.व.13	वि.व.14	वि.व.15	वि.व.16	वि.व.17
पेट्रोलियम उत्पाद	84,188	88,065	1,06,653	1,98,793	2,76,551
तम्बाकू उत्पाद	17,991	16,050	16,676	21,463	19,846
लौह एवं इस्पात	17,603	17,342	15,970	16,632	18,627
मोटर वाहन	10,038	8,363	8,546	14,220	17,166
सीमेंट	10,712	10,308	9,572	10,544	10,522

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा गया कि वि.व.16 के दौरान, पेट्रोलियम क्षेत्र से केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण में ₹ 92,140 करोड़ (86.39 प्रतिशत) की बड़ी वृद्धि हुई थी जिसमें वि.व. 17 में ₹ 77,758 करोड़ (39.12 प्रतिशत) तक और वृद्धि हुई क्योंकि पिछले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क ₹ 9.20 प्रति लीटर से ₹ 21.48 प्रति लीटर तथा हाईस्पीड डीजल पर ₹ 3.46 प्रति लीटर से ₹ 17.33 प्रति लीटर तक बढ़ गया था। पेट्रोलियम उत्पादों के अलावा लौह एवं इस्पात तथा मोटर वाहनों ने भी सकारात्मक वृद्धि दर्शाई जबकि तम्बाकू उत्पादों एवं सीमेंट ने नकारात्मक वृद्धि दर्शाई।

## 1.9 कर आधार

“निर्धारिती” से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो उत्पाद शुल्क योग्य माल का विनिर्माता अथवा उत्पादक है अथवा निजी माल गोदाम, जिसमें उत्पाद शुल्क योग्य माल संग्रहीत किया जाता है, का पंजीकृत व्यक्ति है तथा ऐसे व्यक्ति का प्राधिकृत एजेंट भी शामिल है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करने को दायी है। एक एकल कानूनी सत्त्व (कम्पनी अथवा व्यष्टि) की बहु निर्धारिती विनिर्माण इकाईयों के आधार पर पहचान हो सकती है। तालिका 1.7 केंद्रीय उत्पाद शुल्क के साथ पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या का डाटा दर्शाती है:

तालिका 1.7: केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कर आधार

वर्ष	पंजीकृत निर्धारितियों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	निर्धारितियों की संख्या जिन्होंने विवरणी फाइल की	पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	निर्धारितियों की प्रतिशतता जिन्होंने विवरणी फाइल की
वि.व.13	4,09,139	-	1,61,617	-	39.50
वि.व.14	4,35,213	6.37	1,65,755	2.56	38.09
वि.व.15	4,67,286	7.37	1,72,776	4.24	36.97
वि.व.16	4,98,273	6.63	1,83,501	6.21	36.83
वि.व.17	5,27,534	5.87	1,91,197	4.19	36.24

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा गया कि सभी पांच वर्षों के दौरान पंजीकृत निर्धारितियों की संख्या में वृद्धि हुई है। तथापि विवरणी फाइल करने वाले निर्धारितियों की संख्या में वृद्धि पंजीकृत निर्धारितियों की संख्या में वृद्धि के अनुरूप नहीं थी। इसके अलावा वि.व.17 में केवल 36.24 प्रतिशत निर्धारितियों ने विवरणी फाइल की। इस संदर्भ में इसे इंगित किया जाना प्रासंगिक होगा कि पंजीकृत निर्धारितियों से संबंधित डाटा तथा इस वर्ष के लिए मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत वि.व.13 से वि.व.16 के लिए फाइल की गई विवरणियों का डाटा मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष प्रस्तुत डाटा और 2017 के सीएजी के प्रतिवेदन संख्या 3 में सूचित डाटा के समनुरूप नहीं हैं। निर्धारितियों और विवरणियों से संबंधित डाटा की

शुद्धता और विवरणी फाइल न करने वाले निर्धारितियों की उच्च प्रतिशतता मंत्रालय के लिए चिंता का विषय है।

### 1.10 बजट प्राक्कलन बनाम वास्तविक प्राप्तियां

तालिका 1.8 बजट प्राक्कलन और तदनुसूची वास्तविक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों की तुलना दर्शाती है।

तालिका 1.8: बजट, संशोधित प्राक्कलन और वास्तविक प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्राक्कलन	संशोधित बजट प्राक्कलन	वास्तविक प्राप्तियां	वास्तविक एवं बीई के बीच अंतर	वास्तविक और बीई के बीच अंतर की प्रतिशतता	वास्तविक और आरई के बीच अंतर की प्रतिशतता
वि.व.13	1,94,350	1,71,996	1,75,845	(-)18,505	(-)9.52	(+)2.24
वि.व.14	1,97,554	1,79,537	1,69,455	(-)28,099	(-)14.22	(-)5.62
वि.व.15	2,07,110	1,85,480	1,89,038	(-)18,072	(-)8.73	(+)1.92
वि.व.16	2,29,809	2,84,142	2,87,149	57,340	24.95	(+)1.06
वि.व.17	3,18,670	3,87,369	3,80,495	61,825	19.40	(-)1.77

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे तथा प्राप्ति बजट दस्तावेज। वि.व.17 की वास्तविक प्राप्तियों के आंकड़े अनंतिम हैं।

यह देखा गया कि वि.व.17 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का वास्तविक संग्रहण बजट प्राक्कलनों से लगभग 19 प्रतिशत अधिक था तथापि संशोधित बजट अनुमानों से लगभग 2 प्रतिशत कम था।

### 1.11 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत छोड़ा गया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व

केंद्र सरकार को केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944, की धारा 5ए(1) के तहत जन हित में छूट अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है ताकि शुल्क दरों को अनुसूची में निर्धारित टैरिफ दरों से कम निर्धारित किया जा सके। छूट अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित दरें “प्रभावी दरों” के रूप में जानी जाती हैं। छोड़े गए राजस्व को, छूट अधिसूचना के बिना देय शुल्क और उक्त अधिसूचना के अनुसार अदा किए गए वास्तविक शुल्क के बीच अंतर के रूप

में परिभाषित किया गया है और 2016-17 के बजट तक निम्नलिखित तरीके से गणना की गई थी:

- ऐसे मामलों में जहां टैरिफ और शुल्क की प्रभावी दरें यथा मूल्यानुसार विनिर्दिष्ट की जाती हैं- छोड़ा गया राजस्व = सामान का मूल्य X (शुल्क की टैरिफ दर - शुल्क की प्रभावी दर)
- ऐसे मामलों में जहां टैरिफ दर यथामूल्य आधार पर है किन्तु छूट अधिसूचना के अनुसार निर्धारित दर पर प्रभावी शुल्क वसूला जाता है तब - छोड़ा गया राजस्व = (सामान का मूल्य X शुल्क की टैरिफ दर) - (सामान की मात्रा X विशेष शुल्क की प्रभावी दर)
- ऐसे मामलों में जहां टैरिफ दर और प्रभावी दर यथामूल्य तथा विशिष्ट दरों का संयोजन है, तो परित्यक्त राजस्व की गणना उसके अनुसार की जाती है।
- सभी मामलों में, जहां शुल्क की टैरिफ दर प्रभावी दर के बराबर हो, तो छोड़ा गया राजस्व शून्य होगा।

2017-18 के बजट से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव की गणना करने की पद्धति संशोधित कर दी गई है। बिना शर्त वाली अधिसूचनाओं द्वारा लागू दरों को वास्तविक दरों के रूप में माना गया है और परित्यक्त राजस्व की गणना से बाहर रखा गया है। परित्यक्त राजस्व अब केवल सशर्त छूटों के लिए है जो टैरिफ दरों अथवा वास्तविक टैरिफ दर की तुलना में घटी दरें अनुमत करती है।

तालिका 1.9 पिछले पांच वर्षों के दौरान संघ सरकार के बजटीय दस्तावेजों में बताए अनुसार छोड़े गये राजस्व से संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आंकड़ों को दर्शाती है।

तालिका 1.9: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां तथा कुल छोड़ा गया राजस्व

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां\$	छोड़ा गया राजस्व*	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में छोड़ा गया राजस्व
वि.व.13	1,75,845	2,09,940	119.39
वि.व.14	1,69,455	1,96,223	115.80
वि.व.15	1,89,038	1,96,789	104.10
वि.व.16	2,87,149	79,183	27.58
वि.व.17	3,80,495	76,844	20.20

स्रोत: \$संघ वित्त लेखे, वि.व.17 के आंकड़े अंतिम हैं। \*संघ प्राप्तियां, बजट विव 16 व विव 17 के आंकड़े जैसे बजट 2017-18 में दिखाया गया।

पिछले वर्षों की तुलना में वि.व.16 और वि.व.17 के परित्यक्त राजस्व आंकड़ों में इतनी अधिक कमी पूर्व में उल्लिखित पद्धति में परिवर्तन के कारण है।

### 1.12 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बकाया

कानून में मांग किए गए लेकिन वसूली नहीं किए गए राजस्व की विभिन्न तरीकों से वसूली करने का प्रावधान हैं। इनमें राशियों के प्रति समायोजन, यदि कोई हों, जो कि उस व्यक्ति को देय, जिससे राजस्व वसूला जाना हो, उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की बिक्री और उसे जब्त करके वसूली तथा जिला राजस्व प्राधिकरण के माध्यम से वसूली शामिल है।

तालिका 1.10 राजस्व बकाए की वसूली के संबंध में विभाग का निष्पादन दर्शाती है।



तालिका 1.10: बकाया वसूली - केंद्रीय उत्पाद शुल्क

(₹ करोड़ में)

	वि.व.17	
	सकल बकाया <sup>7</sup>	वसूली योग्य बकाया <sup>8</sup>
अथ शेष	74939.64	7750.62
वर्ष के दौरान वृद्धि	37591.35	5314.21
कुल बकाया	112530.99	13064.83
मांग का निस्तारण <sup>9</sup>	26252.21	2755.62
वसूल किए गए बकाया	2079.09	1233.79
कुल बकाये की % के रूप में वसूला गया बकाया	1.85	9.44
अन्त शेष	84199.69	9075.42

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े। मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए अन्त शेष के आंकड़ों में मामूली अंतर है।

यह देखा जा सकता है कि विभाग द्वारा वि.व.17 के दौरान केवल 9.44 प्रतिशत वसूलीयोग्य बकाए की वसूली की जा सकी। अत्यधिक वसूली योग्य बकाये को देखते हुये महत्वपूर्ण है कि जीएसटी में संक्रमण पश्चात भी कर विभाग विशिष्ट रूप से पुराने मामलों में ध्यान दे।

### 1.13 अपवंचन रोधी उपायों के कारण वसूल किया गया अतिरिक्त राजस्व

महानिदेशक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना (डीजीसीईआई) के साथ-साथ केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर कमिश्नरियों दोनों की केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के मामलों का पता लगाने के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका है। जहाँ कमिश्नरियां, अपने क्षेत्राधिकार में इकाईयों के बारे में उनके व्यापक डाटा बेस तथा क्षेत्र में उपस्थिति के कारण शुल्क अपवंचन को रोकने हेतु प्रथम रक्षा स्तर हैं, वहीं डीजीसीईआई को वास्तविक राजस्व के अपवंचन के बारे में विशिष्ट आसूचना संग्रहण में विशिष्टता प्राप्त है। इस प्रकार से संग्रहीत आसूचना, कमिश्नरियों के साथ साझा की जाती है। अखिल भारतीय शाखाओं वाले मामलों

<sup>7</sup> एकल बढ़ाया में खड़े हुये, प्रतिबंधित (बीआईएफ लम्बित स्टे प्रार्थना पत्र) इत्यादि और

<sup>8</sup> उन मामलों से संबंधित जितमें मांग की पुष्टि की जा चुकी है किन्तु निर्धारित रूप में अपील नहीं दी गई। अनुसरणीय बजाय नियंत्रण आयोग द्वारा निपटाये गये मामले आदि।

<sup>9</sup> मांग के निस्तारण में विभाग के पक्ष में/विभाग के विरुद्ध मांग की पुष्टि, नए सिरे से अधिनिर्णयन का आदेश, बकाए अन्य कार्यालयों/श्रेणी में स्थानांतरित बकाया आदि शामिल है।

में डीजीसीईआई द्वारा जांच भी की जाती हैं। तालिका 1.11 गत तीन वर्षों के दौरान डीजीसीईआई के निष्पादन को दर्शाती है।

तालिका 1.11: गत तीन वर्षों के दौरान डीजीसीईआई का अपवंचन रोधी निष्पादन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पकड़े गए मामले		जांच के दौरान स्वैच्छिक भुगतान
	मामलों की संख्या	राशि	राशि
वि.व.15	2,123	4,335	546
वि.व.16	2,366	5,297	804
वि.व.17	2,122	5,773	795

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा गया है कि वि.व. 17 में डीजीसीईआई द्वारा पता लगाए गए मामलों की संख्या घटी है जबकि वि.व. 16 की तुलना में शामिल राशि में वृद्धि हुई है। यद्यपि, जांच के दौरान स्वैच्छिक भुगतान में कमी आई है।

## केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कर प्रशासन

### 1.14 केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा

सीबीईसी ने 1996 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में स्व-निर्धारण शुरू किया। स्व-निर्धारण शुरू करने के साथ विभाग ने विवरणियों के संवीक्षा के माध्यम से अन्य के साथ एक मजबूत अनुपालन सत्यापन तंत्र के प्रावधान की भी संकल्पना की।

विभाग ने हमारे बार-बार के अनुस्मारकों के बावजूद वि.व.17 की विवरणियों की संवीक्षा की सूचना नहीं दी थी। विभाग ने बताया था कि जीएसटी के लिए विभाग के पुनर्गठन के कारण, कई नए क्षेत्रीय कार्यालयों से डाटा एकत्र करना व्यवहार्य नहीं था। इससे इस चिंता को बल मिलता है कि पुराने मामलों को नजर अंदाज किया जा सकता है। विभाग को, वास्तव में व्यवस्थित रूप से पुराने मामलों को नये कार्यालयों को सौंपना चाहिए तथा पुराने कार्यालय से नये कार्यालयों में पुराने मामलों के हस्तांतरण पर भी नजर रखनी चाहिए।

### 1.15 अधिनिर्णय

अधिनिर्णय वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभागीय अधिकारी निर्धारितियों की कर देयता से संबंधित मामलों का निर्धारण करते हैं। ऐसी प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ सेनवैट क्रेडिट, मूल्यांकन, प्रतिदाय दावे, अनंतिम निर्धारण इत्यादि से संबंधित पहलुओं पर विचार करना शामिल हो सकता है। अधिनिर्णयन प्राधिकारी के निर्णय को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपीलीय फोरम में चुनौती दी जा सकती है।

तालिका 1.12 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनिर्णय का वर्षवार विश्लेषण दर्शाती है।

तालिका 1.12: विभागीय प्राधिकारियों के पास अधिनिर्णय हेतु लंबित मामले

(₹ करोड़ में)

वर्ष	31 मार्च तक लम्बित मामले		एक वर्ष से अधिक से लम्बित मामलों की संख्या
	संख्या	राशि	
वि.व.15	27,425	23,765	4,984
वि.व.16	23,014	29,355	3,637
वि.व.17	10,347	20,474	2,093

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

एक वर्ष से अधिक तक लम्बित मामलों सहित अधिनिर्णय के मामलों की संख्या वि.व.16 की तुलना में वि.व.17 में महत्वपूर्ण रूप से घटी है किंतु इन मामलों में शामिल राशि उसी अनुपात में नहीं घटी है।

### 1.16 प्रतिदाय दावों का निपटान

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11बी दावे तथा प्रतिदाय की मंजूरी का कानूनी अधिकार देती है। प्रतिदाय शब्द में भारत से बाहर निर्यातित उत्पाद शुल्क योग्य माल पर प्रदत्त उत्पाद शुल्क के साथ साथ भारत के बाहर निर्यातित माल के विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर प्रदत्त उत्पाद शुल्क पर छूट सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 11 बीबी निर्धारित करती है कि यदि प्रतिदाय के आवेदन की तिथि से तीन महीने के अन्दर प्रतिदाय नहीं किया गया तो प्रतिदाय राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाना है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली निर्धारित करती है कि विभाग को प्रतिदाय

दावे केवल तब स्वीकार करने चाहिए जब वह सभी सहायक दस्तावेजों के साथ हों क्योंकि बिना आवश्यक दस्तावेजों के प्रतिदाय दावे की मंजूरी में विलम्ब हो सकता है।

तालिका 1.13 विभाग द्वारा प्रतिदाय दावों के निपटान की स्थिति को दर्शाती है। दर्शाया गया विलंब प्रतिदाय आवेदन की प्राप्ति की तिथि से दावों के अंतिम प्रसंस्करण तक लिये गए समय के अनुसार है।

तालिका 1.13 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में प्रतिदाय दावों का निपटान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ शेष		प्राप्तियां (वर्ष के दौरान)		निपटान (वर्ष के दौरान)				3 महीने के भीतर निपटान किए गए	मामलों जहां ब्याज का भुगतान किया गया है	
					मंजूर प्रतिदाय		नामंजूर प्रतिदाय				
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	राशि
वि.व.16	82,146	7,878	3,36,614	27,829	3,65,485	27,593	7,577	1,763	3,24,340	3	0.01
वि.व.17	45,719 <sup>#</sup>	6,356 <sup>#</sup>	3,18,462	27,903	3,13,487	25,874	6,471	2,342	17,957	3	0.09

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े <sup>#</sup>वि.व. 16 का अथशेष वि.व. 17 के अथशेष से मेल नहीं खाता है।

यह देखा गया है कि मामलों की संख्या के साथ-साथ प्रतिदाय मामलों के निपटान में शामिल राशि वि.व. 16 की तुलना में वि.व.17 में घटी है। वि.व.17 में निपटान किए गए कुल 3,19,958 मामलों में से केवल 17,957 मामले (5.61 प्रतिशत) निर्धारित तीन महीने की अवधि में प्रसंस्कृत किए गए थे। वि.व. 16 में तीन महीनों के अन्दर 86.94 प्रतिशत मामलों के निपटान की तुलना में यह एक बड़ी गिरावट है। इसके अलावा, विभाग ने केवल तीन मामलों में ब्याज का भुगतान किया था। इस प्रकार निपटान के लगभग 94 प्रतिशत एवं विलम्बित प्रतिदायों के लगभग सभी मामलों में ब्याज का भुगतान न करने में भी विलम्ब था, दोनों ही अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है।

तालिका 1.14 गत दो वर्षों के दौरान प्रतिदाय दावों के लम्बन का काल वार विश्लेषण दर्शाती है।

तालिका 1.14: 31 मार्च तक केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिदाय मामलों का अवधि-वार विलम्बन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	31 मार्च तक लम्बित प्रतिदाय दावों की कुल संख्या		लम्बित प्रतिदाय दावों			
	मामलों की संख्या	राशि	एक वर्ष से कम		एक वर्ष से अधिक	
			मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
वि.व.16	45,719 <sup>#</sup>	6,356 <sup>#</sup>	45,592	6,273	127	83
वि.व.17	44,223	6,043	44,211	6,039	12	3

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े। #वि.व.16 के अंतिम शेष के आंकड़ों में भिन्नता, #मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई थी।

यह देखा गया है कि लम्बित प्रतिदाय दावे के साथ-साथ शामिल राशि वि.व.16 की तुलना में वि.व.17 में सीमांत रूप से कम हुए हैं।

### 1.17 कॉल बुक

परिपत्र सं. 992/16/2014-सीएक्स दिनांक 26 दिसम्बर 2014 और 1023/11/2016-सीएक्स दिनांक 8 अप्रैल 2016 के साथ पठित बोर्ड के विषय से संबंधित परिपत्र सं. 162/73/95-सीएक्स 3 दिनांक 14 दिसम्बर 1995 में यह परिकल्पना की गई है कि मामले जिनका कतिपय कारणों जैसे विभागीय अपील, न्यायालय से आदेश आदि के कारण अधिनिर्णय नहीं हो सकता, उनकी कॉल बुक में प्रविष्टि की जाए। सदस्य (के.उ.शु.) ने दिनांक 3 जनवरी 2005 के अपने डी.ओ.एफ. सं. 101/2/2003-सीएक्स-3 में यह जोर दिया था कॉल बुक के मामलों की प्रत्येक माह समीक्षा की जानी चाहिए। महानिदेशक निरीक्षण (सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क) ने दिनांक 29 दिसम्बर 2005 के अपने पत्र में यह कहते हुए कि माहवार समीक्षा से कॉल बुक में अपुष्ट माँगों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी आ सकती है, मासिक समीक्षा की आवश्यकता को दोहराया।

तालिका 1.15 तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कॉल बुक क्लियरेंस के संदर्भ में विभाग के निष्पादन को दर्शाती है।

तालिका 1.15: 31 मार्च तक लम्बित कॉल बुक मामले

वर्ष	अथ शेष	वर्ष के दौरान कॉल बुक में हस्तांतरित नये मामले	वर्ष के दौरान निपटान	वर्ष के अन्त में अन्तः शेष	शामिल राजस्व (₹ करोड़ में)	वर्ष के अन्त में विलम्बन का अवधि बार विघटन		
						6 माह से कम	6-12 माह	1 वर्ष से अधिक
वि.व.15	35,617	9,552	8,846	36,323	65,765	4,841	2,276	29,206
वि.व.16	37,018	7,437	7,994	36,461	64,260	5,157	2,479	28,394
वि.व.17	36,030	13,418	19,768	29,682 <sup>10</sup>	58,648	5,601	2,457	21,624

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा गया है कि वि.व.17 में कॉल बुक में मामलों का लम्बन पर्याप्त रूप से घटा है, हालांकि यह अब भी अधिक है जोकि सतर्क निगरानी एवं समीक्षा की आवश्यकता को दर्शाता है। आगे यह देखा गया कि अथ शेष पिछले वर्षों के अंतिम शेष के साथ मेल नहीं खाता हैं।

### 1.18 अपील मामले

अधिनिर्णय प्राधिकारियों के अलावा, विभागीय अपीलीय प्राधिकारी, विधिक न्यायालय इत्यादि सहित कई अन्य प्राधिकारी हैं, जहां न्यायिक मामले, निर्वचन इत्यादि पर विचार किया जाता है। इसके अलावा, कई मामलों में विभाग भी अनिवार्य वसूली उपायों का सहारा लेता है। अतः राजस्व की बड़ी राशि काफी लम्बी अवधि के लिए उगाही के लिए शेष रह जाती है। सीबीईसी द्वारा प्रस्तुत डाटा के आधार पर हमने तालिका 1.16 में विभिन्न फोरम से मामलों के विलम्बन को तालिकाबद्ध किया है।

<sup>10</sup> मंत्रालय द्वारा प्रदत्त अन्तः शेष के आंकड़ों में भिन्नता

तालिका 1.16: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में अपीलों का विलम्बन

वर्ष	फोरम	वर्ष के अन्त तक लम्बित अपीलों					
		पार्टी की अपीलों का विवरण		विभागीय अपीलों का विवरण		जोड़	
		अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़ में)	अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़ में)	अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़ में)
वि.व.15	सर्वोच्च न्यायालय	636	1,752	1395	4,666	2,031	6,418
	उच्च न्यायालय	3,740	5,543	4,531	7,514	8,271	13,057
	सेसटेट	28,465	51,252	11,134	7,477	39,599	58,729
	निपटान आयोग	82	135	2	1	84	136
	कमिश्नर (अपील)	10,505	2,899	1,751	298	12,256	3,197
	<b>जोड़</b>	<b>43,428</b>	<b>61,581</b>	<b>18,813</b>	<b>19,956</b>	<b>62,241</b>	<b>81,537</b>
वि.व.16	सर्वोच्च न्यायालय	570	2,153	1,102	4,360	1,672	6,513
	उच्च न्यायालय	3,548	7,207	4,041	8,855	7,589	16,062
	सेसटेट	29,443	57,035	9,613	8,571	39,056	65,606
	निपटान आयोग	77	98	0	0	77	98
	कमिश्नर (अपील)	11,835	3,494	1,915	389	13,750	3,883
	<b>जोड़</b>	<b>45,473</b>	<b>69,987</b>	<b>16,671</b>	<b>22,175</b>	<b>62,144</b>	<b>92,162</b>
वि.व.17	सर्वोच्च न्यायालय	581	2,267	977	5,804	1,558	8,071
	उच्च न्यायालय	3,528	9,005	3,170	10,329	6,698	19,334
	सेसटेट	30,201	65,760	7,120	11,915	37,321	77,675
	निपटान आयोग	71	77	0	0	71	77
	कमिश्नर (अपील)	12,711	3,047	2,243	359	14,954	3,406
	<b>जोड़</b>	<b>47,092</b>	<b>80,156</b>	<b>13,510</b>	<b>28,407</b>	<b>60,602</b>	<b>1,08,563</b>

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

तालिका दर्शाती है कि ₹ 1,08,563 के राजस्व वाले मामले वि.व.16 के अंत में लम्बित राशि पर 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वि.व.17 के अंत में अपीलों में लम्बित थे। चूँकि जब तक अपील लम्बित है, राजस्व की वसूली के लिए कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती, इसलिए राजकोष में ₹ 1,08,563 करोड़ के संभव राजस्व को लाने के लिए प्राधिकरणों द्वारा पहले निपटान करना महत्वपूर्ण है।

मंत्रालय ने वि.व.16 और वि.व.17 के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपील मामलों के निपटान के विवरण प्रदान किए हैं। डाटा तालिका 1.17 में प्रस्तुत है:

तालिका सं. 1.17: गत दो वर्षों के दौरान निर्णीत मामलों का ब्रेक अप (केउशु)

वर्ष	फोरम	विभागीय अपील				पार्टी की अपील			
		विभाग के पक्ष में निर्णय	विभाग के विरुद्ध निर्णय	वापिस योजना	विभाग की सफल अपीलों का %	पार्टी के पक्ष में निर्णय	पार्टी के विरुद्ध निर्णय	वापिस योजना	पार्टी की सफल अपील का %
वि.व.16	सर्वोच्च न्यायालय	64	465	29	11.47	110	77	16	54.19
	उच्च न्यायालय	216	926	56	18.03	289	456	123	33.29
	सेसटेट	666	1,619	165	27.18	2,415	856	742	60.18
	निपटान आयोग	2	1	0	66.67	8	44	2	14.81
	कमिश्नर (अपील)	443	525	12	45.20	3,561	3,311	219	50.22
	<b>जोड़</b>	<b>1,391</b>	<b>3,536</b>	<b>262</b>	<b>26.81</b>	<b>6,383</b>	<b>4,744</b>	<b>1,102</b>	<b>52.20</b>
वि.व.17	सर्वोच्च न्यायालय	27	204	8	11.30	21	36	8	32.31
	उच्च न्यायालय	165	1,212	26	11.76	296	359	80	40.27
	सेसटेट	422	3,179	275	10.89	4,260	1,056	1,199	65.39
	निपटान आयोग	0	0	0	NA	13	45	4	20.97
	कमिश्नर (अपील)	395	573	51	38.76	4,759	3,328	383	56.19
	<b>जोड़</b>	<b>1,009</b>	<b>5,168</b>	<b>360</b>	<b>15.44</b>	<b>9,349</b>	<b>4,824</b>	<b>1,674</b>	<b>59.00</b>

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

तालिका दर्शाती है कि अधिनिर्णय आदेश के प्रति विभागीय अपील का सफलता अनुपात वि.व.16 में 26.81 प्रतिशत से वि.व.17 में 15.44 प्रतिशत तक कम हुआ है। सफलता अनुपात 11 प्रतिशत और 12 प्रतिशत के बीच होता है जब विभाग अपील के लिए सेसटेट एवं उपर गया।

### 1.19 संग्रहण की लागत

तालिका 1.18 राजस्व संग्रहण की तुलना में संग्रहण की लागत दर्शाती है।

तालिका 1.18: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्राप्तियाँ और संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां	सेवा कर से प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	संग्रहण की लागत	कुल प्राप्तियों के % के रूप में संग्रहण की लागत
वि.व.13	1,75,845	1,32,601	3,08,446	2,439	0.79
वि.व.14	1,69,455	1,54,780	3,24,235	2,635	0.81
वि.व.15	1,89,038	1,67,969	3,57,007	2,950	0.83
वि.व.16	2,87,149	2,11,415	4,98,564	3,162	0.63
वि.व.17	3,80,495	2,54,499	6,34,994	4,056	0.64

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्तीय लेखे। वि.व.17 के आंकड़े अस्थायी हैं।



पिछले वर्ष की तुलना में वि.व.17 में संग्रहण की लागत बहुत अधिक बढ़ गई थी। तथापि, चूँकि पिछले वर्ष की तुलना में वि.व.17 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्तियों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, इसलिए कुल प्राप्तियों के प्रतिशत के तौर पर संग्रहण की लागत ने सीमांत रूप से वृद्धि दर्शाई है।

## 1.20 आंतरिक लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा उद्देश्य के लिए 'क' श्रेणी इकाइयों को वार्षिक इकाइयां जबकि 'ख' श्रेणी को द्विवर्षीय इकाइयां माने जाने के साथ विभाग ने इकाइयों को वार्षिक राजस्व पर आधारित क, ख, ग और घ श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया था। प्रत्येक कमिश्नरी में स्थित लेखापरीक्षा सेल आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी है। अक्टूबर 2014 में विभाग की पुनर्संरचना के बाद नई लेखापरीक्षा कमिश्नरी का गठन हुआ जिसके बाद डीजी (लेखापरीक्षा) द्वारा किए गए केन्द्रीकृत जोखिम निर्धारण पर आधारित विभाग ने लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों को तीन श्रेणियों अर्थात् बड़ी, मध्यम एवं छोटी इकाइयों में पुनर्गठित किया। लेखापरीक्षा कमिश्नरी में उपलब्ध श्रमशक्ति बड़ी, मध्यम एवं छोटी इकाइयों के बीच 40:25:15 में आवंटित हैं और शेष 20 प्रतिशत श्रमशक्ति को नियोजन समन्वय एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए प्रयोग किया जाता है।

तालिका 1.19 लेखापरीक्षित इकाइयों की तुलना में कमिश्नरी के लेखापरीक्षा दलों द्वारा वि.व.17 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए शेष केन्द्रीय उत्पाद शुल्क इकाइयों के विवरण को दर्शाती है।

तालिका 1.19: वि.व.17 के दौरान की गई निर्धारितियों की लेखापरीक्षाएं

वर्ष	श्रेणी	शेष इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षा में कमी (सं.)	लेखापरीक्षा में कमी (%)
वि.व.17	बड़ी इकाइयां	7,510	4,271	3,239	43.13
	मध्यम इकाइयां	10,919	6,256	4,663	42.71
	छोटी इकाइयां	17,205	10,571	6,634	38.56

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

विभाग ने लेखापरीक्षा कमिशनरियों में उपलब्ध श्रमशक्ति में फैक्ट्रिंग द्वारा लेखापरीक्षा के लिए शेष इकाइयों के राजस्व पर आधारित चयन से जोखिम आधारित चयन में बदला था। लेखापरीक्षा के लिए निर्धारितियों के चयन में कार्यप्रणाली में परिवर्तन के बावजूद बड़ी इकाइयों और मध्यम इकाइयों में लेखापरीक्षा में कमी अब भी 40 प्रतिशत से अधिक है। लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या में कमी जो कि पूर्व- पुनः संरचित समय (जैसा कि 2016 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं.2 में टिप्पणी की गई है) में अनिवार्य इकाइयों में 29 प्रतिशत थी, 43 प्रतिशत तक बढ़ गयी थी, हालांकि वि.व.17 में 7,510 की तुलना में वि.व.15 में लेखापरीक्षा के लिए 12,048 इकाइयां शेष थीं। इस प्रकार लेखापरीक्षा के संचालन में कमी, पृथक लेखापरीक्षा कमिशनरियों और संशोधित चयन प्रणाली के बावजूद बढ़ गई है।

विभाग द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम तालिका 1.20 में दिखाये गये हैं।

तालिका 1.20: वर्ष के दौरान आपत्ति की गई एवं वसूली गई राशि

(₹ करोड़ में)

वि.व.	श्रेणी	पता लगाई गई कम उगाही की राशि	कुल वसूली की राशि
वि.व.17	बड़ी	1,760	591
	मध्यम	412	218
	छोटी	256	151
<b>कुल</b>		<b>2,428</b>	<b>960</b>

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा गया है कि बड़ी इकाइयों में पता लगाई गई एवं वसूली गई कम उगाही की राशि बड़ी इकाइयों में आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए अधिक साधनों को आवंटित करने की आवश्यकता को दर्शाते हुए अन्य इकाइयों से बहुत अधिक है।

### 1.21 विभागीय प्रयासों के कारण राजस्व संग्रहण

कई विधियाँ हैं जिनसे विभाग प्राप्य राजस्व संग्रहण करता है, जो करदाताओं द्वारा प्रदत्त नहीं हैं। इन विधियों में विवरणियों की संवीक्षा, आन्तरिक लेखापरीक्षा, अपवंचन-रोधी, अधिनिर्णय इत्यादि शामिल हैं।

विभागीय प्रयासों के परिणाम तालिका 1.21 में दिखाये गए हैं।

तालिका 1.21: विभागीय प्रयासों द्वारा वसूल किया गया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विभागीय कार्रवाई	वि.व. 16 के दौरान वसूली	वि.व. 17 के दौरान वसूली
1	अन्तरिक लेखापरीक्षा	369	304
2	अपवंचन - रोधी	373	382
3	पुष्ट मांगे	792	1,043
4	पूर्व जमा	579	368
5	विवरणियों की संवीक्षा	297	291
6	चूककर्ताओं से वसूली	2,874	3,486
7	अनंतिम निर्धारण	67	64
8	अन्य	324	174
	<b>कुल</b>	<b>5,675</b>	<b>6,112</b>

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

वि.व.17 के दौरान कुल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण ₹ 3,80,495 करोड़ है, जिसमें से विभागीय प्रयासों के कारण 1.61 प्रतिशत दर्शाते हुए केवल ₹ 6,112 करोड़ ही एकत्रित किया गया। इसके अलावा यह देखा गया है कि आंतरिक लेखापरीक्षा और अपवंचन रोधी के तहत संग्रहीत राजस्व तालिका क्रमशः तालिका 1.20 और 1.11 में दर्शायी गई उसी श्रेणी से संबंधित राशि से मेल नहीं होती। वास्तव में, तालिका 1.21 (₹ 382 करोड़) में दर्शायी गई वसूलियां तालिका 1.11 (₹ 795 करोड़) में सूचित अपवंचन रोधी की तुरंत वसूली से बहुत कम है। यद्यपि वि.व.15 और वि.व.16 के दौरान मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए डाटा के संबंध में समान डाटा त्रुटि पिछले वर्ष (2016 की रिपोर्ट सं. 2 और 2017 की रिपोर्ट सं.3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा मंत्रालय के ध्यान में लाई गई परन्तु मंत्रालय ने 2017 में बिना उचित सत्यापन के समान डाटा भेजा।

प्रस्तुत डाटा की विश्वसनीयता संदेहास्पद है क्योंकि विभागीय प्रयासों द्वारा वसूले गए राजस्व के संबंध में इस वर्ष मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत डाटा 2017 की सीएजी की रिपोर्ट सं.3 में सूचित और मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष प्रस्तुत डाटा के साथ मेल नहीं खाते।

## 1.22 लेखापरीक्षा प्रयास एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा उत्पाद- अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

अनुपालन लेखापरीक्षा, महानिदेशकों (डीजी)/प्रधान निदेशकों लेखापरीक्षा (पीडी) के नेतृत्व में नौ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई थी जिन्होंने लेखापरीक्षा एवं लेखे विनियम 2007 (यथा संशोधित) के अनुसार और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानक, दूसरा संस्करण 2002 के अनुरूप में वि.व.17 में 1055 (सीएक्स और एसटी) इकाइयों की लेखापरीक्षा की थी।

संघ वित्त लेखों से डाटा के साथ डीओआर, सीबीईसी और उसके क्षेत्रीय संरचनाओं में मूल अभिलेखों/दस्तावेजों, सीबीईसी के एमआईएस, एमटीआर की जांच के साथ अन्य पणधारकों की रिपोर्ट का उपयोग किया गया।

## 1.23 प्रतिवेदन विहंगावलोकन

वर्तमान प्रतिवेदन में ₹ 665.93 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 104 पैराग्राफ हैं। सामान्य: चार प्रकार के अवलोकन थे: केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान न करना/कम भुगतान, सेनवैट क्रेडिट का गलत लाभ उठाना/उपयोग, आंतरिक नियंत्रण का प्रभावकारिता एवं अन्य मामले। विभाग/मंत्रालय ने पहले से ही, कारण बताओं नोटिस जारी करने, एससीएन के अधिनर्णयन के रूप में 93 पैराग्राफ में ₹ 343.30 करोड़ मूल्य की राशि वाली उपचारात्मक कार्रवाई की है और ₹ 271.45 करोड़ की वसूली सूचित की है।

## 1.24 सीएजी की लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का राजस्व प्रभाव/अनुवर्ती कार्यवाही

पिछले पांच लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों रिपोर्ट (वर्तमान वर्ष की रिपोर्ट सहित) में हमने ₹ 1300.49 करोड़ वाले 391 लेखापरीक्षा पैराग्राफ (तालिका 1.22) शामिल किए थे।

तालिका 1.22: प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

(₹ करोड़ में)

वर्ष		वि.व.13	वि.व.14	वि.व.15	वि.व.16	वि.व.17	कुल	
शामिल पैराग्राफ	सं.	62	68	64	93	104	391	
	राशि	182.90	125.11	147.87	178.68	665.93	1300.49	
स्वीकृत पैराग्राफ	प्रिटिंग के पूर्व	सं.	58	60	47	79	93	337
		राशि	179.44	90.71	135.85	132.13	343.30	881.43
	प्रिटिंग के बाद	सं.	-	1	2	-	-	3
		राशि	-	0.36	1.20	-	-	1.56
	कुल	सं.	58	61	49	79	93	340
		राशि	179.44	91.07	137.05	132.13	343.30	882.99
की गई वसूलियां	प्रिटिंग के पूर्व	सं.	36	28	30	48	44	186
		राशि	21.29	27.44	27.95	30.44	271.45	378.57
	प्रिटिंग के बाद	सं.	1	3	2	8	-	14
		राशि	0.56	3.09	1.20	2.06	-	6.91
	कुल	सं.	37	31	32	56	44	200
		राशि	21.85	30.53	29.15	32.50	271.45	385.48

स्रोत: सीएजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

मंत्रालय ने ₹ 882.99 करोड़ वाले 340 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियों की स्वीकार किया था और ₹ 385.48 करोड़ की वसूली की थी।



## अध्याय II

### प्लास्टिक और उसके उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का उदग्रहण और संग्रहण

#### 2.1 प्रस्तावना

प्लास्टिक<sup>11</sup> उस सामग्री को संदर्भित करता है जो या तो पॉलीमराइजेशन के समय या बाद में मोल्डिंग, कास्टिंग, और जगह लेकर, रोलिंग या अन्य प्रक्रिया द्वारा बाहरी प्रभाव सामान्य रूप से ताप और दबाव), यदि आवश्यक हो साल्वन्ट या प्लास्टिसाइज़र के साथसे बनने के किसी अनुगामी स्त (र पर आकार जो बाहरी प्रभाव हटने पर बना रहे। प्लास्टिक में वल्केनाइज्ड फाइबर भी शामिल है।

प्लास्टिक<sup>12</sup> पोलिमर के रूप में भी जाना जाता है और पेट्रोकेमिकल उद्योग (अपस्ट्रीम इंडस्ट्रीज) का मुख्य तैयार उत्पाद है। प्लास्टिक उद्योग चैन को दो मुख्य भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है अर्थात् अपस्ट्रीम, जो पोलिमर्स का विनिर्माण है और डाउनस्ट्रीम, जो पोलिमर को प्लास्टिक की वस्तुओं में बदलना है। डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग अत्यधिक खंडों में हैं और जिसमें माइक्रो, लघु और मध्यम इकाईयां शामिल है जिसमें से अधिकतर लघुस्तर क्षेत्र में आती हैं।

प्लास्टिक और उसकी वस्तुएं, 28 फरवरी 1986 से प्रभावी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 के अंतर्गत, पहली अनुसूची के अध्याय 39 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य हैं।

पोलीमर्स के उत्पादन में 2008-09 में 5,060 हजार एमटी से 2015-16 में 8,839 हजार एमटी तक की वृद्धि हुई है (8.3% की कंपाउंड वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) जबकि उसी अवधि में उसकी खपत में 5,977 हजार एमटी से 12,055 हजार एमटी तक की वृद्धि हुई (10.5% का सीएजीआर)।

<sup>11</sup> केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 के अध्याय 39 के अंतर्गत अध्याय नोट 1

<sup>12</sup> केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स सांख्यिकी एक नज़र में 2016 - रसायन और उर्वरक मंत्रालय

### 2.1.1 हमने यह विषय क्यों चुना

प्लास्टिक, वित्तीय वर्ष 16 में ₹ 6,092 करोड़ के राजस्व अंशदान सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत शीर्ष राजस्व उत्पादन वस्तुओं में से एक है। वर्तमान में, भारतीय प्लास्टिक उद्योग में 30,000 प्रसंस्करण इकाइयों से अधिक हैं, जिसमें से 85 से 90 प्रतिशत लघु और मध्यम उद्योग (एसएमई) हैं। वित्तीय वर्ष 15 में प्लास्टिक उद्योग से ₹ 1,33,245 करोड़ का कुल कारोबार हुआ था जिसमें से 80 प्रतिशत योगदान डाउनस्ट्रीम सेगमेंट के अंतर्गत लघु स्तर इकाइयों द्वारा था। 2015-16 के दौरान प्लास्टिक और उसकी वस्तुओं का आयात ₹ 74,566 करोड़ था जो उसी वर्ष<sup>13</sup> के दौरान ₹ 24,90,298 करोड़ के कुल आयात का 2.99 प्रतिशत बनता था। भारतीय प्लास्टिक उद्योग से उत्पाद पूरे विश्व में 150 से अधिक देशों में निर्यात किए जाते हैं। 2015-16 के दौरान प्लास्टिक और उसकी वस्तुओं का निर्यात ₹ 34,338 करोड़ का था जो ₹ 17,16,378 करोड़ के कुल निर्यात का 2.00 प्रतिशत था।

### 2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा, प्लास्टिक क्षेत्र और उसकी मानीटरिंग से संबंधित उत्पाद शुल्क की उगाही, निर्धारण और संग्रहण के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों सहित, समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों/निर्देशों/व्यापार नोटिसों आदि की पर्याप्तता और अनुपालन निर्धारित करने का प्रयास है।

### 2.3 कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा कवरेज

लेखापरीक्षा ने, बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये एसीईएस<sup>14</sup> डाटा से 2013-14 से 2015-16 की अवधि के लिये प्लास्टिक और उसकी वस्तुओं से संबंधित राजस्व डाटा एकत्र किया और कुल राजस्व संग्रहण, इकाई में शुल्क के भुगतान न करने/कम भुगतान करने के मामलों की संख्या, सेनवैट क्रेडिट के उपयोग

<sup>13</sup> वाणिज्य विभाग - आयात निर्यात डाटा बैंक ([www.commerce.gov.in/EIDB.aspx](http://www.commerce.gov.in/EIDB.aspx))

<sup>14</sup> केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर का स्वचलन



आदि से जुड़े मानदंडों के आधार पर, कथित अवधि के इस डाटा से नमूना इकाइयों का चयन किया गया था। तदनुसार, लेखापरीक्षा ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित कुल 119 कमिश्नरियों में से 25 कमिश्नरियों और इन कमिश्नरियों के अंतर्गत 25 डिविजनों और 50 रेंजों का चयन किया। लेखापरीक्षा में विस्तृत संवीक्षा की जानी थी लेकिन नहीं की गई/की गई, आंतरिक लेखापरीक्षा की जानी थी लेकिन नहीं की गई/आंतरिक लेखापरीक्षा की गई, निर्धारिती द्वारा शुल्क का कम भुगतान आदि सहित मानदंडों के आधार पर इन चयनित कमिश्नरियों के क्षेत्राधिकार में आने वाले 308 निर्धारितियों का भी चयन किया। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने आठ चयनित 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) और 20 अतिरिक्त निर्धारितियों के अभिलेखों की भी जांच की जिनके अभिलेखों की संबंधित डिविजन/रेंजों में ही जांच की गई थी और जो प्लास्टिक और उसकी वस्तुओं के व्यापार से जुड़े थे (कुल 336 निर्धारिती)। इन निर्धारितियों ने प्लास्टिक के समान के विनिर्माण के साथ-साथ प्लास्टिक का कच्चा माल आयात किया। इस एसएससीए में सम्मिलित की गई अवधि 2013-14 (वि.व.14) से 2015-16 (वि.व.16) थी। प्लास्टिक विनिर्माताओं से संबंधित डाटा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति, वाणिज्य कर विभाग से भी प्राप्त किया गया था और अपंजीकृत निर्धारितियों को पहचानने के लिये एसीईएस डाटा के साथ तुलना की गई थी।

## 2.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### 2.4.1 प्लास्टिक की वस्तुओं से राजस्व संग्रहण की प्रवृत्ति

तालिका 2.1 2013-14 से 2015-16 की अवधि के लिये कुल केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व की तुलना में प्लास्टिक क्षेत्र से राजस्व में वृद्धि दर्शाती है।

तालिका संख्या 2.1: कुल केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में प्लास्टिक क्षेत्र से राजस्व का शेयर  
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	के.उ.शु राजस्व	प्लास्टिक से राजस्व	के.उ.शु राजस्व के % के रूप में प्लास्टिक राजस्व
1	2013-14	1,69,455	4,298	2.54
2	2014-15	1,89,038	5,150	2.72
3	2015-16	2,87,149	6,092	2.12

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

#### 2.4.2 चयनित कमिश्नरियों में राजस्व संग्रहण की प्रवृत्ति

लेखापरीक्षा ने 2013-14 से 2015-16 की अवधि के लिये चयनित कमिश्नरियों से प्लास्टिक क्षेत्र से संबंधित राजस्व डाटा एकत्र किया। 2014-15 से पीएलए राजस्व के साथ 2015-16 के व्यक्तिगत बही खाता (पीएलए) राजस्व की तुलना ने निम्नलिखित दर्शाया:

- (i) 18 कमिश्नरियों ने सकारात्मक वृद्धि दर्शाई। इनमें से, चार कमिश्नरियों अर्थात् गुडगांव-॥ (269.64%), फरीदाबाद (148.11%), गुवाहाटी (76.39%) और कोलकाता-॥ (74.71%) ने 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्शाई।
- (ii) चार कमिश्नरियों, हैदराबाद IV (-14%), इंदौर (-7%), चेन्नै IV (-6%) और सिलवासा (-3%) ने वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर्शाई। चेन्नै IV कमिश्नरी ने बताया कि बिक्री में कमी के कारण उत्पादन कम हुआ, जिससे शुल्क का कम भुगतान हुआ।
- (iii) दो कमिश्नरियों, बैंगलूरू ॥ और नोएडा । ने या तो कोई डाटा उपलब्ध नहीं कराया या अधूरा डाटा उपलब्ध कराया था, जबकि बेलपुर कमिश्नरी द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा ने सभी तीन वर्षों के लिये समान राजस्व आंकड़े दर्शाये। इसलिये लेखापरीक्षा इन कमिश्नरियों के निष्पादन पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं था।

- (iv) दमन कमिश्नरी (₹ 179.45 करोड़) और सिलवासा कमिश्नरी (₹ 160.46 करोड़) वर्ष 2015-16 के दौरान पीएलए से सर्वाधिक राजस्व अंशदाता थे।

### 2.4.3 विवरणी फाइल न करना/देर से फाइल करना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 का नियम 12(1) प्रावधान करता है कि प्रत्येक निर्धारिती (लघु स्तर उद्योग (एसएसआई) के अलावा), महीना जिसके लिये ऐसा रिटर्न देय है के अगले महीने की 10 तारीख तक अन्य के साथ-साथ, उत्पादन का विवरण और माल की निकासी दर्शाते हुये मासिक रिटर्न (फार्म ईआर-1) प्रस्तुत करेगा। एसएसआई इकाईयों को तिमाही की समाप्ति के बाद 10 दिनों के अंदर तिमाही आधार पर उपरोक्त विवरण दर्शाते हुये ईआर-3 रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। यद्यपि रिटर्न फाइल न करने/विलम्ब से फाइल करने के लिये कोई निश्चित जुर्माना निर्धारित नहीं है, उक्त नियमावली का नियम 27 किसी भी नियम के उल्लंघन के लिये अधिकतम ₹ 5000 तक का सामान्य जुर्माना निर्धारित करता है, जो रिटर्न फाइल न करने/देरी से फाइल करने पर लगाया जाता है।

50 रैंजो से प्राप्त प्लास्टिक की वस्तुओं के विनिर्माताओं द्वारा प्रस्तुत ईआर-1/ईआर-3 रिटर्नों के विवरणों से पता चला कि 11 रैंजो में फाइल न करने के 128 मामले थे और 29 रैंजो में विवरणियां विलम्ब से फाइल करने के 1296 मामले थे। विभाग ने 27 रैंजो में केवल 487 मामलों (37.57 प्रतिशत) में विवरणियां फाइल करने में विलम्ब के लिये ₹ 8.31 लाख का जुर्माना लगाया और 46 मामलों में ₹ 0.32 लाख की वसूली की। विभाग ने फाइल न करने के 128 मामलों में और विवरणियां विलम्ब से फाइल करने के 809 मामलों में न तो कोई कार्रवाई की और न ही कोई जुर्माना लगाया। चार रैंज जहां कार्रवाई हेतु 50 से अधिक विवरणियों के मामले लंबित हैं को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

तालिका 2.2: विवरणी फाइल न करना/विलम्ब से फाइल करना

क्र. सं.	कमिश्नरी का नाम	डिविजन का नाम	रैंज का नाम	कार्रवाई हेतु लंबित विवरणियां फाइल न करने/विलम्ब से फाइल करने के मामलों की संख्या			
				2013-14	2014-15	2015-16	कुल
1	कोलकाता II	हावडा IV	रैंज III	24	44	33	101
2	अहमदाबाद-III	कलोल	एआर-II	5	54	7	66
3	दिल्ली-I	डिविजन I	रैंज-V	8	18	38	64
4	कोलकाता V	बिशनपुर	रैंज III	16	20	18	54

विवरणियां फाइल न करने/विलंब से फाइल करने के लिये कार्रवाई शुरू न करना मानीटरिंग तंत्र में शिथिलता दर्शाता है।

लेखापरीक्षा ने नवम्बर 2016 और मार्च 2017 के बीच यह बताया।

मंत्रालय ने उत्तर में निम्नलिखित बताया (सितम्बर 2017):

- मंत्रालय ने 367 मामलों में आपत्तियों को स्वीकार किया। इनमें से, 36 मामलों में, ₹ 2.20 लाख के जुर्माने की वसूली की गई थी, 331 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था/कार्रवाई शुरू की गई थी।
- शेष 570 मामलों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2017)।

#### 2.4.4 विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा - समीक्षा और सुधार मामलों में लम्बन

एसीईएस शुरू होने के बाद, रिटर्नों की प्राथमिक संवीक्षा स्वयं प्रणाली द्वारा की जा रही है। विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा का उद्देश्य सूचना की पूर्णता, विवरणी का समय से प्रस्तुतीकरण, शुल्क का भुगतान, गणना की गई राशि की अंकगणितीय सटीकता और फाइल न करने वाले/स्टॉप फाइलरों की पहचान सुनिश्चित करना है। जहां एसीईएस प्रणालियों द्वारा असंगति पाई जाती है वहाँ ऐसी सभी विवरणियां संवीक्षा और सुधार (आरएंडसी)<sup>15</sup> के लिये चिन्हित की जाती हैं। एसीईएस द्वारा आरएंडसी हेतु चिन्हित इन विवरणियों की निर्धारिती के साथ परामर्श करके पुष्टि की जानी चाहिये और प्रणाली में पुनः प्रविष्टि की जानी चाहिये। विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा और आरएंडसी, विवरणियों के प्राप्त होने की तिथि से तीन महीनों के अंदर पूर्ण की जानी है।

<sup>15</sup> चिन्हित विवरणियों के संबंध में त्रुटियों को सही करने की प्रक्रिया आरएंडसी कहलाती है।

लेखापरीक्षा ने प्लास्टिक क्षेत्र से संबंधित विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा के संबंध में चयनित 50 रैंजो से डाटा प्राप्त किया। डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान प्राप्त 29,520 विवरणियों में से, 26,204 विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा की गई थी जबकि इस तथ्य के बावजूद कि प्राथमिक संवीक्षा एसीईएस द्वारा स्वतः ही की जानी है, 3,316 विवरणियों (11.23 प्रतिशत) के संबंध में प्राथमिक संवीक्षा लंबित थी। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि एसीईएस द्वारा आरएंडसी के लिये मार्क की गई 25,898 विवरणियों में से, विभाग निर्धारित तीन महीनों के अंदर 22,998 (88.80 प्रतिशत) विवरणियां ही सही कर सका। इस प्रकार, आरएंडसी के लिये 2,900 विवरणियां लंबित थी। बेंगलुरु ॥ और गुड़गांव ॥ कमिश्नरियों के अंतर्गत रैंजों ने 2013-14 के लिये डाटा उपलब्ध नहीं कराया। नोएडा । कमिश्नरी के अंतर्गत रैंज-24 और थाने-। कमिश्नरी के अंतर्गत रैंज । और ॥ ने सभी तीन वर्षों के लिये डाटा उपलब्ध नहीं कराया। इसप्रकार, लेखापरीक्षा इन कमिश्नरियों के निष्पादन पर टिप्पणी करने में असमर्थ था। रैंज जहां विवरणियां आरएंडसी के लिये लंबित थी, उन्हें नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

तालिका 2.3: प्राथमिक संवीक्षा - आरएंडसी मामलों में विलम्ब

क्र.सं.	कमिश्नरी का नाम	डिविजन का नाम	रैंज का नाम	विवरणियों की संख्या जहां आरएंडसी लंबित था			
				2013-14	2014-15	2015-16	कुल
1	दिल्ली-।	डिविजन-।	रैंज-V	154	388	749	1,291
2	दिल्ली-।	डिविजन-।	रैंज-IV	56	229	473	758
3	कोयम्बटूर	कोयम्बटूर ॥	कोयम्बटूर ॥ ए	120	129	120	369
4	कोलकाता V	बिश्नुपुर	रैंज III	105	111	126	342
5	कोलकाता ॥	हावडा IV	रैंज IV	68	72	0	140
	<b>कुल</b>			<b>503</b>	<b>929</b>	<b>1,468</b>	<b>2,900</b>

दिल्ली । कमिश्नरी के अंतर्गत रैंज IV और V और कोलकाता V कमिश्नरी के अंतर्गत रैंज III में आरएंडसी मामलों में विलंब में तीन वर्षों के दौरान वृद्धि हुई। दिल्ली-। कमिश्नरी की दो रैंजों में वर्ष 2015-16 के दौरान क्रमशः 749 और 473 आरएंडसी मामलों में विलंब हुआ था। 2013-14 से 2015-16 के दौरान प्राप्त कुल विवरणियों के संबंध में विलंब की स्थिति में रैंज IV में 13.86 प्रतिशत से 78.31 प्रतिशत और रैंज V में 24.64 प्रतिशत से 76.43 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

हमने अक्टूबर 2016 में उपरोक्त विलम्ब के बारे में बताया।

मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर (सितम्बर 2017) दिया:

- दिल्ली I, कोयम्बटूर और कोलकाता V कमिश्नरियों के संबंध में, यह बताया गया था कि कार्रवाई की गई और लंबित मामलों का निपटान कर दिया गया (2,760 रिटर्न)।
- कोलकाता II कमिश्नरी के संबंध में, यह बताया गया था कि एक विवरणी के लिये कार्रवाई की गई थी। शेष 139 लंबित विवरणियों के लिये उत्तर प्रतीक्षित था।

आरएंडसी करने में विलम्ब न केवल विवरणियों की संवीक्षा की खराब मॉनीटरिंग दर्शाता है, बल्कि संभावित राजस्व हानि भी हो सकती है क्योंकि मामले समयबाधित हो रहे थे।

#### **2.4.5 विवरणियों की विस्तृत जांच में कमी**

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने परिपत्र संख्या 818/15/2005-CX दिनांक 15 जुलाई 2005 में ईआर-1 और ईआर-3 विवरणियों की संवीक्षा के तरीके के लिये विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित किये थे।

विस्तृत संवीक्षा का उद्देश्य कर विवरणी में प्रस्तुत जानकारी की पुष्टि करना और मूल्यांकन, सेनवैट क्रेडिट के लाभ, छूट अधिसूचना लाभ की स्वीकार्यता को ध्यान में रखने के बाद लगाये गये कर की प्रभावी दर की सटीकता सुनिश्चित करना आदि है। प्राथमिक संवीक्षा के विपरीत, विस्तृत संवीक्षा केवल कुछ चयनित विवरणियों को सम्मिलित करने के लिये होती है, जो करदाता द्वारा प्रस्तुत विवरणियों में प्रस्तुत जानकारी से प्राप्त जोखिम मानदंडों के आधार पर पहचानी जाती हैं।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी, की संवीक्षा नियम पुस्तक 2008 पैरा 4.1ए के साथ पठित पैरा 4बी जोखिम मानदंडों के आधार पर निर्धारण की विस्तृत संवीक्षा के लिये प्राप्त कुल विवरणियों के पांच प्रतिशत तक के चयन का प्रावधान करता है। सीबीईसी ने विस्तृत संवीक्षा करने के लिये फाइल की गई कुल विवरणियों के 2 से 5 प्रतिशत की रेंज निर्धारित करते हुये परिपत्र संख्या

1004/11/2015-CX दिनांक 21 जुलाई 2015 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा के लिये संशोधित दिशानिर्देश जारी किये।

लेखापरीक्षा ने चयनित 50 रेंज से प्राप्त और विस्तृत संवीक्षा के अध्यक्षीन विवरणियों से संबंधित डाटा लिया और यह देखा कि कुल 1,05,212 विवरणियों में से रेंज ने विस्तृत संवीक्षा के लिए 1992 विवरणियों (1.89 प्रतिशत) का चयन किया। इन 1992 विवरणियों में से 278 विवरणियां प्लास्टिक क्षेत्र से संबंधित थी। संवीक्षा से विभाग ने 32 मामलों में ₹ 1.93 करोड़ के राजस्व प्रभाव का पता लगा पाया।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान 31, 34 और 11 रेंज जिन्होंने डाटा प्रदान किया था, ने इस तथ्य के बावजूद भी कि बड़ी संख्या में विवरणियां प्राप्त हुई थी, विस्तृत संवीक्षा हेतु किसी विवरणी का चयन नहीं किया, जैसा विवरण नीचे दिया गया है। इन वर्षों के लिए 9, 10 और 3 रेंज द्वारा डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया था।

तालिका 2.4: वर्षवार फाइल की गई विवरणियों की संख्या

इतने रेंज वाली विवरणियों की संख्या	रेंज की संख्या		
	2013-14	2014-15	2015-16
1000 तक	24	28	31
1001 से 2000	9	10	6
2001 से 3000	2	1	5
3001 से 4000	2	3	2
4001 से ऊपर	-	-	1

पांच रेंज, जहां फाइल की गई विवरणियों की संख्या सर्वाधिक थी लेकिन विस्तृत संवीक्षा हेतु किसी भी विवरणी का चयन नहीं किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:

तालिका 2.5: उच्च विवरणियों की रेंज और विस्तृत संवीक्षा हेतु चयनित विवरणियां

क्र. सं.	कमिश्नरी	डिवीजन	रेंज	फाइल की गई विवरणियों की संख्या			
				2013-14	2014-15	2015-16	कुल
1	दिल्ली I	डिवीज़न I	रेंज V	3,308	3,483	4,000	10,791
2	दिल्ली I	डिवीज़न I	रेंज IV	2,066	2,096	2,495	6,657
3	चेन्नई II	डिवीज़न II	अम्बत्तूर II	1,813	1,942	2,145	5,900
4	बैंगलुरु II	पीन्या II	पीन्या पी	654	629	711	1,994
5	राजकोट	राजकोट I	एआर IV	419	465	537	1,421

हमने इसे इंगित किया (फरवरी और मार्च 2017)।

मंत्रालय ने निम्नलिखित उत्तर दिया (सितम्बर 2017):

- गुड़गांव II और राजकोट कमिश्नरियों के संबंध में यह बताया गया कि आपत्तियों को भविष्य में अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है। कोयम्बटूर, बैंगलुरु और कोलकाता II कमिश्नरियों के संबंध में विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा पूर्ण की जा चुकी है।
- दिल्ली I कमिश्नरी (2013-14 से 2015-16) और हैदराबाद III एवं IV कमिश्नरी (2013-14) के संबंध में यह स्वीकार कर लिया गया कि कोई भी विस्तृत संवीक्षा नहीं की गई थी। दमन और गुवाहाटी कमिश्नरियों के संबंध में यह बताया गया कि कोई भी विस्तृत संवीक्षा लंबित नहीं थी। तथापि प्रदान किए गए डाटा के अनुसार, 2013-14 और 2014-15 के दौरान विस्तृत संवीक्षा के लिए किसी भी विवरणी का चयन नहीं किया गया था।
- 28 रेंज वाली शेष 15 कमिश्नरियों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2017)।

विस्तृत संवीक्षा अनुपालन सत्यापन का पहला क्रम होने के कारण उपरोक्त कमिश्नरियों द्वारा संबंधित वर्षों के दौरान विस्तृत संवीक्षा के लिए विवरणियों का चयन न करना, अनुपालन सत्यापन तंत्र में कमी दर्शाता है।

#### 2.4.6 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा निर्धारितियों द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों और भुगतान किए गए निर्धारण की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए विभाग के पास



उपलब्ध एक अतिरिक्त तंत्र है। यह निर्धारितियों के वैज्ञानिक चयन के माध्यम से पूर्व-तैयारी पर जोर देते हुए जोखिम मूल्यांकन पर आधारित होता है: सांविधिक अभिलेखों के प्रति कारोबारी अभिलेखों की संवीक्षा करते हुए और लेखापरीक्षा बिन्दुओं की निगरानी करके सुनिश्चित किया जाता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2008 के अनुसार, इकाइयों का चयन शुल्क भुगतान मानकों और ₹ 3 करोड़ से अधिक के भुगतान की अनिवार्य वार्षिक लेखापरीक्षा की जाने वाली इकाइयों के आधार पर था। मानको को संशोधित कर दिया गया है और 27 फरवरी 2015 से प्रभावी संशोधित मानको के अनुसार लेखापरीक्षा कमिश्नरी को वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तावित निर्धारितियों का नाम दर्शाने वाले प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक एक वार्षिक योजना जारी करनी होती हैं।

#### **2.4.7 आंतरिक लेखापरीक्षा न करने के परिणामस्वरूप चूकों का पता न लगना**

लेखापरीक्षा ने 29 निर्धारितियों के अभिलेखों की जांच की जिनकी मौजूदा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की जानी थी किन्तु विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा शामिल नहीं किए गए थे और लेखापरीक्षा ने शुल्क के कम भुगतान, अनुचित रूप से सेनवैट क्रेडिट लेने आदि वाले 17 निर्धारितियों के 24 मामलों में चूक देखी जिसमें ₹ 1.06 करोड़ की राशि शामिल थी। इन मामलों का पता लगाया जा सकता था यदि नियमानुसार इन इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई होती।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

##### **2.4.7.1 वस्तुओं के अवमूल्यांकन के कारण शुल्क का कम भुगतान**

यथा संशोधित केन्द्रीय उत्पाद मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का मूल्य निर्धारण) नियमावली, 2000 के नियम 6 अनुसार जहां उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4(1)(क) के अंतर्गत ऐसे मूल्य पर बेची जाती हैं जहां मूल्य ऐसी बिक्री के लिए एकमात्र मूल्य नहीं है, तो मूल्य को समेकित मूल्य माना जाएगा जिसमें क्रेता से माल की मुफ्त आपूर्ति के रूप में प्राप्त अतिरिक्त मूल्य शामिल होगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि औरंगाबाद कमिश्नरी के अंतर्गत आने वाली मै. अल्टिमा प्लास्टिक्स इंडस्ट्रीज ने 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान मै. वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लि. से मुफ्त में मोल्ड्स प्राप्त किए, और मुफ्त में आपूर्त मोल्ड्स की परिशोधित लागत जोड़े बिना विनिर्मित वस्तुओं की निकासी की। इस प्रकार, हटाई गई वस्तुओं के मूल्य में ₹ 63.16 लाख राशि के मुफ्त में प्राप्त मोल्ड्स का मूल्य शामिल न करने के कारण ₹ 7.80 लाख के शुल्क की कम उगाही हुई। विभाग द्वारा उपरोक्त अवधि को शामिल करने वाली इस इकाई की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

हमने इस मामले को उठाया (दिसम्बर 2016) और मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि दस्तावेजों की मांग करते हुए अगस्त 2017 में निर्धारिती को पत्र भेजा जा चुका था। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (सितम्बर 2017)।

शेष 23 मामलों के संबंध में:

- मंत्रालय ने 17 मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कर ली। इनमें से 16 मामलों में ब्याज सहित ₹ 79.85 लाख का शुल्क वसूल किया गया था। एक मामले में लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए गलत वर्गीकरण में सुधार किया गया था।
- 6 मामलों में मंत्रालय ने बताया कि उत्तर बाद में भेजा जाएगा।

#### **2.4.8 आंतरिक लेखापरीक्षा करने के बावजूद चूकों का पता नहीं लगा पाना**

लेखापरीक्षा ने 44 निर्धारितियों के अभिलेखों की जांच की जो विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा में शामिल किए गए थे और ₹ 67.54 लाख की राशि वाले शुल्क के कम भुगतान, सेनवैट क्रेडिट का अनुचित लाभ लेने वाले 20 निर्धारितियों से संबंधित 36 मामलों में चूक देखी। इसप्रकार आंतरिक लेखापरीक्षा करने के बावजूद भी इन 36 चूकों का पता नहीं चला। कुछ निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

### 2.4.8.1 संव्यवहार मूल्य में बरकरार रखी गई वैट छूट राशि का समावेश न करना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4(3)(डी) के अनुसार, “संव्यवहार मूल्य” का अर्थ है बिक्री के समय वस्तुओं के लिए वास्तव में अदा मूल्य या देय मूल्य और मूल्य के रूप में प्रभारित राशि के अतिरिक्त कोई राशि जो किसी भी समय बिक्री से संबंधित अथवा किसी भी कारण से निर्धारिती की ओर से देय हो, शामिल होगी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बिक्री कर जैसे कर जो संग्रहीत होते हैं लेकिन अदा नहीं किए गये अथवा देय हों, वे संव्यवहार मूल्य के भाग होंगे, जैसा कि मै. सुपर सिनोटैक्स इंडिया लि. के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था।

गुवाहाटी कमिश्नरी के अंतर्गत मै. ललित पॉली वीव एलएलपी ने असम इंडस्ट्रीज (कर छूट) योजना 2009 के अंतर्गत छूट का लाभ लिया जिसके अंतर्गत इसने संग्रहीत वैट का 99% रोक लिया था और इसका केवल 1% राज्य सरकार को भुगतान किया था। निर्धारिती ने 2013-14 से 2015-16 (मई 2015 तक) की अवधि में रोकी गई वैट राशि पर उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया। तथापि, निर्धारिती ने जून 2015 से रोके गए वैट पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करना शुरू कर दिया। इसके परिणामस्वरूप निकासी की गई वस्तुओं का कम मूल्य निर्धारण हुआ जिसके कारण 2013-14, 2014-15 और 2015-16 (मई 2015 तक) के दौरान ₹ 22.84 लाख के शुल्क की कम उगाही हुई। अधिनियम की धारा 11ए के अंतर्गत ब्याज भी वसूलीयोग्य था।

2014-15 की अवधि शामिल करते हुए जून 2015 में आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी लेकिन अनियमितताओं का पता नहीं चला था।

हमने इसे इंगित किया (दिसम्बर 2016) और मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि ₹ 22.54 लाख के शुल्क की वसूली की गई। मंत्रालय के उत्तर में आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर कुछ नहीं कहा गया।

### 2.4.8.2 तैयार माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप शुल्क की कम उगाही

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम अधिनियम 1944 की धारा 3 के अनुसार, सभी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं, जो भारत में उत्पादित हैं या बनते हैं, पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में घोषित दरों के अनुसार उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा। औद्योगिक प्रयोग के अलावा, टैरिफ उपशीर्ष 39232100 (एथिलीन के पॉलीमर्स की बोरियां या बैग्स) के अंतर्गत आने वाले एथिलीन के पॉलीमर्स की बोरियां या बैग्स के लिए शुल्क की प्रभावी दर 1 मार्च 2015 की अधिसूचना संख्या 12/2015-सीई द्वारा 1 मार्च 2015 से यथामूल्य 12.5 प्रतिशत से बढ़कर 15 प्रतिशत हो गई थी।

कोलकाता ॥ कमिश्नरी के अंतर्गत में. मनभारी प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड ने एथिलीन के पॉलीमर्स से 'पालीथिन बैग्स' बनाए और इसे उपशीर्ष 39232100 की बजाए टैरिफ उपशीर्ष 39232990 (एथिलीन के पॉलीमर्स की बोरियां या बैग्स) के अंतर्गत इसका गलत वर्गीकरण करते हुए 15 प्रतिशत की बजाए 12.5 प्रतिशत की दर से शुल्क का भुगतान करते हुए गैर-औद्योगिक ग्राहकों को अप्रैल 2015 से फरवरी 2016 के बीच ऐसे 320.43 मी. टन बैग्स की निकासी की। इसके परिणामस्वरूप वसूलीयोग्य ब्याज वसूल किए जाने के अलावा ₹ 10.85 लाख के शुल्क की कम उगाही हुई। यद्यपि 2014-15 की अवधि लेते हुए फरवरी 2016 में इस इकाई की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी, फिर भी इस चूक का पता नहीं लग पाया।

हमने इसे इंगित किया (नवम्बर 2016 और मार्च 2017) तथा मंत्रालय ने ₹ 14.10 लाख के शुल्क और ब्याज की वसूली की सूचना (सितम्बर 2017) दी।

शेष 34 मामलों के संबंध में:

- 31 मामलों में मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया, इनमें से 21 मामलों में 9.17 लाख की शुल्क राशि ब्याज सहित वसूल की गई और 10 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था/कारवाई की गई थी।

- दो मामलों में, मंत्रालय ने बताया कि उत्तर बाद में दिया जायेगा।
- अहमदाबाद III कमिश्नरी के अधीन पारसपैक इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में, मंत्रालय ने बताया कि कार्यकारी आयुक्त के पास छूट की संस्वीकृति की वैधता को अभिनिश्चित करने के लिए समीक्षा तन्त्र है।

तथापि तथ्य यह है कि इस प्रकार की समीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित था (सितम्बर 2017)।

#### 2.4.9 विभागीय ईकाईयों की लेखापरीक्षा में देखी गई अन्य कमियाँ

लेखापरीक्षा ने चयनित रैंजो/डिविजनों में ₹ 2.97 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले चूको के 46 मामले देखे जिनमें शुल्क के कम भुगतान सहित सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना और आयातित माल के संबंध में अभिप्रेत उद्देश्य के लिए अंतिम उपयोग को सुनिश्चित नहीं किया जाना आदि का विभाग द्वारा पता नहीं लगाया गया था।

कुछ दृष्टान्त मामले नीचे दिये गये हैं:

##### 2.4.9.1 कारण बताओ नोटिस के अधिनिर्णय में विलम्ब

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए की उप-धारा 11बी, यथा संशोधित, अनुबन्ध करता है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी जहाँ ऐसा करना यथा सम्भव हो, धोखाधड़ी छिपाव इत्यादि को सम्मिलित करते हुए मामलों के संबंध में, नोटिस की तिथि से एक वर्ष के अन्दर उत्पाद-शुल्क राशि का निर्धारण करेगा।

लेखापरीक्षा ने कोलकाता II कमिश्नरी के तहत हावड़ा IV डिवीजन के अभिलेखों में देखा कि ₹ 5.87 लाख की राशि के लिए मै. वेल बर्गर कोटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में मार्च 2012 में छिपाव को शामिल करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था परन्तु उपरोक्त एससीएन अभी तक अधिनिर्णय किया जाना था।

हमने इसे बताया (दिसम्बर 2016) और मंत्रालय ने सूचित किया (सितम्बर 2017) कि एससीएन अधिनिर्णय प्रक्रिया के तहत हैं।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि इस मामले में एससीएन मार्च 2012 को जारी किया गया था जिसका एक वर्ष की अनुबंधित अवधि के अन्तर्गत अधिनिर्णय किया जाना आवश्यक था। तथापि, यह वर्तमान तिथि तक अधिनिर्णय के लिए लंबित था (सितम्बर 2017)।

#### 2.4.9.2 विस्तृत मैनुअल संवीक्षा के लिए इकाई का गलत चयन

सीबीईसी ने विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा, 2008 की नियमावली के दिशा-निर्देशों के पैरा 4.1बी में विशेष रूप से विनिर्दिष्ट किया गया है कि विस्तृत संवीक्षा के लिए विवरणियों का अंतिम चयन रेंज में कर्मचारियों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा और यह सुनिश्चित करने का उद्देश्य होगा कि जिन इकाइयों का चयन किया गया है उनमें वो इकाइयां नहीं हैं जो पिछले वित्त वर्ष में अनिवार्य रूप से लेखापरिक्षित की गई हैं एवं वर्तमान वर्ष में लेखापरीक्षा के लिए संभावित हैं। यह प्रयास के दोहराव को वर्जित करेगा और रेंज में उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग को अनुकूलन करेगा।

विभाग द्वारा 2014-15 के दौरान किये गये आंतरिक लेखापरीक्षा/ ब्यौरेवार मैनुअल से संबंधित डाटा की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि लेखापरीक्षा चैन्सर्ड ॥ कमिश्नरी के तहत अम्बेतुर । रेंज के तहत आने वाले मैसर्स यूरो लेबर इन्डस्ट्रीज को दिसम्बर 2014 में आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए चयनित किया गया था। तथापि, दिसम्बर 2014 में लेखापरीक्षा की गई इकाई पर ध्यान दिये बिना इसी इकाई को जनवरी 2015 के दौरान डीएमएस के लिए भी चयन किया गया था, 2014-15 के समान वित्त वर्ष के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा और डीएमएस के लिए मैसर्स यूरो लेबर इन्डस्ट्रीज का चयन बोर्ड के निर्देशों का उल्लंघन है।

हमने इस विषय में बताया (फरवरी और मार्च 2017) और मंत्रालय ने कहा (सितम्बर 2017) कि उत्तर बाद में भेजा जायेगा।

#### 2.4.9.3 अंतिम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया और चूक का अननुपालन

अधिसूचना सं. 25/1999 कस्टम दिनांक 28 फरवरी 1999 जब कुल विनिर्दिष्ट तैयार माल के विनिर्माण में उपयोग के लिए भारत में आयात किए

जाते हैं तब कुछ विशेष माल पर छूट प्रदान करता है, जो उस पर उदगाहय सीमा-शुल्क के शुल्क के उस हिस्से से अधिक हो जैसा कि शुल्क की शून्य दर या 5 प्रतिशत के मूल्यानुसार विज्ञापन मूल्य से अधिक हो, बशर्ते कि आयातकर्ता सीमा-शुल्क (उत्पाद शुल्क योग्य माल के विनिर्माण के लिए शुल्क के रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 1996 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करता है।

नियम 5(2) की शर्तों में, ऐसे आयात के पश्चात सहायक आयुक्त/उपायुक्त सीमाशुल्क शुल्क की रियायती दर के अंतर्गत आयातित माल के ब्यौरे सहित आयात के विवरण अंतर्विष्ट करते हुए बिल प्रविष्टि की प्रति के ब्यौरे की प्रतिलिपि सहायक/उपायुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को अग्रेषित करेंगे और यह प्रावधान मार्च 2016 तक के लिए विद्यमान था। उक्त नियमवली के नियम 8 में अनुबंध किया गया है कि सहायक आयुक्त/उपायुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को सुनिश्चित करना है कि आयातित माल विनिर्माण के उद्देश्य के लिए विनिर्माता द्वारा प्रयुक्त किये जाते हैं और यदि वे इसके लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं, तो ब्याज के साथ शुल्क की ऐसी रियायती दर के विस्तार के परिणामस्वरूप छोड़े गए शुल्क की वसूली के लिए कार्रवाई की जानी है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 20 मामलों में, विनिर्माताओं ने अध्याय 39 के तहत आने वाले माल का आयात किया था, जो कि मंडल कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन के आधार पर उक्त अधिसूचना के तहत मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) के भुगतान के बिना था। तथापि, नियम 5(2) के अनुसार शुल्क की रियायती दर के तहत आयातित माल का विवरण बिल प्रविष्टि की प्रतियों के साथ संबंधित सहायक/उपायुक्त, समुद्री बंदरगाह/विमान पत्तन से 16 मामलों में प्राप्त नहीं हुए थे, जैसा कि मार्च 2016 तक आवश्यक था। यद्यपि, इन मामलों में माल का अंतिम उपयोग निर्धारिती द्वारा प्रदान किए गए अभिलेखों के आधार पर सत्यापित किया गया था, वास्तविक आयात के डाटा से यह सत्यापित नहीं किया गया क्योंकि सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा ऐसा कोई डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया। इन 16 मामलों में सम्मिलित शुल्क ₹ 2.27 करोड़ था।

शेष 4 मामलों में, सीमा-शुल्क प्राधिकारियों से न तो कोई डाटा प्राप्त हुआ और न ही अंतिम उपयोग के सत्यापन के लिए कोई कार्रवाई की गई। इन 4 मामलों में छोड़ा गया शुल्क ₹ 50.70 लाख था।

सीमा शुल्क के स.आ./उ.आ., समुद्री बंदरगाह/विमान पत्तन, द्वारा केंद्रीय उत्पादन-शुल्क के स.आ./उ.आ. क्षेत्राधिकारी को बिल प्रविष्टि को प्रेषित करने की प्रक्रिया अधिसूचना सं.32/2016-सीई(एनटी) के अनुसार अप्रैल 2016 को वापस ले ली गई थी। तथापि, शुल्क की रियायती दर पर माल के आयात को स्वतन्त्र रूप से सत्यापित करने के लिए केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के अधिकारिक स.आ./उ.आ. को सक्षम करने के लिए कोई भी तंत्र स्थापित नहीं किया गया है।

हमने दिसम्बर 2016 और मार्च 2017 के बीच इसके विषय में बताया और मंत्रालय ने मैसर्स एडवान्स केबल टेक्नालजी प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु के संबंध में कहा कि सीमा-शुल्क कार्यालयों के अंत पर कार्रवाई किया जाना निहित है जिसके माध्यम से माल आयात किये गये थे। जब तक बिलो की प्रविष्टि सीमाशुल्क गठन द्वारा आधिकारिक केंद्रीय उत्पाद-शुल्क प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किये गये थे, उक्त को स्वीकार करने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, आयातकर्ता ने बिल प्रविष्टि प्रस्तुत किया था और यह केवल एक प्रक्रियात्मक कमी है। मंत्रालय ने आगे कहा कि इस संबंध में सहायक आयुक्त (सीमा-शुल्क), चेन्नई को जून 2017 में एक पत्र भेजा गया था।

उत्तर से यह स्पष्ट है कि आधिकारिक केंद्रीय उत्पाद-शुल्क प्राधिकारी सीमा-शुल्क गठन से बिल प्रविष्टि की प्राप्ति नहीं होने के कारण आयात की प्रमाणिकता को स्वीकार नहीं कर सकते। यह विनिर्माण में आयातित माल की उचित प्राप्ति और उपयोग को सुनिश्चित करने में प्रणाली की कमियों को दिखाता है।

मंत्रालय को सीमा-शुल्क के स.आ./उ.आ. द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारिक स.आ./उ.आ. को आयात के ब्यौरे ऑनलाइन संचरण के रूप में, एक प्रक्रिया स्थापित करने की आवश्यकता है, जिससे आयात के विवरणों को स्वतन्त्र रूप से सत्यापित किया जा सकें।



शेष 43 मामलों के संबंध में:

- मंत्रालय ने 4 मामलों में ₹ 8.77 लाख की वसूली प्रतिवेदित की।
- माल के आयात के लिए प्रक्रिया के अननुपालन को शामिल करते हुए 19 मामलों और शेष 20 मामलों में के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2017)

#### **2.4.10 एसीईएस के तहत पंजीकृत निर्धारिती से वैट डाटा का प्रति-सत्यापन**

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 6(ए) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, जो उत्पादन करता है, विनिर्माण करता है, व्यापार करता है, निजी स्टोर कक्ष या गोदाम रखता है या अन्यथा उत्पाद शुल्क योग्य सामान का उपयोग करता है, पंजीकृत किया जाएगा।

आयुक्त वाणिज्यिक कर पश्चिम बंगाल, वाणिज्यिक कर विभाग, तमिलनाडू/गुजरात और एसीईएस के डाटा के अनुसार केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के पास पंजीकृत प्लास्टिक के विनिर्माताओं के पंजीकरण ब्यौरे से प्राप्त डाटा के प्रति सत्यापन से पता चला कि 117 इकाइयाँ जिनका टर्नओवर ₹ 1.5 करोड़ (एसएसआई सीमा) से अधिक था, वे केंद्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग के पास पंजीकृत नहीं थी। लेखापरीक्षा के इस प्रकार के सत्यापन के परिणाम की रिपोर्ट और 2013-14 से 2015-16 की अवधि के लिए उनके द्वारा समाशोधित ब्यौरे की जांच का व उक्त जांच का परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित करने का विभाग से अनुरोध किया गया था।

एक दृष्टांत मामला नीचे दिया गया है:

कोयम्बटूर कमिश्नरी के तहत मैसर्स गायत्री प्लास्टिक के ₹ 1.50 करोड़ (कुल टर्नओवर ₹ 1.93 करोड़) की एसएसआई छूट सीमा की अनुमति प्रदान करने के बाद, 2014-15 के दौरान तमिलनाडु वैट आवश्यकताओं के अनुसार ₹ 0.43 करोड़ के टर्नओवर की सूचना दी थी। तथापि, इकाई केंद्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग के पास पंजीकृत नहीं थी।

हमने इसके विषय में बताया था (नवम्बर 2016) और मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि उत्तर बाद में भेजा जायेगा।

शेष 116 मामलों के संबंध में, मंत्रालय ने (सितम्बर 2017)

- 104 मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया। यह बताया गया कि इनमें से, तीन इकाईयां लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद पंजीकृत की गई थी और एक मामले में 4.00 लाख के ब्याज के साथ शुल्क की राशि वसूल की गई थी। 101 इकाईयों के संबंध में, यह बताया गया कि कार्रवाई की जा रही है।
- 12 मामलों के संबंध में बताया गया कि उत्तर बाद में भेजा जायेगा।

लेखापरीक्षा की स्वतन्त्र जांच और मंत्रालय के उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि कर जाल के आधार को बढ़ाने के लिए राज्य वाणिज्यिक कर डाटाबेसों के साथ केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क डाटा के प्रति सत्यापन के लिए विभाग द्वारा कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किये गए थे।

#### **2.4.11 अन्य मुद्दे**

लेखापरीक्षा ने निर्धारितियों द्वारा अननुपालन के 190 मामलों को भी देखा, जिसमें शुल्क, ब्याज का गैर/कम भुगतान और ₹ 7.68 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ सेनवैट क्रेडिट इत्यादि का गलत लाभ उठाना शामिल था।

कुछ दृष्टांत मामले नीचे दिये गये हैं:

##### **2.4.11.1 निर्धारणीय मूल्य के गलत अभिग्रहण जिससे अधिक क्रेडिट का हस्तांतरण**

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2000 के नियम 8 के अनुसार, यथा संशोधित, जहाँ उत्पाद-शुल्क योग्य माल के समग्र अथवा भाग को निर्धारिती द्वारा बेचा नहीं जाते हैं परन्तु अन्य वस्तुओं के विनिर्माण एवं उत्पादन में उनकी ओर से अथवा उनके द्वारा उपभोग के लिए उपयोग किये जाते हैं, उपभोग किये गए इस प्रकार के माल का मूल्य इस प्रकार के माल के विनिर्माण एवं उत्पाद की लागत का एक सौ दस प्रतिशत होगा।

चैन्नई IV कमिश्नरी के तहत आने वाले मैसर्स मदरसन सुमी इलेक्ट्रिक वायरस (एमएसईडब्ल्यू) और नोएडा II कमिश्नरी के तहत मैसर्स अजय पॉली प्राइवेट लिमिटेड के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में देखा गया कि इन

निर्धारितियों ने 2013-14 से 2015-16 के दौरान/एक मूल्य अपनाते हुये अर्द्ध-निर्मित माल अपनी सहायक इकाइयों का स्टॉक हस्तांतरित कर दिया था जो कि उत्पाद की लागत का 110 प्रतिशत से अधिक पाया गया था जिसे पूर्व व्यक्त नियम के अनुसार स्वीकार किया जाना आवश्यक था। नियमों के उल्लंघन में, 110 प्रतिशत मूल्य से अधिक के मूल्य स्वीकरण के परिणामस्वरूप 1.72 करोड़ की सीमा से अधिक के शुल्क का भुगतान हुआ इसके बदले में उनकी सहायक इकाइयों को अतिरिक्त सेनवैट क्रेडिट पास करने के लिए प्रेरित किया गया, जो कि एक अनपेक्षित लाभ है और परिहार्य है।

हमने इस विषय में बताया (फरवरी और मार्च 2017), मैसर्स मदरसन सुमी इलेक्ट्रिक वायरस, चेन्नई और मैसर्स अजय पॉली प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा के संबंध में मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि लेखापरीक्षा आपत्तियां इस कारण से स्वीकार्य नहीं हैं कि इनपुट की लागत की अस्थिरता के कारण निर्धारिती ने शुल्क के भुगतान के लिए यह काल्पनिक मूल्य को अपनाया और लागत लेखा मानक (सीएस 4 के बाद मूल्य निर्धारित किया गया तथा उसी को अपनाया गया था। काल्पनिक मूल्य सीएस 4 मूल्य से अल्प रूप से अधिक था जिससे शुल्क का अधिक भुगतान हुआ। आगे कहा गया कि निर्धारिती ने भुगतान किए गए शुल्क के लिए प्रतिदाय का दावा नहीं किया था और सहायक इकाइयों को अत्यधिक क्रेडिट पास करना अनावश्यक नहीं था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं या क्योंकि सहायक इकाइयों को निकासी के लिए सीएस 4 मूल्यांकन अपनाया जाना आवश्यक है। लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी 3 वर्षों (2013-14 से 2015-16) के लिए उच्च मूल्य को स्वीकार किया गया था। शुल्क के भुगतान के लिए अनंतिम निर्धारण की सहायता से सही सीएस 4 मूल्य को अपनाने की गुंजाइश थी जो कि इन मामलों में नहीं किया गया था। सहायक इकाइयों को निकासी के लिए सीएस 4 से अधिक मूल्य को स्वीकार करना अंतिम उत्पाद की मुख्य लागत पर प्रभाव डालेगा।

**2.4.11.2 सड़क संविदा (एफओआर) पर भाड़े के तहत निकासी की गई माल के निर्धारणीय मूल्य में जावक माल भाड़े का समावेश नहीं किया जाना**

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अधिनियम 1944 की धारा 4(3)(ग) के अनुसार, शुल्क उदग्रहण के उद्देश्य के लिए “संव्यवहार मूल्य” का अर्थ है बेचे गये माल के लिए वास्तव में भुगतान किया गया अथवा देय मूल्य और इसमें कोई भी ऐसी राशि शामिल है जिसे खरीदार बिक्री के संबंध में निर्धारिती को भुगतान करने के लिए दायी है, या वह बिक्री के समय देय है एवं किसी अन्य समय में, परिवहन बीमा प्रभार आदि शामिल है।

संशोधित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद-शुल्क योग्य माल का मूल्य निर्धारण) नियमावली, 2000, आगे स्पष्ट करता है कि यदि कारखाना हटाने का स्थान नहीं है, तो कारखाने से हटाये जाने के स्थान जैसे डिपो, प्रेषण एजेंट परिसर आदि के लिए परिवहन की लागत उत्पाद शुल्क योग्य माल के मूल्य को निर्धारित करने के उद्देश्य के लिए अपवर्जित नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने चार निर्धारितीयों के अभिलेखों में देखा (तालिका 2.4) कि खरीदारों के गंतव्य पर माल को पहुँचाने के लिए अपने खरीदारों से संविदा/करार किया था। लेखापरीक्षा ने निर्धारित किया कि उक्त प्रावधानों की शर्तों में 2013-14 से 2015-16 के दौरान भुगतान किये गये जावक माल भाड़ा, खरीदारों के परिसर कारखाने के गेट से माल भाड़े से संबंधित था, और इस प्रकार इसको बिक्री मूल्य में शामिल किया जाना आवश्यक था और इस माल-भाड़े पर शुल्क उदग्रहण था।

तालिका 2.6: माल-भाड़े को शामिल नहीं करने के कारण कम भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कमिश्नरी	निर्धारिती का नाम	जावक माल-भाड़े की राशि	उदयाहय उत्पाद-शुल्क
1	नोएडा I	मैसर्स इन्टग्रेट कैप्स लि. (इकाई II)	633.19	78.53
2	नोएडा II	मैसर्स ईस्ट इंडिया टेक्नालोजी प्रा. लि.	478.19	59.38
3	नोएडा II	मैसर्स अजय पॉली प्रा. लि.	130.15	16.15
4	नोएडा II	मैसर्स अपटूडेट प्लास्टिक एण्ड पैकेजिंग प्रा. लि.	17.78	2.21
कुल			1,259.31	156.27

उपरोक्त चार मामलों में माल के निर्धारणीय मूल्य में जावक माल भाड़े को सम्मिलित नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.56 करोड़ के उत्पाद-शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

हमने इस विषय में बताया (फरवरी 2017) और मंत्रालय ने (सितम्बर 2017) उत्तर दिया जो निम्न प्रकार है:

- मैसर्स इन्टग्रेटेड कैप्स लि. (इकाई II) के संबंध में, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
- नोएडा II कमिश्नरी के तहत मैसर्स ईस्ट इंडिया टेक्नालोजी प्रा. लि. मैसर्स अजय पॉली प्राइवेट लि. और मैसर्स अपटूडेट प्लास्टिक एण्ड पैकेजिंग प्राइवेट लि. के संबंध में यह बताया गया कि संव्यवहार मूल्यों को स्वीकार करके माल की निकासी की गई थी जो कि माल-भाड़े के साथ सम्मिलित था। अतः शुल्क के भुगतान के लिए अपनाया गया मूल्य सही था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह देखा गया था कि मैसर्स ईस्ट इंडिया टेक्नालोजी प्राइवेट लि., नोएडा II, के मामले में, निर्धारिती ने खरीदारों के साथ संविदा करार किया था और जावक माल-भाड़ा एक पृथक लागत की मूलवस्तु है। इसीलिए यह निर्धारणीय मूल्य में शामिल करने योग्य था। मैसर्स अजय पॉली प्राइवेट लि. और मैसर्स अपटूडेट प्लास्टिक एण्ड पैकेजिंग प्राइवेट लि. के संबंध में जावक भाड़ा पृथक रूप से संग्रहित किया गया और इसलिये

निर्धारणीय मूल्य शामिल योग्य था। यद्यपि, विभाग ने मैसर्स इन्टीग्रेटेड कैप्स लि. (इकाई II), नोएडा। कमिश्नरी के संबंध में इसी विषय पर एससीएन जारी किया था, जो लेखापरीक्षा कार्रवाई की पुष्टि करता है।

#### 2.4.11.3 डेबिट-नोट के आधार पर सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ लेना

सेनवैट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 9(2) प्रावधान करता है कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमावली, 2002 अथवा सेवा कर नियमावली 1994 के तहत यथा निर्धारित सभी विवरण जब तक उपरोक्त दस्तावेज में शामिल नहीं हैं, जैसा भी मामला हो, तब तक कोई भी सेनवैट क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राजकोट कमिश्नरी में मैसर्स मैल्टीफैलक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2013-14 से 2015-16 के दौरान मैसर्स बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए उत्पाद शुल्क योग्य माल की अनुमति दी गई थी। कुछ क्षतिग्रस्त माल मैसर्स बालाजी वेफर्स प्रा. लि. द्वारा वापस किये गये थे जिसके लिए उनके द्वारा निर्धारिती को डेबिट नोट जारी किया गया था जिसमें उत्पाद शुल्क ब्यौरें सम्मिलित नहीं थे। मैसर्स बालाजी मैल्टीफैलक्स प्राइवेट लिमिटेड ने 2014-15 के दौरान इन डेबिट नोट के आधार पर ₹ 36.38 लाख का क्रेडिट लिया था जो कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन था।

हमने इसे बताया था (नवम्बर 2016) और मंत्रालय ने कहा था (सितम्बर 2017) कि गलत सेनवैट क्रेडिट के लिए दिसम्बर 2011 से मार्च 2016 की अवधि को सम्मिलित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और ₹ 36.38 लाख की राशि वसूल की गई।

#### 2.4.11.4 पृथक खाता अनुरक्षित नहीं किये जाने के कारण सेनवैट का वापस न होना।

जहाँ एक विनिर्माता अथवा आउटपुट सेवा प्रदाता पृथक खाता अनुरक्षित किये बिना सामान्य इनपुटो अथवा इनपुट सेवाओं के संबंध में सेनवैट क्रेडिट का लाभ लेता है और विनिर्माता इस प्रकार के अंतिम उत्पादो या इस प्रकार की आउटपुट सेवाओं को प्रदान करता है जो कि कर योग्य है और साथ में माल/सेवा के रूप में छूट प्राप्त है, तब, विनिर्माता एवं आउटपुट सेवा प्रदाता नियम 6(3)(i) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सूत्र के अनुसार राशि का भुगतान करेगा।

इसके आगे, सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 6(3डी) (सी) अनुबंधित करता है कि व्यापार के मामले में छूट प्राप्त सेवा का मूल्य बिक्री किये गये माल की लागत की 10 प्रतिशत एवं बिक्री मूल्य और बिक्री माल की लागत (उनकी खरीदो के संबंध में वहन किये गये खर्चों को शामिल किये बिना सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार निर्धारित किया गया) के बीच अंतर होगा जो अधिक है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि मैसर्स कवित इन्डस्ट्रीज सेवा कर नोएडा कमिश्नरी के तहत दोनों विनिर्माण करने और करोबारी गतिविधियों में संलग्न थे परन्तु न तो पृथक खातों को अनुरक्षित किया और न ही उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार 6 प्रतिशत मूल्यराशि का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 16.67 लाख का भुगतान नहीं किया गया।

हमने इसके विषय में बताया (फरवरी 2017) और मंत्रालय ने कहा (सितम्बर 2017) कि निर्धारित अनुपातिक क्रेडिट का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया था। आगे कहा गया कि दस्तावेजों की प्राप्ति पश्चात, कारण बताओ नोटिस का मसौदा, जारी किया जायेगा।

शेष 182 मामलों के संबंध में, मंत्रालय ने

- 175 मामलों में आपत्तियों को स्वीकार किया। इनमें से, 133 मामलों में ₹ 2.96 करोड़ की राशि ब्याज सहित वसूली गई थी। शेष 42 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था/कार्रवाई की गई।
- 7 मामलों में कहा गया कि उत्तर भेज दिया जायेगा।

## 2.5 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में देखा गया कि प्लास्टिक सेक्टर में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण, निर्धारण और संग्रहण के संबंध में विभाग द्वारा नियमों के अनुपालन और प्रक्रियाओं में कमी थी। विवरणियों की अपर्याप्त मॉनीटरिंग, विवरणियों की संवीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा और मॉनीटरिंग तंत्र में कमियां द्वारा यह दर्शाया गया है।





### अध्याय III

## तम्बाकू उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क का उदग्रहण और संग्रहण

### 3.1 प्रस्तावना

भारतीय तम्बाकू, 17 वीं शताब्दी में पुर्तगाल द्वारा लाया गया, अपनी समृद्ध खुशबुदार स्वाद और मृदुलता के लिए दुनिया भर में सराहा जाता है। भारत लगभग ₹ 80 करोड़ किलोग्राम के वार्षिक उत्पादन और लगभग 4.3 लाख हेक्टेयर के कृषि क्षेत्र के साथ विश्व में दुसरा सबसे बड़ा तम्बाकू उत्पादक है। देश में उत्पादित तम्बाकू की कुल राशि में से लगभग 48 प्रतिशत चबाने वाले तम्बाकू के रूप में खपत की जाती है, 38 प्रतिशत बीड़ी के रूप में, और 14 प्रतिशत सिगरेट के रूप में प्रयोग किया जाता है।

#### 3.1.1 हमने यह विषय क्यों चुना

तम्बाकू पेट्रोलियम उत्पादों के बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क के तहत दूसरी सबसे अधिक राजस्व अर्जन वस्तु है। तालिका 3.1 2013-14 से 2015-16 की अवधि के लिए कुल केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व की तुलना में तम्बाकू उत्पादों से राजस्व की वृद्धि को दर्शाता है।

तालिका 3.1 कुल केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में तम्बाकू से प्राप्त राजस्व का हिस्सा  
(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	वर्ष	केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व	तम्बाकू उत्पादों से प्राप्त राजस्व	केंद्रीय उत्पाद राजस्व के प्रतिशत के रूप में तम्बाकू उत्पादों का राजस्व
1	2013-14	1,69,455	16,050	9.47
2	2014-15	1,89,038	16,676	8.82
3	2015-16	2,87,149	21,463	7.47

स्रोत: मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गये आंकड़े।

तम्बाकू और विनिर्मित तम्बाकू विकल्प केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 के अध्याय 24 के और सिगरेट पर उत्पाद शुल्क योग्य विनिर्मित उत्पादों पर विभागीय निर्देशों के नियमावली के तहत वर्गीकृत करने योग्य हैं। तम्बाकू उत्पाद को दो प्रकार से वर्गीकृत किये जाते हैं, (i) धूम्रपान (सिगरेट और बीड़ी) और (ii) धूम्रपान रहित, सामान्य चबाने वाले तम्बाकू के रूप में

जाना जाता है। सिगरेट पर शुल्क परिवर्ती लम्बाई पर प्रति हजार और बीड़ी पर, बीड़ी उपकर सहित प्रति हजार बीड़ी पर उद्ग्रहीत किया जाता है।

चबाने वाले तम्बाकू के संबंध में, पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण शुल्क का संग्रहण क्षमता निर्धारण) नियमावली 2008 और चबाने वाले तम्बाकू और अविनिर्मित तम्बाकू पैकिंग मशीन (शुल्क क्षमता निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2010 के तहत माने गए 'उत्पादन' पर शुल्क उद्ग्रहीत किया जाता है।

सिगरेट पर शुल्क की दर में वित्त अधिनियमों में वर्ष दर वर्ष वृद्धि की जाती है, क्योंकि तम्बाकू उत्पाद बुरे उत्पाद और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माने जाते हैं। इसी कारण से लगाया गया शुल्क उच्च दर पर होता है। चबाने वाले तम्बाकू पर शुल्क, मानी गई उत्पादन पर उद्ग्रहीत, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया जाता है। जहाँ तक बीड़ी का विषय है, इस आधार पर कि इसकी खपत मुख्य रूप से ग्रामीण जनता के बीच है और उनके खरीदने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, सिगरेट और चबाने वाले तम्बाकू की तुलना में शुल्क की दर कम है।

तम्बाकू एक बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर है, तम्बाकू की खेती और विनिर्माण सेक्टरों में लगभग 3 करोड़ लोग कार्यरत हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि बीड़ी विनिर्माण करने में ही लगभग 44 लाख कामगारों को रोजगार प्राप्त है।

खतरनाक/नशीले उत्पादों के रूप में मानते हुए उन पर लगाये गए उच्च दर पर विचार करते हुए और अधिनियम/नियमों/अधिसूचनों के विशिष्ट प्रावधानों के तहत तम्बाकू उत्पादों पर शुल्क के संग्रहण और उद्ग्रहण, निर्धारण को ध्यान में रखते हुए, इस विषय का चयन लेखापरीक्षा के लिए किया गया था।

### 3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

नियमों, अधिनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों/निर्देशों/कारोबार सूचनाएं इत्यादि की पर्याप्त निर्धारण के लिए विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के विषय और तम्बाकू सेक्टर से संबंधित उत्पाद शुल्क के संग्रहण और निर्धारण, उद्ग्रहण के

संबंध में, आंतरिक नियंत्रण सहित उनका अनुपालन समय-समय पर जारी किया जाता है और उसकी मॉनीटरिंग की जाती है।

### 3.3 कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा कवरेज

लेखापरीक्षा ने बोर्ड द्वारा उपलब्ध ऑटोमेशन ऑफ सेन्ट्रल एक्साईज एंड सर्विस टैक्स (एसीईएस) में डाटा से 2013-14 से 2015-16 की अवधि के लिए तम्बाकू और तम्बाकू विकल्पों से संबंधित राजस्व डेटा का संग्रहण किया और कुल राजस्व संग्रहण, इकाई सेनवेट क्रेडिट के प्रयोग, इकाई में शुल्क के गैर/अल्प भुगतान के मामलों की संख्या आदि मापदंडों के आधार पर नमूना इकाईयों का चयन दिया। तदनुसार, लेखापरीक्षा ने कुल 119 कमिश्नरियों में 28 कमिश्नरियों का चयन किया जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मामले देखती हैं और 35 डीविजन रेंज उनके अन्तर्गत हैं। कमिश्नरियों<sup>16</sup> के चयनित नमूने में वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान तम्बाकू उत्पादों से कुल राजस्व का लगभग 48 प्रतिशत, 51 प्रतिशत और 67 प्रतिशत शामिल किया गया था।

लेखापरीक्षा ने की जाने वाली विस्तृत समीक्षा नियत परंतु जो की नहीं की गई/की गई संवीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा नियत परंतु की नहीं गई/की गई आंतरिक लेखापरीक्षा, निर्धारिती आदि द्वारा शुल्क का गैर भुगतान/कम भुगतान सहित मानदंडों के आधार पर इन चयनित कमिश्नरी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले 264 निर्धारितियों का चयन किया। इस एसएससीए में कवर की गई अवधि 2013-14 (विव. 14) से 2015-16 (विव. 16) थी।

### 3.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

#### 3.4.1 विवरणियों की गैर/विलंबित फाइलिंग

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 का नियम 12(1) अनुबद्ध करता है कि प्रत्येक निर्धारिती द्वारा (एसएसआई यूनिट के अतिरिक्त) मासिक विवरणी (फार्म ईआर-1) जिस माह के लिए नियत है के आगामी माह की 10 तारीख

<sup>16</sup> इसमें 25 कमिश्नरियों के राजस्व सम्मिलित हैं क्योंकि 3 कमिश्नरियां कानपुर, पटना और जालंधर के डाटा उपलब्ध नहीं थे।

तक उत्पाद विवरण, माल को हटाये जाने के विवरण के साथ प्रस्तुत करेगा। यद्यपि, कोई विशिष्ट शास्ति रिटर्न की गैर/विलंबित फाइलिंग के लिए निर्दिष्ट नहीं है, किसी नियम के उल्लंघन के लिए ₹ 5000 की अधिकतम सीमा तक सामान्य शास्ति उक्त नियमों के नियम 27 निर्धारित करता है, जो रिटर्न की गैर/विलंबित फाइलिंग के लिए लागू है।

61 रैंज से प्राप्त तंबाकू उत्पाद के विनिर्माता द्वारा प्रस्तुत किये गये इआर-1 रिटर्न के विवरण से पता चला कि 13 रैंज में 3,838 मामलों में गैर-फाइलिंग के मामले थे और 30 रैंज में ईआर-1 विवरणियों के 1480 मामले विलंबित फाइलिंग के थे। यद्यपि, विभाग ने रिटर्न की विलंब फाइलिंग के लिए 24 रैंज में केवल 579 मामले (39.12 प्रतिशत) में ₹ 4.59 लाख की राशि और विवरणियों के गैर-फाइल करने के 16 मामलों में ₹ 0.05 लाख की शास्ति उद्ग्रहीत की। विभाग ने गैर फाइल करने के 3822 (99.58 प्रतिशत) मामलों और रिटर्न के विलंबित फाइल करने के 901 (60.88 प्रतिशत) मामलों में न तो कोई कार्रवाई की न ही कोई शास्ति लगाई। 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान कार्रवाई हेतु पांच रैंज में 100 से अधिक मामले लंबित थे, जिन्हें नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

तालिका 3.2 कार्रवाई हेतु लंबित गैर/विलंब से फाइल विवरणियां

क्रम सं.	कमिश्नरी	मंडल	रैंज	कार्रवाई हेतु लंबित विवरणियों की गैर/विलंबित फाइलिंग के मामलों की सं.			
				2013-14	2014-15	2015-16	कुल
1	हैदराबाद-II	कोथूर	महबूबनगर-I	504	552	561	1617
2	जबलपुर	जबलपुर	रैंज I	353	360	321	1034
3	जबलपुर	जबलपुर	रैंज III	260	300	421	981
4	बेंगलुरु IV	दावानगरे	चित्रदुर्ग	172	139	154	465
5	बोलपुर	बरहामपुर	धुलियान-I	31	79	50	160

हैदराबाद-II कमिश्नरी के अंतर्गत महबूबनगर-I रैंज और जबलपुर कमिश्नरी के अंतर्गत रैंज III में विवरणियों के गैर/विलंब से फाइल करने के मामलों की संख्या में तीन वर्षों के दौरान वृद्धि हुई थी।

विवरणियों के गैर/विलंबित फाइल करने पर कार्रवाई न करना मॉनीटरिंग निगरानी तंत्र की ढीलाई को दर्शाता है जो कि गलत निर्धारितियों के लिए एक निवारण के रूप में कार्य करता है।

जब हमने यह बताया (अक्टूबर 2016 और दिसम्बर 2016), मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2017) कि:

- 2,577 मामलों में, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया इसमें से 285 मामलों में ₹ 2.04 लाख की विलंब फीस वसूल की गई थी 2,175 मामलों में एससीएन जारी किये गये थे/जारी किए जा रहे हैं और 117 मामलों में कार्रवाई की जा रही थी।
- 1,681 मामलों में, यह कहा गया कि दुरस्थ स्थानों पर स्थित छोटी बीड़ी उत्पादक इकाइयां गैर-फाइलकर्ता हैं और अशिक्षित ग्रामीण द्वारा चलाया जाता है जो विधि प्रावधानों को नहीं जानते। उन तक पहुँचने के प्रयास किये गये और बीड़ी विनिर्माण क्रियाकलाप को बंद करने के कारण उनको पंजीकरण रद्द करवाने का परामर्श दिया गया। मंत्रालय ने कहा कि इन निर्धारितियों के प्रति कोई लंबित बकाया नहीं है।
- 465 मामलों में, यह कहा गया था कि ई-फाइलिंग के बारे में जागरूक करने के लिए बीड़ी इकाइयों को अनुसरण कराये जाने के सभी प्रयास किये गये थे और सभी बीड़ी इकाइयां विवरणियों की ई फाइलिंग आरंभ कर चुकी थी।

### **3.4.2 विवरणियों की प्रारंभिक संवीक्षा - समीक्षा और शोधन (आर एंड सी) मामलों का लंबन**

एसीइएस को प्रारंभ करने के बाद, विवरणियों की प्रारंभिक संवीक्षा स्वयं प्रणाली द्वारा की जा रही है। विवरणियों की प्रारंभिक संवीक्षा का उद्देश्य सूचना की पूर्णता, रिटर्न का समयबद्ध प्रस्तुतीकरण, शुल्क का भुगतान, संगणित राशि की अंकगणितीय सटीकता और गैर-फाइलकर्ता/फाइल न करने वालों की पहचान करना सुनिश्चित करना है। जहां एसीइएस प्रणाली द्वारा कोई त्रुटि पाई गई है, ऐसे सभी विवरणियों को समीक्षा और शोधन

(आर एंड सी)<sup>17</sup> हेतु चिन्हित किया जाता है। एसीइएस द्वारा आरएंडसी हेतु चिन्हित विवरणियों को निर्धारिती के साथ परामर्श के बाद वैध किया जाना चाहिए और प्रणाली में पुनः प्रविष्ट किया जाना चाहिए। सभी विवरणियों की प्रारंभिक संवीक्षा विवरणियों की प्राप्ति की तिथि से तीन महीनो के अंदर में की जानी है।

लेखापरीक्षा ने तंबाकू क्षेत्र से संबंधित प्रारंभिक संवीक्षा के संबंध में चयनित 61 रेंज से डाटा प्राप्त किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि एसीइएस द्वारा आरएंडसी हेतु चिन्हित 46,767 विवरणियों में से, विभाग तीन महीनों के अनुबद्ध समय के अंदर केवल 36,696 (78.47 प्रतिशत) ही सही कर सका। इस प्रकार, आरएंडसी हेतु 10,071 विवरणियां लंबित थी। छः रेंज<sup>18</sup> ने वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए डाटा उपलब्ध नहीं कराया। इस प्रकार, लेखापरीक्षा इन कमिश्नरियों के निष्पादन पर टिप्पण करने में सक्षम नहीं था। रेंज जहां अधिकतम विवरणियां आरएंडसी के लिए लंबित थे, को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

तालिका 3.3: प्रारंभिक संवीक्षा - आरएंडसी मामलों का अधिक लंबन

क्र. सं.	कमिश्नरी	डिविजन	रेंज	विवरणियों की सं. जहां आरएंडसी लंबित था			
				2013-14	2014-15	2015-16	कुल
1	तिरुनेलवेली	तिरुनेलवेली	पलयामकोटाई	979	1,279	1,567	3,825
2	तिरुनेलवेली	तिरुनेलवेली	टनकसी	1,232	1,207	1,234	3,673
3	कोलकाता III	कल्याणी	रेंज III	369	430	792	1,591
4	चेन्नई III	वेल्लोर	गुडियाथम	0	0	408	408
5	लखनऊ	डिविजन I	ऐशबाग	96	94	59	249
6	सोनीपत	कुंडली II	कुंडली V	0	66	137	203

तिरुनेलवेली कमिश्नरी के अंतर्गत पलयामकोटाई और कोलकाता कमिश्नरी के अंतर्गत रेंज III में आरएंडसी मामलों का लंबन तीन वर्षों के दौरान बढ़ रहा था।

जब हमने इसे बताया (अक्टूबर 2016 और दिसम्बर 2016 के बीच), मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2017) जो इस प्रकार हैं:

<sup>17</sup> चिन्हित विवरणियों के संबंध में त्रुटियां सुलझाने की प्रक्रिया आरएंडसी कहलाती है।

<sup>18</sup> पुणे-V कमिश्नरी के अंतर्गत रेंज आइटीसी नागपुर-II, कमिश्नरी के अंतर्गत गोंडिया-II, कालीकट कमिश्नरी के अंतर्गत तेनीचरी, भोपाल कमिश्नरी के अंतर्गत दमोह-II, जबलपुर कमिश्नरी के अंतर्गत जबलपुर, उदयपुर कमिश्नरी के अंतर्गत उदयपुर-III।

- 9,814 मामलों में, मंत्रालय ने आरएंडसी का लंबन स्वीकार किया। इनमें से 7,498 मामलों में रैंज अधिकारियों को शीघ्र ही लंबन समाप्त करने के लिए निर्देश दिये थे, 1,591 मामलों में, आरएंडसी निपटाये गये थे, आरएंडसी के लिए चिन्हित सभी विवरणियों के 408 मामलों को बाद में निपटाया, 249 मामलों में, लंबन 249 मामलों से घटकर 31 मामलों तक ला दिया।
- 257 मामलों में सोनीपत कमिश्नरी के अंतर्गत यह कहा गया था कि उत्तर बाद में दिया जाएगा।

आरएंडसी करने में विलंब न केवल विवरणियों की संवीक्षा की खराब मॉनीटरिंग का संकेतक है बल्कि यह संभावित राजस्व से बचाव को भी बढ़ावा दे सकता है क्योंकि आरएंडसी का लंबन मामलों को समय बाधित कर सकता है और इसके परिणामस्वरूप राजस्व हानि हो सकती है।

### 3.4.3 विस्तृत संवीक्षा के लिए विवरणियों के चयन में अपर्याप्तता

दिनांक 15 जुलाई 2015 को बोर्ड परिपत्र सं. 818/15/2005-सीएक्स ने ईआर-1 और ईआर-3 विवरणियों की संवीक्षा के ढंग के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित किया था।

विस्तृत संवीक्षा का उद्देश्य कर विवरणी में प्रस्तुत की गई सूचना की और मूल्यांकन की सटीकता, सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाना, छूट अधिसूचना की स्वीकार्यता का लाभ उठाने आदि को ध्यान में रखने के बाद लागू कर का वर्गीकरण और प्रभावी दर को सुनिश्चित करने के लिए वैधता स्थापित करना है। प्रारंभिक संवीक्षा के विपरीत, विस्तृत संवीक्षा करदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियों में प्रस्तुत सूचना से विकसित जोखिम मापदण्डों के आधार पर पहचानी गई केवल विशेष चयनित विवरणियों को कवर करना है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा हेतु नियम पुस्तक, 2008 के पैरा 4.1ए के साथ पठित पैरा 4बी जोखिम मापदण्डों के आधार पर निर्धारण की संवीक्षा के लिए प्राप्त कुल विवरणियों के पांच प्रतिशत तक चयन को दर्शाता है। सीबीइसी ने विस्तृत संवीक्षा करने के लिए फाइल की गई कुल विवरणियों का 2 से 5 प्रतिशत की रैंज निर्धारित करते हुए दिनांक 21 जुलाई 2015 के

परिपत्र सं. 1004/11/2015 सी.शु. में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की संवीक्षा के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किये।

लेखापरीक्षा ने चयनित 61 रैंज से प्राप्त विवरणियों और विस्तृत संवीक्षा के अंतर्गत होने योग्य विवरणियों के संबंध में डाटा प्राप्त किया। 61 रैंज में से 8 रैंज केवल सिगरेट विनिर्माताओं का निपटान करती हैं जो आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए अनिवार्य यूनिट हैं और इसलिए वे विस्तृत संवीक्षा के अंतर्गत नहीं हैं। अन्य 14 रैंज ने तीन वर्षों के लिए गलत/अपूर्ण डाटा उपलब्ध कराया। शेष 39 रैंज में से, जिन्होंने तीन वर्षों के लिए डाटा उपलब्ध कराया, यह देखा गया कि, इस तथ्य के बावजूद कि प्राप्त किये गई विवरणियों की संख्या काफी थी, क्रमशः 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान 34, 33 और 23 रैंज में विस्तृत संवीक्षा के लिए कोई विवरणी चयनित नहीं की गई, जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

तालिका 3.4: वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए रैंज में फाइल की गई विवरणियां

विवरणियों की संख्या की रैंज	रैंज की संख्या		
	2013-14	2014-15	2015-16
500 तक	15	17	13
501 - 1000	12	09	07
1000 से अधिक	07	07	03
<b>कुल</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>23</b>

वे रैंज जहां पर प्राप्त हुई विवरणियों की संख्या 1000 और अधिक थी, जहां विस्तृत संवीक्षा के लिए लेखापरीक्षा में चयनित सभी तीन वर्षों में कोई विवरणी चयनित नहीं की गई थी, के विस्तृत विवरण नीचे दिये गये हैं:

तालिका 3.5: उच्च विवरणियों वाली और विस्तृत संवीक्षा के लिए एक भी विवरणी चयनित नहीं करने वाली रैंज

क्र. सं.	कमिश्नरी	मंडल	रैंज	प्राप्त की गई रिटर्न की संख्या			
				2013-14	2014-15	2015-16	कुल
1	कोलकाता-III	कल्याणी	रैंज-V	2,160	2,268	2,352	6,780
2	कोलकाता-III	कल्याणी	रैंज-III	1,640	1,606	1,651	4,897
3	बोलपुर	बरहामपुर	धुलीआन-I	1,182	1,313	1,498	3,993

यह देखा गया कि इन 39 रैंज में प्राप्त 76,138 विवरणियों में से केवल 308 (0.40 प्रतिशत) विवरणियां विस्तृत संवीक्षा के लिए चयनित की गई थी जो अपेक्षित 2 से 5 प्रतिशत से काफी कम थी। इसके अतिरिक्त इन 308



विवरणियों में से, 191 तंबाकू क्षेत्र से संबंधित थीं और रेंज ने 178 विवरणियों की संवीक्षा की। इन 178 विवरणियों में से, विभाग 1.86 लाख के राजस्व निहितार्थ वाले केवल 2 मामलों में कमियों की जांच करने में समर्थ रहा।

अतः विस्तृत संवीक्षा के चयन में कमी थी। विस्तृत संवीक्षा के दौरान कमियों की जांच की कम सीमा चयन मानदंड, नामतः सेनवैट उपयोगिता विगत वर्ष से पीएलए द्वारा अदा किये गये शुल्क की प्रतिशतता में कमी को संकेत करता है।

जब हमने इसे बताया (अक्टूबर 2016 और दिसम्बर 2016 के बीच), वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए गलत/अपूर्ण (14 रेंज) डाटा के संबंध में मंत्रालय ने अग्रलिखित कहा (अक्टूबर 2017):

- एक रेंज में, गलत डाटा प्रस्तुत करने के लिए मंत्रालय ने खेद प्रकट किया है।
- दस रेंज में, यह कहा गया था कि आंतरिक लेखापरीक्षा/विस्तृत संवीक्षा की गई है/कार्रवाई आरंभ की गई है के जोखिम पैरामीटरो के अंतर्गत अनिवार्य रूप से इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है।
- दो रेंज में यह कहा गया कि उत्तर बाद में दिया जाएगा।
- एक रेंज में, यह कहा गया कि विस्तृत संवीक्षा के लिए चयनित विवरणियां 2 से 5 प्रतिशत थीं।

उत्तर मान्य नहीं है, मंत्रालय विभिन्न कमिशनरियों के अंतर्गत विभिन्न रेंज की विवरणियों की संख्या जोड़ कर उक्त प्रतिशत तक पहुँचा। यद्यपि, समान रेंज और कमिशनरी में विवरणियों के चयन के लिए प्रतिशतता सुनिश्चित किया जाना होता है।

वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए विस्तृत संवीक्षा (39 रेंज) के चयन में कमी के संबंध में मंत्रालय ने निम्नलिखित कहा (अक्टूबर 2017):

- पंद्रह रेंज में, यह कहा गया कि नियमित रूप से आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा इकाइयों की लेखापरीक्षा की जा रही है। इसके अतिरिक्त, तंबाकू

इकाइयों के संबंध में, कोई भी इकाई विस्तृत संवीक्षा के चयन के लिए निर्धारित जोखिम पैरामीटर के अंतर्गत नहीं आती।

- तेरह रैंज में, यह कहा गया था कि विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा के लिए कार्रवाई की गई/प्रारंभ की गई।
- सात रैंज में, यह कहा गया कि उत्तर दिया जाएगा।
- चार रैंज में, उत्तर में देखा गया यह पाया गया कि मंत्रालय ने मै. न्यू कामथ टोबैको लिमिटेड अर्थात इस रिपोर्ट के पैरा 3.6.3 के संबंध में पाऊच की अधिक खरीद से संबंधित उत्तर प्रस्तुत किया। जो विस्तृत संवीक्षा के चयन में कमी से संबंधित नहीं है।

अनुपालना सत्यापन के प्रथम कार्य के रूप में विस्तृत संवीक्षा में उपरोक्त कमिशनरियों द्वारा संबंधित वर्षों के दौरान विस्तृत संवीक्षा के दौरान विवरणियों के चयन में कमी अनुपालन सत्यापन तंत्र में कमी को दर्शाता है।

### 3.5 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा अदा किये गये शुल्क के निर्धारण और निर्धारितियों द्वारा रखे गये रिकॉर्डों की सटीकता सुनिश्चित करने हेतु विभाग के पास अतिरिक्त उपलब्ध तंत्र है। इसे सांविधिक रिकॉर्ड के प्रति बिजनैस रिकॉर्ड की संवीक्षा कर और लेखापरीक्षा बिन्दुओं की मॉनीटरिंग द्वारा, पूर्व-तैयारी पर जोर देकर जोखिम विश्लेषण के आधार पर निर्धारितियों के वैज्ञानिक चयन द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा नियमपुस्तक 2008 के अनुसार, इकाइयों का चयन शुल्क भुगतान नियमों के आधार पर था और ₹ 3 करोड़ से अधिक का भुगतान करने वाली इकाइयों की वार्षिक रूप से लेखापरीक्षा की जानी अनिवार्य थी। पृथक लेखापरीक्षा कमिशनरी (अक्टूबर 2014) के गठन के परिणामस्वरूप, यह निर्धारित करते हुए कि लेखापरीक्षा कमिशनरी प्रत्येक वर्ष 31 मई तक वार्षिक योजना निर्धारिती का नाम जिसे वर्ष की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तावित किया गया है, दर्शाते हुए प्रकाशित करेगा। प्रतिमानों में संशोधन किया गया है (27 फरवरी 2015)।

### 3.5.1 आंतरिक लेखापरीक्षा के ना किये जाने के परिणामस्वरूप चूकों का पता ना लगना

लेखापरीक्षा ने 22 निर्धारितियों के रिकॉर्ड की जांच की जिनकी मौजूदा प्रतिमानों के अनुसार उनकी लेखापरीक्षा की जानी नियत थी, परंतु विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा सम्मिलित नहीं किये गये। हमने सामान के गलत वर्गीकरण, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कर के गैर भुगतान कम भुगतान, सेनवैट क्रेडिट आदि का अनियमित लाभ उठाने सहित ₹ 9.40 लाख राशि के 7 निर्धारितियों से संबंधित 11 मामलों में कमियां देखी। इन मामलों को पता लगाया जा सकता है यदि इन यूनिटों को लेखापरीक्षा के अधीन रखा जाता। दो निदर्शी मामले हैं:

#### 3.5.1.1 माल परिवहन एजेंसी (जीटीए) के अंतर्गत सेवा कर का गैर-भुगतान

सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 2(1)(डी)(i)(बी) में प्रावधान है कि यदि सेवा के प्राप्तकर्ता कोई फैक्ट्री, कंपनी कोर्पोरेशन, सहकारी सोसाइटी, सहभागी फर्म आदि हैं तो माल परिवहन एजेंसी (जीटीए) सेवा के प्राप्तकर्ता सेवा कर अदा करने के लिए उत्तरदायी हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि हैदराबाद । कमिश्नरी में मै. वानी नवशक्ति बीडी कंपनी, कामारेड्डी में 2015-16 के दौरान परिवहन प्रभार के रूप में ₹ 51.29 लाख का व्यय किया। किये गये व्यय पर निर्धारिती ने सेवाकर देयता का भुगतान नहीं किया। इसके कारण ₹ 2.23 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया, जो कि निर्धारिती से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित था। हमने इस बारे में बताया (दिसम्बर 2016), मंत्रालय ने जवाब दिया (मार्च 2017) कि अप्रैल 2015 से नवम्बर 2015 की अवधि के लिए निर्धारिती ने ₹ 0.49 लाख के ब्याज सहित ₹ 4.58 लाख का भुगतान कर दिया था।

#### 3.5.1.2 सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना

सीसीआर 2004 के नियम 2(एल) के अनुसार “इनपुट सेवा” में, अन्य बातों के साथ-साथ विनिर्माता द्वारा प्रयुक्त कोई सेवा, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में या संबंध शामिल होती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि चेन्नै-III कमिश्नरी के अंतर्गत मै. हबीबुर रहमान एंड संस ने अगस्त 2014 से मार्च 2015 के दौरान 'अचल संपत्ति को किराये पर देना' सेवा पर भुगतान किये गये सेवाकर पर इनपुट सेवा के रूप में ₹ 0.51 लाख का सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाया। यह देखा गया कि निर्धारिती द्वारा ट्रेडिंग की जा रही 'चाय' के भंडारण के लिए गोदाम के लिए ₹ 4.20 लाख की राशि का भुगतान किराये के रूप में किया गया। चूंकि 'अचल संपत्ति के किराये पर दिये जाने के लिए' सेवा के संबंध में भुगतान किया, जो बीड़ी के विनिर्माण से संबंधित नहीं था, ₹ 0.51 लाख के सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाना गलत था और समुचित ब्याज के साथ वापस दिया जाना चाहिए।

हमने इस बारे में बताया (नवम्बर 2016), मंत्रालय ने जवाब दिया (अक्टूबर 2017) कि निर्धारिती ने ₹ 0.19 लाख के ब्याज सहित सेनवैट क्रेडिट को वापस कर दिया।

शेष नौ मामलों में मंत्रालय के उत्तर निम्नानुसार हैं:

- आठ मामलों में, मंत्रालय ने आपत्तियों को स्वीकार कर लिया। इनमें से, तीन मामलों में ₹ 1.87 लाख की राशि वसूली गई, दो मामलों में ₹ 5.12 लाख की वसूली के लिए कार्रवाई आरंभ की जा रही थी, दो मामलों में, सिगरेट उत्पाद शुल्क नियमपुस्तक का परिशिष्ट 'जी' में त्रैमासिक विवरणी की फाइलिंग की जांच की जा रही थी और एक मामले में यह कहा गया कि मामले को अंतिम रूप दिया गया।
- एक मामले में, यह कहा गया कि माननीय सेसटेट, दिल्ली की प्रधान पीठ ने लुधियाना बनाम मै. नाघिया एंटरप्राइजेज (प्रा.) लिमि. 2015 (317) ईएलटी 475 में निर्णय दिया कि सिगरेट उत्पाद शुल्क नियमपुस्तक के अनुसार केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के अंतर्गत निर्धारित रिकॉर्ड के रखरखाव का कोई प्रावधान ही नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सिगरेट उत्पाद शुल्क नियमावली विशेष रूप से उन निर्धारितियों के लिए निर्धारित है जो सिगरेट विनिर्माण के व्यवसाय में कार्यरत हैं। समूची विनिर्माण/उत्पादन घटनाचक्र उक्त नियमावली के परिशिष्ट 'ए' से 'जी' में समाहित है, जो कि शुल्क लगाने और एकत्रित करने के लिए

अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और सभी अन्य सिगरेट निर्धारितियों द्वारा अनुरक्षित किया जाता है।

### 3.5.2 आंतरिक लेखापरीक्षा करने के बाद भी न ढूंढी गई त्रुटियाँ

लेखापरीक्षा ने विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गये 28 निर्धारितियों के रिकॉर्ड की जांच की और ₹ 13.67 लाख की राशि सहित 5 निर्धारितियों के 5 मामले देखे। इस प्रकार, आंतरिक लेखापरीक्षा करने के बावजूद भी, ये त्रुटियाँ खोजी नहीं जा सकी। दो सोदाहरण मामले निम्नानुसार हैं:

#### 3.5.2.1 सेवा कर के भुगतान न किए जाने को ढूंढा न जाना

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (105) (जेइजेइजेइजेइजे) में परिभाषित 'स्पर्शनीय वस्तु सेवा की आपूर्ति' की श्रेणी के अंतर्गत ट्रक भाड़ा प्रभार वर्गीकरणीय और कर योग्य था। 01 जुलाई 2012 से प्रभावी नकारात्मक सूची को प्रस्तुत किये जाने के बाद भी, सेवा को न तो सेवा कर की नकारात्मक सूची में शामिल करके छूट प्रदान करने के लिए और न ही सेवाकर अधिसूचना सं. 26/2012-एसटी में शामिल करके अनुमति प्रदान की गई थी।

आनंद कमिश्नरी के अंतर्गत मै. बोरसड टोबेको कं. प्रा. लिमि. के रिकॉर्ड की संवीक्षा करने पर यह पता चला कि 2013-14 की अवधि के दौरान निर्धारिती को "ट्रक भाड़ा प्रभार" के रूप में ₹ 37.06 लाख प्राप्त हुए थे। तथापि, निर्धारिती ने उस पर सेवा कर भुगतान नहीं किया था। प्राप्त आय पर ₹ 4.58 लाख का सेवा कर देय था, जो कि वित्त अधिनियम 1994 की धारा 75 के अंतर्गत ₹ 2.80 लाख के ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

जब हमने इस बारे में बताया (दिसम्बर 2016), मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2017) कि 2011-12 से 2016-17 की अवधि के लिए निर्धारिती को ब्याज और शास्ति सहित ₹ 12.19 लाख के सेवा कर की मांग हेतु एससीएन जारी किया जा चुका है (अप्रैल 2017)।

#### 3.5.2.2 शुल्क के कम-भुगतान को खोजा ना जाना

2014-15 और 2015-16 की अवधि के दौरान आनंद कमिश्नरी के अंतर्गत मै. मारुती टॉबेको प्रोडक्ट्स प्रा. (इकाई III) के रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा में देखा

गया कि निर्धारिती ने शुल्क का भुगतान करते समय वास्तविक रूप में विनिर्मित सुगंधित तम्बाकू (₹ 27.05 लाख प्रति माह) के बजाय 'चबाने वाले तम्बाकू' (₹ 24.15 लाख प्रति माह) का शुल्क दर अपनाया था, जिसके कारण ₹ 2.62 लाख की राशि के शुल्क का कम भुगतान हुआ।

जब हमने इसे इंगित किया (दिसम्बर 2016), मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2017) कि ₹ 2.62 लाख का शुल्क और ₹ 0.79 लाख के ब्याज की वसूली की गई है।

शेष तीन मामलों में, मंत्रालय ने निम्नलिखित उत्तर (अक्टूबर 2107) दिया:

- दो मामलों में, मंत्रालय ने आपत्तियों को स्वीकार किया। इनमें से एक मामले में, ₹ 0.01 लाख की माँग की वसूली की गई थी और एक मामले में, एससीएन जारी किया गया था।
- एक मामले में, यह कहा गया था कि लेखापरीक्षा में देखे गए विक्री एवं विनिर्माण आंकड़ों में अंतर का मिलान किया गया है और सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित किया गया है।

हालांकि विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने तक त्रुटि का पता नहीं चला।

### 3.6 विभागीय इकाइयों की लेखापरीक्षा में देखी गई अन्य कमियां

लेखापरीक्षा ने कारण बताओ नोटिस (एससीएनएस) के अधिनिर्णय के संबंध में विभाग द्वारा गैर-अनुपालन, अधीनस्थ विभागीय इकाइयों का निरीक्षण और अन्य कमियाँ देखी जो इस प्रकार हैं:

#### 3.6.1 एससीएनएस के गैर-अधिनिर्णय/अधिनिर्णय में विलम्ब

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11ए की उप-धारा 10, एससीएन को नोटिस की तिथि से छह महीने या एक वर्ष के भीतर में अंतिम रूप दिया जाना है, जैसा भी मामला हो। लेखापरीक्षा ने गैर-अधिनिर्णय के तीन मामले और एससीएन के विलम्बित अधिनिर्णय के 48 मामले देखे जैसे कि नीचे विवरण दिया गया है:

**3.6.1.1** लेखापरीक्षा ने देखा कि कानपुर कमिश्नरी में मै. एवीएल फ्रैग्रेन्स प्राइवेट लिमिटेड ने अगस्त 2015 में पंजीकरण प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण के लिए आवेदन फाइल किया किंतु विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभ्यर्पण आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर यह देखा गया था कि ₹ 23.23 लाख के शुल्क वाले दिनांक 19 मई 2015 का एक एससीएन 6 महीनों से अधिक के लिए अधिनिर्णय के लिए लंबित था। इसलिए विभाग समय पर एससीएन के अधिनिर्णय और अभ्यर्पित आवेदन पर कार्रवाई करने में असफल रहा।

हमने इसे बताया (फरवरी 2017), मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2017) कि एससीएन अधिनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दिया गया था। पंजीकरण के अभ्यर्पण के लिए आवेदन रिकॉर्डों के सत्यापन के अधीन प्रक्रियारत है।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि विभाग अनुबद्ध समय के तहत एससीएन के अधिनिर्णय में असफल रहा।

**3.6.1.2** लेखापरीक्षा ने देखा कि कानपुर कमिश्नरी में मै. अशोका फ्लेवर्स प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में, ₹ 56.36 करोड़ के शुल्क वाले तीन एससीएन एक वर्ष से अधिक के लिए अधिनिर्णय के लिए लंबित थे। यह भी देखा गया कि सहायक आयुक्त ने परिसरों में पड़ी हुई 25 मशीनों को सील किया था, जिनमें से 20 मशीनों को एससीएन के लम्बित अधिनिर्णय विभाग की अनुमति से सितम्बर 2014 में निर्धारिती द्वारा बेचा गया था। इस दौरान, दिसम्बर 2014 में पंजीकरण के अभ्यर्पण के लिए निर्धारिती ने आवेदन दिया था। एससीएन के लम्बित अधिनिर्णय के बावजूद, विभाग ने निष्क्रिय मशीनों को बेचने के लिए मंजूरी दी जिसने निर्धारिती के बकाया शेषों की वसूली को दुर्गम बनाया।

जब हमने इसे बताया (फरवरी 2017), मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2017) कि सभी तीन एससीएन को कॉल बुक को हस्तांतरित किया गया है क्योंकि यह उच्च न्यायालय में लम्बित है। इसके बाद, यह कहा गया था कि पान मसाला पैकिंग मशीन नियम मशीनों की बिक्री को बाधित नहीं करते जहाँ अधिनिर्णय के लिए पुष्ट माँग लंबित हो।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क का संग्रहण) नियमावली, 2008 और तंबाकू चबाना और अविनिर्मित तम्बाकू पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क को संग्रहण) नियमावली 2010 के नियम 18 और नियम 19, अधिनियम के सभी प्रावधान और केंद्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 2002 इस मामले में एससीएन के अधिनिर्णयन से संबंधित प्रावधान आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

**3.6.1.3** लेखापरीक्षा ने देखा कि गाजियाबाद आयुक्तालय में मै. के.पी. पान मसाला प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में बोर्ड ने दिनांक 4 अप्रैल 2012 के आदेश से इन निर्देशों के साथ कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिल्ली आयुक्त (विशेष अधिनिर्णय) अधिनिर्णय प्राधिकारी के तौर पर कार्य करेगा ₹ 10.30 करोड़ की एक माँग उठाई थी।

अधिनिर्णय के विलम्बन के बावजूद, सहायक आयुक्त डिविज़न-1 गाजियाबाद ने उनके दिनांक 22 जुलाई 2013 और 10 जनवरी 2014 के आदेशों द्वारा 20 पाउच पैकिंग मशीनों और 65 एकल ट्रैक पाउच पैकिंग मशीनों के हटाने की अनुमति के आदेश दिए। निर्धारिती ने अपना व्यापार बंद किया और फरवरी 2014 में पंजीकरण प्रमाण पत्र को अभ्यर्पित किया। यह भी देखा गया (अक्टूबर 2016) कि उन्हीं परिसरों में चबाने वाला तम्बाकू और पान मसाला के विनिर्माण के लिए 23 जून 2014 को मै. के पान फ्रैग्रेन्स प्राइवेट लिमिटेड (AAECK8045QEM003:U-III) को एक नया पंजीकरण जारी किया गया था। एससीएन के निपटान के विवरण मासिक तकनीकी रिपोर्ट में दर्शाए नहीं गए थे।

एससीएन का अधिनिर्णय लम्बित होने के बावजूद भी विभाग ने निर्धारिती को मशीन हटाने के लिए अनुमत किया और उन्हीं परिसरों में अन्य निर्धारिती को एक नया पंजीकरण जारी किया गया था। इसके बाद फरवरी 2014 में निर्धारिती ने व्यापार प्रचालन बंद कर दिया। अतः, बकाया शेष की वसूली, यदि कोई हो, असंभव हो गई।

जब हमने इसे अक्टूबर 2016 में बताया, मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2017) कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधि में किसी भी निर्धारिती को मशीनों की या उनके



प्रति लम्बित कोई भी अस्थगित लम्बित पुष्ट माँग के बिना किसी भी अन्य माल की बिक्री का रोकने का प्रावधान नहीं है।

यह वर्णित किया गया था कि कमीशनर (विशेष न्याय निर्णय) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनिर्णय प्राधिकारी है; एससीएन एमटीआर में प्रतिबिंबित नहीं किया जा सका। इसके अलावा, यह बताया गया कि एक दूसरी युनिट को पंजीकरण की मंजूरी प्रदान करने में कोई बाधा नहीं है जहाँ उस परिसर पर निर्धारिती के विरुद्ध पुष्टि की कोई मांग लंबित नहीं है।

उत्तर मान्य नहीं है, चूंकि पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण एवं शुल्क संग्रहण) नियमावली 2008, के नियम 18 तथा 19 तथा चबाने वाले तम्बाकू तथा गैर विनिर्मित तंबाकू मशीन (क्षमता निर्धारण एवं शुल्क उगाही) नियमावली 2010, अधिनियम तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के सभी प्रावधान यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे यानि इस मामले में एससीएन के न्याय निर्णय के संबंध में प्रावधान, लागू होंगे। इसके अलावा एससीएनएस के न्याय निर्णय के लम्बित होने पर मशीनों को हटाने के लिए निर्धारिती को अनुमत करना पैरा 3.6.1.1 के मंत्रालय के उत्तर के विरोधाभास में था जिसमें मंत्रालय ने बताया कि पंजीकरण को जमा करने के लिए आवेदन लम्बित रखा गया था क्योंकि एक एससीएन का निर्धारिती के प्रति न्याय निर्णय लंबित था। इसके अलावा, विभाग ने उस परिसर में एक नये रजिस्ट्रेंट के लिए पंजीकरण जारी किया।

**3.6.1.4** लेखापरीक्षा ने पटना कमीशनरी के अधीन पूर्णियां रेंज में 2013-14 तथा 2014-15 की अवधि के न्याय निर्णय रजिस्टर के रिकार्डों से पाया कि 48 मामले छह महीने की नियत अवधि में अधिनिर्णित नहीं किये गए थे। देरी की अवधि 3 दिनों से 225 दिनों तक थी।

जब हमने इसे बताया (दिसम्बर 2016) तो मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2017) कि संबंधित मण्डल कार्यालय को न्याय निर्णय के लिए लंबित एससीएन पर निगरानी रखने तथा नियत समय में न्याय निर्णय आदेश जारी करने के लिए अनुदेश दिए गए हैं। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि अधिक कार्यभार के कारण अधिनिर्णय में देरी हुई।

तथ्य यह है कि एससीएन नियत समय में अधिनिर्णित नहीं हुए थे।

### 3.6.2 मण्डल अधिकारी द्वारा सिगरेट यूनिटों के निरीक्षण न करना।

सिगरेट पर उत्पाद शुल्क योग्य विनिर्मित उत्पादों पर विभाग के अनुदेशों की नियमपुस्तक - (सिगरेट नियमपुस्तक) के पैरा 83 के अनुसार, मण्डल अधिकारी को प्रत्येक तिमाही में एक कार्य दिवस पर कम से कम एक बार अपने प्रभार में प्रत्येक सिगरेट फैक्टरी का निरीक्षण जरूर करना चाहिए। उसे सैद्धांतिक एवं वास्तविक परिणामों के बीच पर्याप्त ध्यान रखते हुए नियमित रूप से विशेष जांच जहाँ आवश्यक हो, जरूर करनी चाहिए। उसे स्वयं संतुष्ट होना चाहिए कि फैक्टरी में उत्पाद शुल्क नियंत्रण राजस्व की सुरक्षा हेतु पूरी तरह से पर्याप्त है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि हैदराबाद ॥ कमिश्नरी के अधीन सिकन्दराबाद मण्डल में, 2013-14 से 2015-16 की अवधि के लिए मैसर्स वीएसटी इंडस्ट्रिज, आजमाबाद, हैदराबाद तथा मैसर्स हैदराबाद डैकन सिगरेट प्रा.लि. के संबंध में दौरों की निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी।

जब हमने इसे बताया, (दिसंबर 2016), तो मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2017) कि मार्च 2017 तिमाही की समाप्ति पर निरीक्षण मण्डल अधिकारी द्वारा किया गया था तथा बताया कि भविष्य में निरीक्षण रिपोर्ट द्विवार्षिकी जारी की जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि उत्पाद शुल्क योग्य विनिर्मित उत्पादों-सिगरेटों पर विभागीय अनुदेशों की नियमपुस्तक के अनुसार प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाना आवश्यक है।

### 3.6.3 'माने गये उत्पादन' के निर्धारण के लिए प्रक्रिया में कमी के कारण ₹ 309.18 करोड़ के राजस्व हानि

पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण एवं शुल्क उगाही) नियमावली, 2008 के नियम 5 तथा चबाने वाले तंबाकू तथा गैर निर्मित तंबाकू पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण तथा शुल्क उगाही) नियमावली, 2010 के नियम 5 के अनुसार "उत्पादित की जाने वाली मानी गई मात्रा" - से अभिप्राय उपरोक्त नियम में यथा निर्दिष्ट खुदरा बिक्री मूल्य वाले अधिसूचित माल की मात्रा से है।

पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण तथा शुल्क उगाही) नियमावली, 2008 के नियम 7 तथा चबाने वाले तंबाकू तथा गैर निर्मित तंबाकू पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण तथा शुल्क उगाही) नियमावली, 2010 के नियम 7 स्पष्ट रूप से बताता है कि एक विशिष्ट महीने के लिए देय शुल्क महीने के दौरान प्रचालित पैकिंग मशीन की संख्या के लिए क्रमशः अधिसूचना सं. 42/2008 सीई दिनांक 1 जुलाई 2008 तथा अधिसूचना सं. 16/2010-सीई, दिनांक 27 फरवरी 2010 में निर्दिष्ट शुल्क की उपयुक्त दर के प्रयोग द्वारा परिकल्पित किया जाएगा।

इसके अलावा, उपरोक्त नियमावली के नियम 6(2), नियम 8 तथा नियम 13 नियम 6 (1) के तहत फॉर्म- 1 में घोषित मानदंडों में से किसी एक के संबंध में अनुवर्ती परिवर्तन करने के लिए फॉर्म -1 में नई घोषणा फाईल करने के लिए विनिर्माताओं के लिए नियम 8 के तहत प्रचालन पैकिंग मशीनों (वृद्धि या संस्थापन या हटाना या उखाड़ना) की संख्या में परिवर्तन, तथा ऐसे मामलों में जहाँ विनिर्माता नियम 13(1) के तहत एक पैकिंग मशीन के प्रचालन के लिए विचार नहीं करता है के लिए समर्थकारी प्रावधान रखते हैं।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के नियम 12 के अनुसार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क भुगतान करने के लिए दायी प्रत्येक व्यक्ति को आगामी महीने की 10 तारीख तक मासिक (ईआर-1) विवरणी जमा करनी पड़ेगी। विवरणी में विनिर्मित मात्रा तथा निकासी मात्रा शामिल होती है।

चयनित निर्धारितियों की नमूना जांच से, लेखापरीक्षा ने 10 मामलों में पाया जहाँ निर्धारितियों ने उत्पादन क्षमता से अधिक चबाने वाला तम्बाकू तथा पान मसाला विनिर्मित किया, जैसा कि ईआर/1 विवरणी में प्रतिबिंबित है, इस प्रकार से 'माने गये उत्पादन'<sup>19</sup> पर आधारित उत्पादन की मात्रा से कम पर उत्पाद देय उत्पाद शुल्क का भुगतान हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 309.15 करोड़ के शुल्क का भुगतान नहीं हुआ। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

**3.6.3.1** लेखापरीक्षा ने पाया कि नासिक - II कमिश्नरी के तहत मैसर्स फास्टट्रेक पैकर्स प्रा.लि. ने 2012-13 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान

<sup>19</sup> फॉर्म 1: विनिर्माता द्वारा भरा जाने वाला घोषणापत्र

उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए लेखा में लिए गए 'माने गये उत्पादन' के 52 करोड़ पाउचों की तुलना में 222 करोड़ के पाउचों का वास्तव में विनिर्माण किया। इस प्रकार से वास्तविक उत्पादन 'माने गये उत्पादन' जिस पर शुल्क का भुगतान किया गया था से 325 प्रतिशत अधिक था। इसके परिणामस्वरूप 170 करोड़ पाउचों का अधिक उत्पादन तथा ₹ 215.08 करोड़ के संभावित शुल्क का अल्प भुगतान हुआ।

**3.6.3.2** लेखापरीक्षा ने पाया कि लखनऊ कमिश्नरी के तहत मैसर्स के फलेवर प्रा.लि. ने वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए लेखा में लिए गए 'माने गये उत्पादन' के 104 करोड़ पाउचों की तुलना में वास्तव में 139 करोड़ के पाउचों का विनिर्माण किया। इसके परिणामस्वरूप 125 करोड़ के पाउचों का अधिक उत्पादन तथा ₹ 12.28 करोड़ के संभावित शुल्क का अल्प भुगतान हुआ।

जब हमने इसे बताया (अक्टूबर 2016 तथा दिसंबर 2016 के बीच में), तब मंत्रालय ने (अक्टूबर 2017) निम्नानुसार बताया:

उपरोक्त नियम 4, नियम 5 तथा नियम 6(3) के अनुसार, शुल्क विभाग द्वारा निर्धारित 'माने गये उत्पादन' के आधार पर लगाया जाता है तथा न कि वास्तविक उत्पादन पर।

इसके अलावा, बोर्ड ने दिनांक 24 जनवरी 2014 के परिपत्र सं. 980/04/2014-सीएक्स के द्वारा स्पष्ट किया है कि देय शुल्क महीने के दौरान फैक्टरी में प्रचालित पैकिंग मशीन की संख्या के संबंध में 'माने गये उत्पादन' तथा पाउचों पर प्रिंट खुदरा बिक्री मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाय न कि एक यूनिट द्वारा वास्तविक उत्पादन के आधार पर। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विभाग निर्धारित निर्धारित 'माने गये उत्पादन' द्वारा बाध्य है न कि वास्तविक उत्पादन पर। इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, कोई राजस्व हानि नहीं है जैसा लेखापरीक्षा द्वारा कहा गया, क्योंकि शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों/अधिसूचनाओं के अंतर्गत सही प्रकार उदग्रहीत तथा संग्रहीत किया गया है।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है लेखापरीक्षा निष्कर्ष माने गये उत्पादन से संबंधित नियमों में गंभीर समस्याओं और विभागीय अधिकारियों द्वारा उक्त के निर्धारण में कर्मठता में असफलता को इंगित करता है। सरकार को राजस्व हानि पहुंचाने वाली खामियों को इंगित करने वाली लेखापरीक्षा निष्कर्षों का संज्ञान लेने के स्थान पर मंत्रालय निरंतर नियमों व उनके क्रियान्वयन को सही मानता है। 'माने गये उत्पादन' से अधिक असामान्य उत्पादन, मशीनों के स्थापित क्षमता के 325 प्रतिशत तक, की घटनाएँ मंडल अधिकारी की 'माने गये उत्पादन' की वास्तविकता को निर्धारित करने में अक्षमता दर्शाता है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व हानि हो रही है। इसके अलावा, ताजा स्थिति के अनुसार, नासिक-॥ कमिश्नरी के तहत मैसर्स फास्टट्रेक पैकर्स प्रा.लि. के मामले में वर्ष 2015-16 के लिए 'माने गए उत्पादन' के 19.97 करोड़ पाउचों की तुलना में 135.09 करोड़ पाउचों का विनिर्माण किया जो 115.03 करोड़ (576.51 प्रतिशत) तक 'माने गए उत्पादन' से अधिक था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 306.69 करोड़ के शुल्क का संभव अल्प भुगतान हुआ। माने गए उत्पादन के अतिरिक्त पाउचों के असामान्य अत्यधिक उत्पादन के बाद भी, विभाग मानी गई क्षमता की समीक्षा करने तथा पुनः निर्धारण करने में उसको संज्ञान में लाने के लिए सफल नहीं हुआ। उच्च प्राधिकारी भी प्रभावी जांचों को सुनिश्चित करने में सफल नहीं हुए।

यदि ईआर-1 के अनुसार माने गए उत्पादन अथवा वास्तविक उत्पादन जो भी अधिक हो, पर आधारित शुल्क लगाने के लिए विनियमों के तहत एक तंत्र होता, तो चबाने वाले तंबाकू तथा पान मसाले के उत्पादन पर शुल्क से राजस्व के हितों को विधिवत् रूप से संरक्षित किया जा सकता था। नियमों के तहत ऐसे समर्थकारी प्रावधान के अभाव में माने गए उत्पादन के उचित निर्धारण में मण्डल अधिकारी की भूमिका सरकार को राजस्व सुनिश्चित करने के लिए अधिक महत्व रखती है।

### 3.7 अन्य मामलें

लेखापरीक्षा ने चयनित युनिटों से 173 निर्धारित अभिलेखों का चयन किया जो आन्तरिक लेखापरीक्षा/विस्तृत ब्योरेवार संवीक्षा के लिए विभाग द्वारा

उपयुक्त/चयनित के अतिरिक्त थे। इन निर्धारितियों का जिन्होंने तीन वर्षों के दौरान शुल्क को भुगतान नहीं/कम भुगतान किया था तथा राजस्व, सेनवैट आदि जैसे निश्चित जोखिम मानदंड पर आधारित बोर्ड द्वारा भेजे गए डाटा से चयन किया गया था।

लेखापरीक्षा ने सेनवैट क्रेडिट तथा ब्याज आदि के अनियमित लाभ, माल के गलत वर्गीकरण, शुल्क के भुगतान न करने/कम भुगतान करने, वाले ₹ 97.72 लाख के राजस्व निहितार्थ के साथ निर्धारिती द्वारा अनुपालन न करने के 40 मामलों को देखा। नीचे कुछ उदाहरण दिय गए हैं:

### **3.7.1 सेनवैट क्रेडिट का अधिक/अनियमित लाभ उठाना**

सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3 में प्रावधान है कि एक विनिर्माता/सेवा प्रदाता उक्त नियम 9 में निर्दिष्ट दस्तावेजों के आधार पर अंतिम उत्पाद के विनिर्माण अथवा आऊटपूट सेवा के प्रावधान के संबंध में अथवा उपयोग हेतु प्राप्त इनुपटस, पूंजीगत माल एवं इनपुट सेवा पर निर्दिष्ट शुल्क का सेनवैट क्रेडिट को लेने के लिए अनुमत होगा। लेखापरीक्षा ने ₹ 67.82 लाख की राशि वाले सेनवैट क्रेडिट के अत्यधिक/अनियमित लाभ के चूकों के 8 मामले देखे। एक निर्धारिती के तीन मामलों वाला एक मामले का उदाहरण नीचे दिया गया है::

**3.7.1.1** उदयपुर कमिश्नरी के तहत मैसर्स मिराज प्रॉडक्ट्स प्रा. लि. (यूनिट- III) की तीन यूनिटों के बने ग्रुप ने मैसर्स मिराज प्रॉडक्ट्स प्रा.लि. ग्रुप को वर्ष 2015-16 के दौरान “मिराज” ब्रांड के संबंध में परामर्शी सेवाए प्रदान करने पर ₹ 57.65 लाख के सेवा कर के सेनवैट क्रेडिट का लाभ लिया। निर्धारिती ग्रुप की सभी तीन युनिटों वाले ₹ 57.65 लाख के बजाए इससे संबंधित ₹ 19.22 लाख के सेनवैट क्रेडिट का लाभ लेने का हकदार था। इसके परिणामस्वरूप अन्य दो यूनिटों के संबंध में ₹ 38.43 लाख के सेनवैट क्रेडिट का अत्यधिक लाभ लिया गया।

जब हमने इसे बताया (अक्टूबर 2016), तब मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2017) कि ₹ 49.00 लाख के लिए कारण बताओं नोटिस जारी (मई 2017) किया गया है।

### 3.7.1.2 अनन्तिम निर्धारण में ब्याज का भुगतान न करना

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 का नियम 8(I) शर्त लगाता है कि शुल्क का आगामी महीने के 5वे एवं 6वे दिन जैसा भी मामला हो तक भुगतान किया जाएगा। यदि निर्धारित देय तिथि तक भुगतान करने में असफल होता है तो वह अधिनियम की धारा 11ए के तहत ब्याज सहित बकाया राशि का भुगतान करने का दायी होगा। अनन्तिम निर्धारण केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के नियम 7 से संबंधित है। इसके अलावा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य माल की कीमत का निर्धारण) नियमावली, 2000 का नियम 8 कहता है कि जहाँ उत्पाद शुल्क योग्य माल निर्धारिती द्वारा नहीं बेचा जाता है परन्तु अन्य वस्तुओं के उत्पादन एवं विनिर्माण में उसकी ओर से या उसके द्वारा खपत के लिए उपयोग किया जाता है तो मूल्य ऐसे माल के उत्पादन अथवा विनिर्माण की लागत का 110 प्रतिशत होगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उदयपुर कमीशनरी के तहत मैसर्स मिराज प्रॉडक्ट्स लि. (यूनिट-II), नाथद्वारा ने अपनी सहयोगी इकाई को निकासी किये खुले चबाने वाले तंबाकू के अनन्तिम निर्धारण के लिए 01 अप्रैल 2014 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्राधिकारी सहायक आयुक्त को अनुरोध किया। सहायक आयुक्त ने आदेश दिनांक 6 मई 2014 द्वारा प्रतिभारी बंध पत्र प्रस्तुत करने पर अंतिम आधार पर ₹ 30 प्रति कि.ग्रा की दर पर उत्पाद शुल्क योग्य माल की निकासी के लिए निर्धारिती को अनुमत किया। निर्धारिती ने वर्ष 2014-15 के दौरान अपनी यूनिट को ₹ 30 प्रति कि.ग्रा के बजाए ₹ 27 प्रति कि.ग्रा. की दर पर माल की निकासी की। ₹ 3 प्रति कि.ग्रा. की कम दर पर माल की निकासी के परिणामस्वरूप ₹ 121.84 लाख के शुल्क का अल्प भुगतान हुआ। निर्धारिती ने 18 दिसंबर 2015 को ₹ 121.84 लाख का अल्प शुल्क जमा किया। अंतिम निर्धारण आदेश दिनांक 22 दिसंबर 2015 को सहायक आयुक्त द्वारा जारी किया गया था जिसमें दर ₹30 प्रति कि.ग्रा निर्धारित की गई थी। निर्धारिती ने 18 दिसंबर 2015 को शेष शुल्क जमा किया। तथापि, ₹ 24.45 लाख के शेष शुल्क पर ब्याज का भुगतान निर्धारिती द्वारा नहीं किया गया था जिसकी अभी वसूली की जानी थी।

जब हमने इसे बताया (जनवरी 2017), तब मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2017) कि ₹ 24.45 लाख के शेष शुल्क पर ब्याज की वसूली के लिए कारण बताओं नोटिस जारी करना प्रकियाधीन था।

शेष 36 मामलों में मंत्रालय ने निम्न तरह बताया (अक्टूबर 2017):

- 24 मामलों में, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपातियों को स्वीकारा। इनमें से सात मामलों में ₹ 2.53 लाख की वसूली रिपोर्ट की गई तथा 17 मामलों में कार्रवाई की गई/आरम्भ की गई है।
- आठ मामलों में मंत्रालय द्वारा भेजे गए उत्तरों में यह देखा गया कि यह शुल्क के भुगतान तथा माल आदि के गलत वर्गीकरण से संबंधित है जो उल्लेखित लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्रसंग में नहीं है।
- तीन मामलों में यह कहा गया कि उत्तर बाद में भेजा जाएगा।
- एक मामले में यह बताया गया कि निर्धारिती ने 'अनुभव केंद्र' के निर्माण में उपयोग की गई सेवाओं पर 'इनपुट सेवा क्रेडिट' का लाभ उठाया जो विनिर्माण गतिविधियों से संबंधित है। सीसीई बेंगलोर बनाम मैसर्स भारत फ्रिज वेरनर लि. के मामले में सीसटेस बेंगलोर के आदेश पर विश्वास जताया जाता है। इसके अलावा यह मामला आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया जिसे न्याय निर्णय प्राधिकरण द्वारा छोड़ दिया गया तथा सेनवैट क्रेडिट अनुमत किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि 'अनुभव केन्द्र' पूरा नहीं हुआ था तथा कार्यान्वयन के दौरान छोड़ दिया गया था। इसलिए इनपुट सर्विस क्रेडिट का लाभ लेने के लिए हकदार नहीं था क्योंकि उपरोक्त प्रोजेक्ट छोड़ दिया गया था तथा विनिर्माण गतिविधि के संबंध में अथवा उसमें उपयोग नहीं किया गया था।

### 3.8 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में विभाग द्वारा नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुपालन में कमियों को देखा गया जैसा कि विवरणियों की मोनीटरिंग में कमी, विस्तृत संवीक्षा में



कमी, तथा विस्तृत संवीक्षा हेतु विवरणियों के चयन के मानदंड में कमी एवं आंतरिक लेखापरीक्षा तथा मोनीटरिंग तंत्र में कमी द्वारा दर्शाया गया था।

पान मसाला और चबाने योग्य तम्बाकू पदार्थों पर लगाये जाने वाले शुल्क से सम्बंधित नियमों और उनके क्रियान्वयन में खामिया के परिणामस्वरूप राजस्व के बहुत अधिक हानि हो रही है। अन्य तंबाकू उत्पादों के संबंध में अधिनियम/नियमों/अधिसूचनाओं के विशिष्ट प्रावधानों के अनुपालन में कमियाँ जैसा बीडी यूनिटों जो अधिकतर अनौपचारिक क्षेत्र में प्रचालन करती हैं, को पहचानना एवं विवरणियां भरने को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र के अभाव से दर्शाया गया, निर्धारित अभिलेखों के अनुरक्षण के खराब प्रवर्तन तथा विभाग द्वारा सिगरेट यूनिटों के तिमाही निरीक्षण न करना तथा पान मसाला तथा चबाने वाले तंबाकू उत्पादों के मामले में, 'माने गए उत्पादन' के अतिरिक्त पाऊचों के असामान्य अत्यधिक उत्पादन को संज्ञान में लेने में असफल होने के कारण राजस्व की हानि हुई।



## अध्याय IV

### नियमों एवं विनियमों का अननुपालन

#### 4.1 प्रस्तावना

सीएजी के (डीपीसी) अधिनियम की धारा 16, लेखापरीक्षा प्राप्तियों के संबंध में सीएजी के कर्तव्यों से संबंधित है तथा सीएजी द्वारा भारत की समेकित निधि में देय लेखापरीक्षा प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करने तथा संतुष्ट होने कि नियम तथा प्रक्रियाएं राजस्व के निर्धारण, संग्रहण एवं उचित आबंटन पर एक प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए बनाये गये हैं और उनका विधिवत् रूप से पालन किया जा रहा है, की अपेक्षा करती है। सीबीईसी के क्षेत्रीय संरचनाओं की हमारी लेखापरीक्षा के भाग के रूप में सीएजी के डीपीसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए हम निर्धारिती के अभिलेखों, जो कर गणना का आधार है, की जांच स्थापित प्रणालियों की प्रभावशीलता की सीमा की जांच हेतु यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्धारिती स्वतः निर्धारण के इस युग में वर्तमान नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करता है, करते हैं। विभाग द्वारा संवीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा, कर आधार विस्तार आदि को पूरा करने में विभाग की विशिष्ट असफलता पर अभ्युक्तियों को “आन्तरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता” पर एक पृथक अध्याय में रिपोर्ट किया जाता है तथा विभाग द्वारा संवीक्षित एवं लेखापरीक्षित न किये गए मामलों में निर्धारितियों द्वारा अननुपालन पर अभ्युक्तियां शीर्षक “नियमों एवं विनियमों का अननुपालन” के तहत पृथक रूप से रिपोर्ट की जाती हैं।

हम प्रतिवर्ष (i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भुगतान (ii) सेनवैट क्रेडिट का लाभ लेना और (iii) अन्य मामलों के संबंध में अनियमितताओं पर ध्यान दिलाते रहे हैं तथा यह देखा गया है कि ये अनियमितताएं निरंतर जारी हैं क्योंकि समान प्रकृति की आपत्तियाँ प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा द्वारा रिपोर्ट की जाती हैं जैसा कि आगे बताया गया है:

तालिका : 4.1

आपत्ति की प्रकृति	2013-14		2014-15		2015-16	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान न करना	8	3.71	6	21.62	4	1.55
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कम भुगतान	15	21.85	3	1.73	9	18.04
सेनवैट क्रेडिट	30	29.45	14	16.51	17	17.61
अन्य मामले	4	11.40	2	0.69	6	14.02
<b>जोड़</b>	<b>57</b>	<b>66.41</b>	<b>25</b>	<b>40.55</b>	<b>36</b>	<b>51.22</b>

मंत्रालय लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए केवल वैयक्तिक मामलों में वैयक्तिक निर्धारिती से राशि वसूल करके तथा उसके लिए मांग नोटिस जारी करके संशोधन कार्रवाई करता है। परन्तु निर्धारिती द्वारा अनुपालन के स्तर में सुधार करने के लिए स्थापित प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि हमने ₹ 45.40 करोड़ के कुल राजस्व निहितार्थ वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ब्याज का भुगतान न करने/अल्प भुगतान करने और सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाने तथा उपयोग करने के 44 मामले पुनः देखे। मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रौद्योगिकी के प्रयोग एवं डाटाबेसों के एकीकरण, के माध्यम से कर उगाही एवं संग्रहण की प्रणाली हो जिससे देय शुल्क भुगतान से बचना निर्धारिती के लिए कठिन हो।

वर्तमान रिपोर्ट में शामिल 44 मामलों में से, 31 मामले जो विभाग द्वारा स्वीकार किये गए हैं तथा जिनमें वसूली की गई/वसूली प्रक्रियाएं शुरू की परिशिष्ट-II में उल्लेखित हैं और 13 मामलों का इस अध्याय में निम्न तीन मुख्य शीर्षकों के तहत वर्णन किया गया है:

- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान न करना/अल्प भुगतान
- सेनवैट क्रेडिट का अनुचित लाभ/उपयोग
- अन्य मुद्दे

## 4.2 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान न करना/अल्प भुगतान

लेखापरीक्षा ने 15 मामले देखे जहाँ शुल्क का भुगतान नहीं/कम किया गया था। मंत्रालय/विभाग ने सभी 15 मामलों में आपत्तियों को स्वीकारा तथा सुधारात्मक कार्यवाही आरम्भ की। 6 मामले सोदाहरण नीचे दिये गये हैं। शेष 9 मामले परिशिष्ट II में वर्णित हैं।

### 4.2.1 गोदाम को माल की निकासी पर शुल्क का भुगतान न करना

गोदाम प्रावधानों को शासित करने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 20 के अनुसार उत्पाद शुल्क योग्य माल उत्पादन की फैक्टरी से एक गोदाम को अथवा एक गोदाम से दूसरे गोदाम को बिना शुल्क भुगतान के निकासित किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि गोदाम के लिए भेजा गया माल गोदाम को प्राप्त नहीं होता है तो शुल्क के भुगतान का उत्तरदायित्व प्रेषक का होगा। इसके अलावा, सीबीईसी के पूरक अनुदेश की उत्पाद शुल्क नियमपुस्तक 2005 के अध्याय 10 का पैरा प्रावधान करता है कि जब निर्धारिती एआरई-3 के तहत शुल्क के भुगतान के बिना भिन्न गोदामों को माल की निकासी करता है तथा 90 दिनों में पुनः भण्डारण प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो वह उस माल पर शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

अहमदाबाद-III कमीशनरी में मैसर्स सिन्टेक्स इण्डस्ट्री लि. (प्लास्टिक प्रभाग) ने एआरई-3 फॉर्म के तहत बिना शुल्क भुगतान के विभिन्न भण्डारों को माल की निकासी की थी। प्राप्त निकासी तथा पुनः भण्डारण की संवीक्षा पर, यह पाया गया कि वित्त वर्ष 2015-16 में एआरई-3 के तहत निकासी किये गए कुछ माल के संबंध में पुनः भण्डारण प्रमाणपत्र निकासी की तिथि से 90 से अधिक दिनों की समाप्ति के बाद भी निर्धारिती द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था। इस प्रकार निर्धारिती ऐसी निकासी के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। निकासी जिसके लिए पुनः भण्डारण प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किये गये थे का कुल मूल्य ₹ 3.34 करोड़ बनता था जिसमें ₹ 41.77 लाख का कुल शुल्क शामिल था, जिसकी लागू ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित थी।

जब हमने इस बताया (मई 2016), तो विभाग ने सूचित किया (दिसंबर 2016) कि निर्धारिती ने ₹ 3.89 लाख के ब्याज सहित ₹ 41.77 लाख का भुगतान कर दिया था।

#### **4.2.2 कम पाए गए कोयले पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा स्वच्छ ऊर्जा उपकरण का अनुदग्रहण**

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 का नियम 4(1) शर्त लगाता है कि उत्पाद शुल्क योग्य कोई माल जिस पर शुल्क उदग्राह्य है, शुल्क के भुगतान के बिना हटाया नहीं जाएगा। उपरोक्त नियमावली के नियम 10(1) के अनुसार प्रत्येक निर्धारिती दैनिक आधार पर उत्पादित अथवा विनिर्मित माल, प्रारंभिक शेष, उत्पादित अथवा विनिर्मित मात्रा आदि के संबंध में विवरणों को बताने वाला स्पष्ट तरीके से उचित रिकार्ड का अनुरक्षण करेगा। इसके अलावा, उपरोक्त नियमावली का नियम 21(1) माल पर शुल्क की छूट की अनुमति प्रदान करता है जो प्राकृतिक कारणों अथवा अपरिहार्य घटनाओं से गुम अथवा नष्ट हो गया है अथवा विनिर्माता द्वारा निष्कासन से पूर्व किसी भी समय खपत अथवा मार्केटिंग के लिए अनुपयुक्त के रूप में दावा किया जाता है, पर शुल्क की माफी अनुमत करता है। स्वच्छ ऊर्जा उपकरण नियमावली, 2010 के नियम 4 के अनुसार प्रत्येक निर्माता स्वच्छ ऊर्जा उपकरण नियमावली, 2010 के नियम 6 (1) में दिए गए तरीके में विनिर्दिष्ट माल को हटाने पर स्वच्छ ऊर्जा उपकरण (सीईसी) का भुगतान करेगा।

दिनांक 24 जून 2010 के सीबीईसी परिपत्र के पैरा सं. 3 के अनुसार उपकरण, कोयला खान से उठाये गए तथा भेजे गए कच्चे कोयले की हानि, यदि कोयले की वाशिंग अथवा खानों से प्रेषण से पूर्व अन्य किसी उत्पाद/रूप में उसका रूपांतरण के कारण कोई हो, के लिए इस मात्रा से बिना किसी कटौती के सकल मात्रा के लिए लागू होगा। उत्पादित कोयला उत्पादों पर ₹ 200 प्रति एमटी की दर पर स्वच्छ ऊर्जा उपकरण देय हैं।

राऊरकेला कमीशनरी के तहत मैसर्स महानदी कोल फील्डस लि. (एमसीएल) ओरियंट एरिया बृजराजनगर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 के अध्याय 27 के अधीन आने वाले कोयला के उत्पादक ने वित्त वर्ष 2014-15 के अंत में अपने बहीखातों में 90367.86 एमटी के रूप में कोयले का अन्त

शेष बताया था। निर्धारिती ने मार्च 2015 के महीने के लिए ईआर-1 विवरणी में भी बताया था कि वित्त वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर कोयले का अन्त शेष 91,814 एमटी था। तथापि, कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की कोयला जांच करने वाली टीम के प्रत्यक्ष सत्यापन पर यह पाया गया कि कोयले का वास्तविक प्रत्यक्ष बकाया केवल 47,296.22 एमटी था। इस प्रकार ₹ 7.20 करोड़ की कीमत वाले 44,517.78 एमटी कोयले की कमी थी। इस प्रकार, प्रत्यक्ष स्टॉक न तो ईआर-1 में प्रतिबिंबित किया गया था और न ही निर्धारिती ने उपरोक्त नियमावली के नियम 22 (1) के तहत इतनी कमी पर शुल्क की छूट के लिए आवेदन किया था। इसके परिणामस्वरूप कम पाए गए कोयले पर ₹ 43.20 लाख का शुल्क तथा कम पाये गए कोयले पर ₹ 89.04 लाख का स्वच्छ ऊर्जा उपकर नहीं लगाया गया तथा उसे ब्याज सहित निर्धारिती से वसूल किया जाना अपेक्षित था।

जब हमने इसे बताया (मार्च 2016), तो मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2017) तथा बताया कि ₹ 43.20 लाख के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा 2014-15 की अवधि हेतु ₹ 89.04 लाख के स्वच्छ ऊर्जा उपकर के लिए एससीएन जारी किया जा रहा था।

#### **4.2.3 सहयोगी इकाई को निकासी किये गए माल पर शुल्क की अल्प उगाही**

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य माल की कीमत का निर्धारण) नियमावली, 2000 के नियम 9 के लिए परन्तुक के साथ पठित नियम 8 परिकल्पित करता है कि जहाँ उत्पाद शुल्क योग्य माल निर्धारिती द्वारा बेचा नहीं जाता है परन्तु स्वयं द्वारा या निर्धारिती के संबंधित व्यक्ति द्वारा किसी अन्य वस्तु के निर्माण में इसकी खपत से की जाती है तो ऐसे माल का निर्धार्य मूल्य उत्पादन अथवा ऐसे माल के विनिर्माण की लागत का एक सौ दस प्रतिशत होगा। इसके अलावा, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए के तहत प्रावधानों के अनुसार शुल्क भुगतान न करने/कम भुगतान करने के लिए लागू दर पर ब्याज उगाही करने योग्य है।

बोलपुर कमिश्नरी के तहत मैसर्स स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-आईआईएससीओ स्टील प्लांट बर्नपुर ने आगे विनिर्माण में उपयोग हेतु 2013-14 के दौरान बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर आदि स्थित अपनी विभिन्न

सहयोगी इकाईयों को अनन्य रूप से ब्लास्ट फर्नेस (बीएफ) कोक की निकासी की। कुछ मामलों में निर्धार्य मूल्य जिस पर बीएफ की निकासी की गई थी, उत्पादन लागत के 110 प्रतिशत से कम था जैसा कि निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसके परिणामस्वरूप बीएफ कोयला का अवनिर्धारण हुआ तथा परिणामस्वरूप 2013-14 की अवधि हेतु ₹ 3.61 करोड़ के शुल्क का कम भुगतान हुआ।

जब हमने इसे बताया (जनवरी 2016), तो मंत्रालय ने आपत्ति (सितम्बर 2017) स्वीकार कर ली तथा सूचित किया कि कारण बताओ नोटिस जारी करना प्रक्रियाधीन था।

#### 4.2.4 शुल्क का कम भुगतान तथा ब्याज एवं शास्ति का भुगतान न करना

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2002 के नियम 8(3) के अनुसार, यदि निर्धारिती देय तिथि तक शुल्क की राशि का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह देय तिथि के बाद प्रथम दिन से आरम्भ होकर बकाया राशि के वास्तविक भुगतान की तिथि तक की अवधि के लिए बकाया राशि पर अधिनियम की धारा 11एबी के तहत जारी अधिसूचना के द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट दर पर ब्याज सहित बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

आगे केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 8 की उप धारा 3ए के अनुसार यदि निर्धारिती देय तिथि से एक महीने की अवधि में विवरणी में उसके द्वारा देय के रूप में घोषित शुल्क का भुगतान करने में असफल होता है तो फिर निर्धारिती उस अवधि के लिए जिसमें ऐसी विफलता जारी है, देय तिथि से प्रत्येक महीने अथवा उसके भाग की गणना के लिए भुगतान न की गई राशि पर एक प्रतिशत की दर पर शास्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

कोल्हापुर कमिश्नरी में मै. सोना अलॉय प्रा. लि. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 के अध्याय 72 के अंतर्गत आने वाली उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के उत्पादन में लगा हुआ है। ईआर विवरणी की संवीक्षा से पता चला कि अप्रैल 2015 से जनवरी 2016 की अवधि के दौरान, निर्धारिती ने प्रत्येक महीने के लिए विलंब के साथ उत्पाद शुल्क का भुगतान किया। निर्धारिती, 18



प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज और चुकौती की नियत तिथि से प्रतिमाह एक प्रतिशत की दर से शास्ति का भुगतान करने का, देनदार था। तथापि, निर्धारिती ने इसका भुगतान नहीं किया। इसके कारण ₹2.00 करोड़ के ब्याज और ₹1.35 करोड़ की शास्ति का भुगतान नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, फरवरी और मार्च 2016 के माह के लिए ₹10.44 करोड़ के देय शुल्क की अपेक्षा निर्धारिती ने केवल ₹7.23 करोड़ का भुगतान किया। ₹3.21 करोड़ का कम भुगतान किया गया शुल्क भी ब्याज सहित वसूली योग्य था।

जब हमने इसके बारे में बताया (अगस्त 2016) तब विभाग ने सूचित किया (दिसंबर 2016) कि विलंबित भुगतान के लिए निर्धारिती ने ब्याज के ₹2.00 करोड़ और शास्ति के ₹1.35 करोड़ का भुगतान कर दिया था और ₹29.37 लाख के ब्याज और ₹19.90 लाख की शास्ति के साथ ₹3.21 करोड़ के शुल्क का भुगतान भी कर दिया था।

#### **4.2.5 उत्पाद शुल्क की रियायत दर के गलत लाभ के कारण शुल्क का कम भुगतान**

केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के अध्याय 94 की धारा XX के अंतर्गत अध्याय टिप्पणी 3(बी) यह प्रावधान करती है, कि शीर्ष '9404 में वर्णित वस्तुएँ, अलग से प्रस्तुत करने पर, शीर्ष 9401, 9402 या 9403 में वस्तुओं के भाग के रूप में वर्गीकृत नहीं की जानी हैं।

रेंज उंबरगाम-। डिवीजन वापी, दमन कमिश्नरी के अंतर्गत आने वाली मै. जनक हेल्थ केयर प्रा.लि. अध्याय 94029010 के अंतर्गत वर्गीकरणीय चिकित्सा, सर्जिकल, डेंटल या पशु-चिकित्सा फर्नीचर के विनिर्माण में संलग्न है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना सं. 12/2012-सीई के क्रमांक संख्या 320 के अंतर्गत छह प्रतिशत की रियायती केंद्रीय उत्पाद शुल्क दर पर उक्त वस्तुओं की निकासी की। हमने देखा कि निर्धारिती ने चिकित्सीय, सर्जिकल, डेंटल या पशु-चिकित्सा फर्नीचर के भागों की भी छह प्रतिशत की रियायती दर पर निकासी की जिसमें उसने गद्दों की भी निकासी की जो कि शीर्ष 9404 के अंतर्गत वर्गीकरणीय थे। निर्धारिती ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान गद्दों की निकासी जो कि फर्नीचर के साथ थे, रियायती दर पर की थी जबकि उत्पाद शुल्क की सामान्य दर पर विकसित गद्दों का विकास किया गया था।

शुल्क की रियायती दर पर गददों की निकासी गलत थी क्योंकि उपरोक्त अध्याय टिप्पणी 3(बी) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि शीर्ष 9404 में वर्णित वस्तुएँ शीर्ष 9401, 9402 तथा 9403 के अंतर्गत वस्तुओं के भाग के रूप में वर्गीकृत नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत बिल में गददों को भिन्न उत्पाद कोड के अंतर्गत भिन्न उत्पाद के रूप में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था और सीटीएच 94.04 के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए थे। इसका साक्ष्य उत्पाद सूची से भी मिल जाता है, जिसमें उत्पाद गददों को अलग से दर्शाया गया है।

जब हमने इस बारे में बताया (मार्च 2014), तब विभाग ने इस आपत्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2016) और ₹83.30 लाख के और ब्याज तथा शास्ति के साथ ₹1.67 करोड़ की मांग की पुष्टि सूचित की।

#### **4.2.6 वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम भुगतान**

सीईटीए 1985 के अध्याय 30 के अंतर्गत टिप्पणी 1(ई) के अनुसार, 'शीर्ष 3307 से 3307' की सामग्री चाहे वे चिकित्सीय या रोग विरोधी विशेषताओं के हो फार्मासुटिकल उत्पादों में वर्गीकरणीय नहीं हैं। सीईटीए 1985 के अध्याय 33 के अंतर्गत टिप्पणी 3 यह वर्णन करती है कि शीर्ष 3303 से 3307 अन्य बातों के साथ-साथ उन उत्पादों पर चाहे मिश्रित हो नहीं (जलीय डिस्टिलेटस और आवश्यक तेलों के जलीय मिश्रण के अतिरिक्त), जो इन शीर्षों की वस्तुओं के समान उपयोग के लिए उपयुक्त और ऐसे प्रयोग के लिए खुदरा द्वारा एक प्रकार की पैकिंग में बेची जाए, लागू होते हैं। शीर्ष 3304 में सौंदर्य या मेक-अप वस्तुएँ या सनस्क्रीम या सनटैन वस्तुएँ आदि सहित त्वचा की देखरेख (औषधीय सामग्री के अतिरिक्त) की वस्तुएँ शामिल होती हैं।

कार्यालय अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गगनपहाड़ रेंज II, हैदराबाद के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा के दौरान, मै. अश्विनी होमियो एंड आयुर्वेदिक प्रॉडक्ट्स प्रा.लि. के अप्रैल 2013 से मार्च 2016 की अवधि की ईआर 1 रिटर्न में यह देखा गया कि निर्धारिती ने 'हर्बल बाथ पाउडर/सुन्नी पिंडी' को शीर्ष 30039014 के अंतर्गत वर्गीकृत करके छह प्रतिशत की दर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान किया। उक्त उत्पाद की खुदरा बिक्री के लिए निकासी की गई थी और किसी त्वचा रोग/बीमारी के इलाज के लिए नहीं।

उक्त अध्याय टिप्पणी के अनुसार, हर्बल बाथ पाउडर/सुन्नी पिंडी अध्याय शीर्ष 3304 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है, जिस पर 12.36 प्रतिशत/12.5 प्रतिशत (1 मार्च 2015 से प्रभावी) दर पर उत्पाद शुल्क देय है। इस गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹56.23 लाख का कम शुल्क प्राप्त हुआ जिसकी निर्धारिती से ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए थी।

जब हमने इस बारे में बताया (अगस्त 2016), तब मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार (अगस्त 2017) किया और कहा कि निर्धारिती को जनवरी 2012 से नवंबर 2016 की अवधि तक के लिए ₹90.14 लाख के शुल्क की मांग करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

### 4.3 सेनवैट क्रेडिट

लेखापरीक्षा ने निर्धारितियों द्वारा सेनवैट क्रेडिट के गलत प्राप्त करने/उपयोग के 28 मामले देखे। मंत्रालय/विभाग ने 26 मामलों में आपत्तियों को स्वीकार किया और सुधारात्मक कार्रवाई आरम्भ/पूर्ण की, जबकि एक मामले में, उत्तर प्रतीक्षित था। 6 मामलों का निम्नलिखित पैराग्राफों में वर्णन है। शेष 22 मामलों का वर्णन परिशिष्ट II में किया गया है।

#### 4.3.1 निर्माण कार्य संविदा सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट का गलत लाभ लेना

सेनवैट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 2(आई)(ए) के अनुसार 'इनपुट सेवा' में वित्त अधिनियम की धारा 66ई के खंड (बी) के अंतर्गत सूचीगत सेवा सहित जब किसी भवन या सिविल स्ट्रक्चर या उसके किसी भाग के निर्माण या निर्माण कार्य संविदा के निष्पादन के लिए प्रयुक्त हों निर्माण कार्य संविदा और निर्माण सेवाओं के निष्पादन में सेवा अंश सम्मिलित नहीं हैं।

एलटीयू कमिश्नरी, चेन्नई के अंतर्गत एक निर्धारिती मै. फोर्ड इंडिया प्रा. लिमि. ने 2013-14 और 2014-15 के दौरान फैक्टरी इमारत के निर्माण के लिए निर्माणकार्य संविदा सेवा से संबंधित रिवर्स चार्ज आधार के अंतर्गत ₹1.05 करोड़ की राशि का सेवाकर क्रेडिट गलत तरीके से प्राप्त किया था। प्राप्त गलत क्रेडिट वसूली योग्य था।

जब हमने इस बारे में बताया (जून, जुलाई 2015), तब मंत्रालय ने इस आपत्ति (सितंबर 2017) को स्वीकार किया और बताया कि 2013-14 से 2014-15 की अवधि को शामिल करते हुए ₹1.14 करोड़ की राशि वसूल करने के लिए निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

#### **4.3.2 अंतिम उत्पाद माल के विनिर्माण में प्रयोग नहीं की गई इनपुट सेवा पर सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ लेना**

सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(एल) के अनुसार, इनपुट सेवा का तात्पर्य है, ऐसी कोई भी सेवा जो (i) आउटपुट सेवा प्रदान करने के लिए आउटपुट सेवा प्रदाता द्वारा प्रयोग होती हो या (ii) विनिर्माता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंतिम उत्पाद के विनिर्माण या उससे संबंधित हो या अंतिम उत्पादों की हटाने के स्थान तक निकासी के लिए प्रयुक्त हो। उक्त नियमावली का नियम 14 सेनवैट क्रेडिट के अनियमित लाभ और प्रयोग पर ब्याज लगाने का प्रावधान करता है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 के अध्याय 27 के अंतर्गत आने वाले कोयले के उत्पादन में संलग्न राउरकेला कमिश्नरी के अंतर्गत मै. महानदी कोलफील्डस लिमि. (एमसीबसल) आईबी वेली क्षेत्र, ब्रजराज नगर ने वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान लखनपुर क्षेत्र से, मै. एमसीएल के कोयला लदान के लिए टिप्पर के भाड़ा प्रभार पर प्रदत्त सेवा कर पर ₹30.37 लाख के सेनवैट क्रेडिट का लाभ किया था। चूंकि, कोयले पर शुल्क का भुगतान मै. एमसीएल, लखनपुर क्षेत्र द्वारा किया गया था, इसलिए क्रेडिट केवल मै. एमसीएल, लखनपुर क्षेत्र के लिए अनुमत था। ₹30.37 लाख के इनपुट सेवा क्रेडिट के अनियमित लाभ और प्रयोग की वसूली निर्धारिती से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित थी।

जब हमने इस बारे में बताया (मार्च 2016), तब मंत्रालय ने यह कहते हुए इस अभ्युक्ति से असहमति जताई (सितम्बर 2017) कि निर्धारिती के पास 10 विभिन्न क्षेत्रों में 26 खदाने हैं और प्रत्येक खदान क्षेत्र में उन्होंने अलग-अलग पंजीकरण भी प्राप्त किए हैं। इस मामले में आईबी वेली क्षेत्र और लखनपुर क्षेत्र शामिल थे। प्रशासनिक सुविधा के कारण ठेकेदार द्वारा आईबी वेली क्षेत्र को बिल जारी किया गया था, पूरा क्रेडिट उनके द्वारा प्राप्त किया

गया और मामला राजस्व तठस्थ था। यह भी बताया गया कि मार्च 2011 से केंद्रीकृत पंजीकरण अनुमत किया गया, जिसके कारण कोयला विनिर्माण इकाई के विभिन्न खनन क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का निवारण हुआ है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारिती ने 01 अप्रैल 2015 को केंद्रीकृत पंजीकरण प्राप्त किया था। उसके पूर्व उसे सेनवैट क्रेडिट नियमावली का पालन करना था और संबंधित खदान क्षेत्रों द्वारा ही क्रेडिट प्राप्त करना चाहिए था।

#### 4.3.3 एक ही बिल पर दो बार सेनवैट क्रेडिट प्राप्त करना

सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3 के अनुसार, आउटपुट सेवा का विनिर्माता या प्रदाता उसमें वर्णित शुल्क/कर का सेनवैट क्रेडिट प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त, नियम 14 यह प्रावधान करता है कि जहां सेनवैट क्रेडिट लिया जा चुका है और गलत ढंग से उपयोग किया गया है, वहाँ ब्याज सहित उसकी वसूली की जाएगी।

चेन्नई-1 कमिश्नरी के अंतर्गत मै. हेवी व्हीकल्स फैक्टरी अवादी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक आयुध फैक्टरी है। निर्धारिती बख्तरबंद वाहनों/टैंकों के लिए उच्च क्षमता के डीजल इंजन का उत्पादन करता है तथा ऐसे वाहनों के अनुरक्षण और उपयोग से संबंधित सेना के कार्मिकों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। सेनवैट अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने देखा कि मार्च 2016 को समाप्त अवधि के दौरान निर्धारिती ने इनपुट क्रेडिट तथा इनपुट सेवा क्रेडिट के रूप में मै. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. चेन्नई द्वारा जारी 8 सीमा शुल्क बिलों के आधार पर ₹68.55 लाख का सेनवैट क्रेडिट प्राप्त किया था। इसी प्रकार, अप्रैल 2016 माह के दौरान इनपुट सेवा क्रेडिट और इनपुट क्रेडिट के रूप में मै. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी 4 सेवा कर बिलों के आधार पर ₹15.83 लाख का क्रेडिट प्राप्त किया। इसके परिणामतः दोगुना क्रेडिट प्राप्त किया गया। निर्धारिती ने एसएसआई इकाई जो वास्तव में छूट प्राप्त थे और जिन्होंने बिलों के संबंध में किसी शुल्क का भुगतान नहीं किया था, द्वारा जारी बिलों पर भी ₹18.11 लाख का क्रेडिट प्राप्त किया। इसप्रकार, निर्धारिती ने ₹1.02 करोड़ का क्रेडिट प्राप्त किया, जो लागू ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित था।

हमने विभाग को इस बारे में जनवरी 2017 में बताया। विभाग/मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित (अगस्त 2017)।

#### 4.3.4 निर्यातोन्मुख इकाई द्वारा सेनवैट क्रेडिट का भुगतान हेतु गलत प्रयोग

सेनवैट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 3(4) यह प्रावधान करता है कि सेनवैट क्रेडिट का प्रयोग निम्नलिखित के भुगतान के लिए किया जाय:

- (क) किसी अंतिम उत्पाद पर उत्पाद शुल्क; या
- (ख) इनपुट पर लिए गए सेनवैट क्रेडिट के समान राशि यदि ऐसे इनपुट उस रूप में या आंशिक रूप से प्रसंस्कृत करने के पश्चात निकासित कर दिए गये हो; या
- (ग) पूंजीगत वस्तुओं पर लिए गए सेनवैट क्रेडिट के समान राशि यदि ऐसी पूंजीगत वस्तुएँ उसी रूप में निकासित कर दी गई हो; या
- (घ) केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के नियम 16 के उप-नियम (2) के अंतर्गत कोई राशि; या
- (ङ) किसी आउटपुट सेवा पर सेवा कर

इसका तात्पर्य है कि उपरोक्त के अलावा सभी भुगतान नकद ही किये जाने चाहिए।

(ii) लेखापरीक्षा ने देखा कि वड़ोदरा ॥ कमिश्नरी के अंतर्गत मै. सन फार्मा (100 प्रतिशत ईओयू) ने ईओयू योजना से विमुक्त होने पर भंडार और पूंजीगत वस्तुओं में कच्चे माल पर ₹51.32 करोड़ के कुल शुल्क का भुगतान किया, जिसमें से ₹34.19 करोड़ चालान के माध्यम से नकद रूप में और ₹17.13 करोड़ सेनवैट क्रेडिट के माध्यम भुगतान किया गया। निर्धारिती ने कच्चे माल/इनपुट, पूंजीगत वस्तुओं, निर्मित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क और शुल्क मुक्त आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क के भुगतान के लिए ₹17.13 करोड़ के सेनवैट का प्रयोग किया।

उपरोक्त नियम के अनुसार, निर्धारिती केवल ₹1.48 करोड़ की राशि की निर्मित वस्तुओं पर देय केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान करने के सेनवैट क्रेडिट का प्रयोग करने का पात्र था। इसप्रकार, निर्धारिती ने ₹15.65 करोड़ के

क्रेडिट का प्रयोग शुल्क मुक्त वस्तुओं पर शुल्क के भुगतान और सीमा शुल्क के भुगतान के लिए गलत प्रकार से किया।

जब इस बारे में बताया गया (अगस्त 2014), तब मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2017) कि निर्धारिती को ₹ 7.34 करोड़ और ₹ 8.31 करोड़ के दो एससीएन जारी किए जा चुके थे और मांग की पुष्टि भी की गई थी।

(ii) भरूच कमिश्नरी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत में. बीएसएफ इण्डिया लिमिटेड (100 प्रतिशत ईओयू), ने ₹ 3.63 करोड़ की कीमत के आयातित कच्चे माल और पूंजीगत वस्तुओं (खरीद प्रमाणपत्र के अंतर्गत खरीदी गई) की उसी रूप में निकासी की। निर्धारिती ने ₹ 1.55 करोड़ की पूंजीगत वस्तुओं को भी बड़े खाते में डाला था। निर्धारिती ने उपरोक्त वस्तुओं पर ₹ 1.06 करोड़ का शुल्क भुगतान उक्त प्रावधानों के अनुसार नकद भुगतान की अपेक्षा सेनवैट क्रेडिट से किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.06 करोड़ के सेनवैट क्रेडिट का गलत प्रयोग हुआ।

जब हमने इस बारे में बताया (सितंबर 2015), तब मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार की (अगस्त 2017) और बताया कि 2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए निर्धारिती को ₹ 1.14 करोड़ का एससीएन जारी किया जा चुका था और उसकी पुष्टि भी हो चुकी थी।

#### **4.3.5 मंद गति भंडार पर सेनवैट वापस न करना**

सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(5बी) के अनुसार यदि प्रयोग किए जाने से पहले किसी (i) इनपुट या (ii) पूंजीगत वस्तुओं जिन पर सेनवैट क्रेडिट लिया गया है, की कीमत को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बड़े खाते में डाला जाता है या जहां लेखा बहियों में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बड़े खाते में डालने का प्रावधान किया जाता है, तो विनिर्माता या सेवा प्रदाता, जैसा भी मामला हो, उक्त इनपुट या पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में लिए गए सेनवैट क्रेडिट के समान राशि का भुगतान करेगा।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के अध्याय शीर्ष 84 के अंतर्गत आने वाली उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के विनिर्माण में संलग्न कोल्हापुर कमिश्नरी में में. राईटर इंडिया प्रा.लि. ने ₹ 6.97 करोड़ के मंद चलायमान

भंडार के अनुमत्य हेतु प्रवधान किए। निर्धारिती को भंडार के संबंध में लिए गये सेनवैट क्रेडिट की समान राशि को वापस करना था, जो नहीं किया गया था। इसके परिणामतः ₹87.10 लाख का सेनवैट क्रेडिट वापस नहीं किया गया।

वित्त लेखाओं में किसी बट्टे खाते में डालने या बट्टे खाते में डालने के लिए प्रावधान के मामले में, जहां सेनवैट क्रेडिट की वापसी आवश्यक है, निर्धारिती द्वारा विभाग को सूचित करने का कोई तन्त्र नहीं है। मंत्रालय जीएसटी तंत्र में एक समुचित तंत्र बनाना सुनिश्चित करे।

जब हमने इस बारे में बताया (सितंबर 2016), तब मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (जून 2017) और बताया कि मामले में ₹ 1.15 करोड़ की राशि शामिल थी और निर्धारिती द्वारा इस राशि की वापसी सेनवैट खाते से कर दी गई थी। मंत्रालय ने आगे बताया कि आने वाली जीएसटी प्रणाली में विशिष्ट प्रावधानों को सम्मिलित करने संबंधी सुझावों को भविष्य में अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।

#### 4.4 अन्य मामले

लेखापरीक्षा ने उपकर के कम भुगतान का एक मामला देखा जिसका उदाहरण निम्नानुसार है।

##### 4.4.1 स्वच्छ उर्जा उपकर का कम भुगतान

अधिसूचना सं. 01/2010 सीमा शुल्क (एनटी) (स्वच्छ उर्जा उपकर) दिनांक 22 जून 2016 के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 83 के अनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2010 से दसवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर भारत में उत्पादित वस्तुएं होने पर उत्पाद शुल्क के रूप में स्वच्छ उर्जा उपकर नामक उपकर लगाया गया था।

इसके अतिरिक्त, अधिसूचना सं. 01/2015 स्वच्छ उर्जा उपकर दिनांक 01 मार्च 2015 के अनुसार, कोयले पर स्वच्छ उर्जा उपकर की दर ₹200 प्रति टन निर्धारित की गई थी जिसे 1 मार्च 2016 से बढ़ाकर ₹400/एमटी कर दिया गया था।



केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर कमिश्नरी, धनबाद के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मै. मुगमा ईसीएल एरिया (निर्धारिती) ने फॉर्म-1 के अनुसार मार्च 2015 से मार्च 2016 के बीच 19,30,921 एमटी कोयले की निकासी के लिए स्वच्छ उर्जा उपकर के रूप में ₹42.08 करोड़ जमा कराये। लेखापरीक्षा ने पाया कि ईआर-1 विवरणियों के अनुसार मार्च 2015 से मार्च 2016 की अवधि के बीच कोयले की निकासी 19,35,144 एमटी थी और उस पर ₹42.17 करोड़ का स्वच्छ उर्जा उपकर देय था। इस प्रकार, निर्धारिती ने ₹8.94 लाख कम स्वच्छ उर्जा उपकर का भुगतान किया जो ब्याज और शास्ति सहित वसूली योग्य था।

जब हमने इस बारे में बताया (फरवरी 2017), तब विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (मार्च 2017) और सूचित किया (मई 2017) कि निर्धारिती को ब्याज और शास्ति सहित ₹16.81 लाख की राशि का एससीएन जारी किया जा चुका था।



## अध्याय V

### आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता

#### 5.1 आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण किसी सत्व के प्रबंधन और कार्मिकों द्वारा की जाने वाली एक अभिन्न प्रक्रिया है जो जोखिम का समाधान करती है और सत्व के लक्ष्य के लिए तर्क संगत आश्वासन उपलब्ध करती है कि निम्नलिखित सामान्य उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं:

- व्यवस्थित, नैतिक, मितव्ययी, दक्ष और प्रभावी परिचालनों का निष्पादन;
- जवाबदेही दायित्वों को पूरा करना;
- लागू कानून और विनियमों का अनुपालन;
- हानि, दुरुपयोग और क्षति के प्रति संसाधनों की सुरक्षा।

#### 5.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग दो क्रियाओं अर्थात् विवरणियों की संवीक्षा, और आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा आंतरिक नियंत्रण करता है। रिकॉर्डों की नमूना जांच में हमें ₹ 279.19 करोड़ के राजस्व वाले 58 मामलों में असफल आंतरिक नियंत्रण देखने को मिला, जिन्हें इस अध्याय में शामिल किया गया है।

#### 5.3 आंतरिक लेखापरीक्षा न किया जाना

लेखापरीक्षा ने नौ मामले देखे जहाँ आंतरिक लेखापरीक्षा देय होने के बावजूद विभाग द्वारा नहीं की गई थी, जिसके कारण निर्धारितियों द्वारा की गई त्रुटियां खोजी नहीं जा सकी। चार मामलों में, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा न किए जाने की बात स्वीकार की और इन मामलों का विवरण परिशिष्ट III में दिया गया है। शेष पांच मामलों का सोदाहरण विवरण निम्नानुसार है।

### 5.3.1 केंद्रीय उत्पाद शुल्क का कम भुगतान

#### 5.3.1.1 माल भाड़ा प्रभार के शामिल न किए जाने के कारण शुल्क का कम भुगतान

केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का मूल्य निर्धारण) नियमावली 2000 का नियम 5, नीचे दी गई व्याख्या 2 के साथ पठित, यह कहता है कि जहां उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को बेचा जाता है और हटाने का स्थान फैक्ट्री नहीं है, तो उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के मूल्य निर्धारण के उद्देश्य के लिए फैक्ट्री से हटाये जाने के स्थान तक की परिवहन लागत को छोड़ा नहीं जाएगा।

वड़ोदरा-11 कमिश्नरी के अंतर्गत आने वाले मै. शनाईडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमि. ने डिलिवरी हेतु अपने अंतिम उत्पाद की निकासी की (एक्स वर्क्स-उपभोक्ता स्थल)। क्रय आदेश की शर्तों के अनुसार, निर्धारिती ग्राहक के घर पर ग्राहक की संतुष्टि के लिए अच्छी स्थिति में वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए जवाबदेह था। इसप्रकार, ग्राहकों तक वस्तुओं का वितरण करने तक वस्तुओं पर निर्धारिती का अधिकार था। निर्धारिती ने स्थानीय शुल्कयोग्य बिक्री पर 2010-11 से 2013-14 की अवधि के दौरान जावक माल भाड़ा के रूप में ₹4.49 करोड़ की राशि वसूल की जिस पर ₹54.79 लाख का उत्पाद शुल्क देय था। इसके परिणामस्वरूप ₹54.79 लाख के उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं हुआ जो लागू ब्याज सहित वसूली योग्य था।

यद्यपि निर्धारिती वर्तमान प्रतिमानों के अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षा उद्देश्य से एक अनिवार्य इकाई था परन्तु फरवरी 2013 के पश्चात (जनवरी 2010 से दिसंबर 2012 की अवधि शामिल करके) आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी जिसके कारण त्रुटि का पता नहीं चल पाया।

जब हमने इस बारे में बताया (जुलाई 2014), तब मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (सितंबर 2017) और कहा कि दिसंबर 2011 से दिसंबर 2015 की अवधि के लिए निर्धारिती को ब्याज और शास्ति सहित ₹1.16 करोड़ का एससीएन जारी किया गया था और मांग की पुष्टि की गई। आंतरिक

लेखापरीक्षा असफलता के लिए, मंत्रालय ने बताया कि नमूना जांच आधार पर लेखापरीक्षा किए जाने के कारण मामलों का पता नहीं लगाया जा सका था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा नियमपुस्तक 2008 का अनुबंध ग अन्य बातों सहित यह शर्त लगाता है कि, 'लाभ और हानि लेखा' की जांच करते समय माल भाड़े के रूप में वसूल की गई राशि की विस्तृत जांच की जानी चाहिए। कर योग्य मूल्य में एकत्रित मालभाड़े को शामिल किए जाने संबंधी मामलों की जांच आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा की जानी चाहिए थी।

### 5.3.2 सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ लेना/वापस न करना

#### 5.3.2.1 स्वच्छ उर्जा उपकर पर सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ लेना

सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(1) के अनुसार, अंतिम उत्पाद का विनिर्माता या उत्पादक या आउटपुट सेवा के प्रदाता को इनपुट्स, पूंजीगत वस्तुओं या इनपुट सेवाओं पर चुकाये गये विनिर्दिष्ट शुल्कों का सेनवैट क्रेडिट लेने की अनुमति होगी। सेनवैट क्रेडिट का लाभ लेने के लिए उपरोक्त प्रावधान के अनुसार स्वच्छ उर्जा उपकर विनिर्दिष्ट शुल्क नहीं है।

उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 के अध्याय 76 के अंतर्गत आने वाले एल्यूमिनियम इनगॉट, वायर रॉड, बिलेट्स आदि के विनिर्माण में संलग्न भुवनेश्वर-II कमिश्नरी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्यरत मै. नालको स्मेल्टर प्लांट अंगुल ने नियमावली के उल्लंघन में मार्च 2016 में कोयले पर स्वच्छ उर्जा उपकर (सीईसी) के भुगतान के प्रति ₹8.08 करोड़ का सेनवैट क्रेडिट प्राप्त किया। इसके परिणामतः ₹8.08 करोड़ के अनियमित सेनवैट लिया गया, जो निर्धारिती से वसूल किया जाना अपेक्षित था।

यद्यपि वर्तमान मानदण्डों के अनुसार निर्धारिती आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए अनिवार्य इकाई था, तथापि 2014-15 और 2015-16 की अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

जब हमने इसे बताया (सितम्बर 2016), तब मंत्रालय ने इन आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2017) और बताया कि निर्धारिती ने विरोध के अन्तर्गत मार्च 2016 से नवंबर 2016 तक की अवधि की आपत्तिगत राशि

सहित ₹ 230.50 करोड़ वापस किया था। आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं किये जाने पर मंत्रालय ने बताया कि तय समय के भीतर निर्धारिती से अपेक्षित दस्तावेजों की प्राप्ति न होने के कारण लेखापरीक्षा में देरी हुई थी और 2014-15 और 2015-16 की अवधि के लिए फरवरी 2017 में लेखापरीक्षा की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि आन्तरिक लेखापरीक्षा निर्धारिती के परिसर में की जाती है जहां सभी अभिलेख उपलब्ध होते हैं। क्योंकि इसमें पर्याप्त राजस्व शामिल है इसलिए मंत्रालय को समय पर लेखापरीक्षा न करने के कारणों की जांच तथा उचित कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

### 5.3.2.2 प्रयुक्त पूंजीगत सामान की निकासी पर सेनवैट क्रेडिट वापस न करना

सेनवैट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 3(5ए)(ए) के अनुसार, यदि पूंजीगत वस्तुओं, जिन पर सेनवैट क्रेडिट लिया गया है, को प्रयुक्त किए जाने के उपरान्त हटाया जाता है, तो विनिर्माणकर्ता को कथित पूंजीगत वस्तुओं पर लिये गये सेनवैट क्रेडिट के बराबर राशि जो कि सीधी रेखा पद्धति द्वारा परिकल्पित प्रतिशत बिन्दुओं के द्वारा घटाया गया हो, जैसा कि उप नियम (i) एवं (ii) में निर्दिष्ट है अथवा लेन-देन मूल्य पर देय शुल्क के बराबर, जो भी अधिक हो का भुगतान करना होगा। राशि के भुगतान न करने के मामले में, नियम 14 के साथ पठित नियम 3(5सी) के नीचे व्याख्या 2 के अनुसार राशि ब्याज सहित वसूलने योग्य है।

कोलकता-। कमिश्नरी के अन्तर्गत मै. डायमण्ड बेवरेज प्रा.लि., ने जनवरी 2014 में ₹ 1.38 करोड़ के लिए प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुओं की निकासी की। निर्धारिती ने उक्त पूंजीगत वस्तुएं जनवरी 2003 में खरीदी थी और उन पर सेनवैट क्रेडिट भी प्राप्त किया था। तथापि, कथित पूंजीगत वस्तुओं को हटाने समय निर्धारिती ने उपर्युक्त नियम के अन्तर्गत आवश्यक राशि का भुगतान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप 2013-14 के दौरान ₹ 15.18 लाख की राशि का भुगतान नहीं हुआ, जो कि लागू ब्याज सहित वसूली योग्य था।

इसे बताए जाने पर निर्धारिती ने ₹5.69 लाख के ब्याज सहित कुल ₹20.87 लाख की राशि का भुगतान किया।

मौजूदा मानदंडों के अनुसार वार्षिक लेखापरीक्षित किए जाने हेतु निर्धारिती एक अनिर्वाय ईकाई थी लेकिन विभाग ने निर्धारिती की अन्तिम आन्तरिक लेखापरीक्षा नवंबर 2013 में की थी जिसमें केवल 2011-12 तक की अवधि सम्मिलित थी। उसके बाद निर्धारिती की कोई लेखापरीक्षा विभाग ने नहीं की। अतः हमारे बताए जाने तक चूक का पता नहीं चला।

जब हमने इसे बताया (मार्च 2016) तब मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार कर लिया (जुलाई 2017) तथा वसूली की पुष्टि की। आन्तरिक लेखापरीक्षा न करने पर मंत्रालय ने बताया कि 2012-13 से 2014-15 की अवधि के लिए जून 2016 में हमारे लेखापरीक्षा उपरान्त आन्तरिक लेखापरीक्षा की गई थी।

अनिर्वाय ईकाई की वार्षिक आन्तरिक लेखापरीक्षा न करने पर मंत्रालय का उत्तर मौन है।

### 5.3.2.3 सेनवैट क्रेडिट वापस न करना

अधिसूचना सं. 03/2011 दिनांक 01 मार्च 2011 द्वारा संशोधित सेनवैट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 3 का उपनियम, अन्य के साथ-साथ प्रावधान करता है कि यदि उपयोग किए जाने से पहले किसी भी इनपुट या पूंजीगत वस्तुओं जिन पर सेनवैट क्रेडिट लिया गया है का मूल्य पूर्ण या आंशिक रूप से बढ़े खाते में डाला गया है या जहां लेखाबहियों में पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से बढ़े खाते में डालने का प्रावधान किया गया है, तो विनिर्माणकर्ता उक्त इनपुट अथवा पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में लिये गये सेनवैट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

शिलांग कमिश्नरी में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 के अध्याय 27 के अन्तर्गत पेट्रोलियम उत्पादों की सामग्रियों के विनिर्माण और निकासी में लगे हैं. नुमालीगढ रिफाईनरी लि. ने अप्रचलित भंडार और पुर्जों के लिए 31 मार्च 2016 को ₹66.24 करोड़ का प्रावधान भविष्य की तारीख पर उक्त राशि को बढ़े खाते में डालने के उद्देश्य से किया था।

ऊपर उल्लिखित नियम के अनुसार, निर्धारिती भंडार और पुर्जों की उन अप्रचलित मदों पर पहले लिये गये सेनवैट क्रेडिट के बराबर राशि के भुगतान के लिए दायी था लेकिन उसका भुगतान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2015-16 के लिए ₹ 29.89 लाख का सेनवैट क्रेडिट वापस नहीं हुआ।

हालांकि मौजूदा मानदंडों के अनुसार विभाग द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षित किए जाने के लिए निर्धारिती एक अनिर्वाय ईकाई थी परन्तु मार्च 2014 से यह लेखापरीक्षित नहीं हुई थी। इसलिए कमियां पता नहीं चल सकी।

हमने अगस्त 2016 में इसे बताया, विभाग/मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2017)

#### 5.3.2.4 सेनवैट क्रेडिट की कम वापसी

सेनवैट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 3(5बी) यह कहता है कि यदि उपयोग किये जाने से पूर्व किसी (i) इनपुट अथवा (ii) पूंजीगत वस्तुओं जिन पर सेनवैट क्रेडिट लिया गया है का मूल्य पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से बढ़े खाते में डाला जाता है या जहां लेखाबहियों में पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से बढ़े खाते में डालने के लिए प्रावधान किया जाता है तो विनिर्माणकर्त्ता या सेवाप्रदाता जैसा भी मामला हो, उक्त इनपुट और पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में लिये गये सेनवैट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा। इसके अलावा सेनवैट क्रेडिट केवल उन इनपुट के संबंध में लिया जा सकता है जो तैयार वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त हैं।

अहमदाबाद-॥ कमिश्नरी के अन्तर्गत मै. इंगरसोल रैण्ड (इन्डिया) लि. ने अपनी इनपुट सामग्रियों को स्थानीय के साथ-साथ आयात द्वारा खरीदा था। मार्च 2011 से मार्च 2014 की अवधि के मध्य निर्धारिती ने कुल इनपुट खरीदारी में से 35 प्रतिशत (औसतन) का आयात किया था। निर्धारिती ने इस अवधि के दौरान अप्रचलित और कम उपयोगी मदों (ओएसएमआर) पर ₹ 1.09 करोड़ वापस किया था। तथापि, केवल स्थानीय खरीदारी के लिए लागू दर पर (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क केवल) वापसी की गई थी। निर्धारिती 17.74 प्रतिशत की दर पर आयतित इनपुटों के समानुपाती सेनवैट क्रेडिट वापस करने



के लिए अपेक्षित था (अर्थात् सीवीडी+एसएडी आयात पर लागू है जिसके लिए निर्धारिती क्रेडिट लेने योग्य है)। इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.67 लाख तक की राशि की कम वापसी हुई।

निर्धारिती की आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा नवंबर 2011 के बाद से नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप कमियां नहीं पकड़ी गईं।

जब हमने यह बताया (दिसंबर 2015) तब विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2016) कि निर्धारिती ने ₹ 16.67 लाख के सेनवैट क्रेडिट की वापसी और ₹ 8.01 लाख के ब्याज का भुगतान किया था।

मंत्रालय ने आपत्ति (सितंबर 2017) से यह कहते हुए असहमति जताई कि मुद्दा पहले से ही विभाग की जानकारी में था। आन्तरिक लेखापरीक्षा न करने के लिए, यह बताया कि आन्तरिक लेखापरीक्षा 2014 और 2015-16 में की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आन्तरिक लेखापरीक्षा ने केवल यह बताया था कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वापसी ओएसएमआई के प्रावधान पर किया जाना अपेक्षित था और मूल उत्पाद शुल्क अर्थात् 12.36 प्रतिशत की दर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वापसी राशि को स्वीकार किया गया था। तथापि, हमने बताया था कि ओएसएमआई में आयातित इनपुटों का भाग (35 प्रतिशत) भी समाहित है जिस पर सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी) और विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) के सेनवैट क्रेडिट का लाभ लिया था जिसे 17.74 प्रतिशत की दर पर वापस किया जाना आवश्यक था अतः उपरोक्त गलत-गणना के कारण कम शुल्क वापसी की विभेदक राशि को हमारे द्वारा बताया गया था जिसे आन्तरिक लेखापरीक्षा बताने में असफल रहा था।

#### **5.4 आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा अवधि का अपूर्ण समावेश**

केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा नियमपुस्तक 2008 का पैरा 4.2 यह अनुबंध करता है कि लेखापरीक्षा को वर्तमान लेखापरीक्षा की पूर्ववर्ती तिथि से एक पूर्ण माह तक बढ़ा देना चाहिए। हमने ऐसे दो मामले देखे जहां लेखापरीक्षा उचित अवधि तक नहीं बढ़ाया गया था जिनके सोदाहरण निम्न हैं।

#### 5.4.1 इनपुट सेवा क्रेडिट का अनियमित लाभ प्राप्त करना

सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(एल) (ए) के अनुसार इनपुट सेवा अन्य के साथ किसी भवन अथवा सिविल संरचना के निर्माण अथवा कार्य संविदा के निष्पादन के लिए प्रयुक्त कार्य संविदा तथा निर्माण सेवाओं के निष्पादन में प्रयुक्त सेवा अंश को इनपुट सेवा से अलग करता है।

सिलीगुडी कमिश्नरी में मै. सन फार्मा लेबोरेटरीज लि. और हल्दिया कमिश्नरी में मै. के ई टैक्निकल टैक्सटाईल प्रा.लि. ने सिविल संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रयुक्त निर्माण कार्य संविदा/निर्माण सेवाओं पर प्रदत्त सेवा कर के सेनवैट क्रेडिट का लाभ लिया, जो अनियमित था। इसके परिणामस्वरूप मै. सन फार्मा लेबोरेटरीज लिमिटेड के मामले में 2011-12 से 2012-13 की अवधि के दौरान ₹ 11.93 लाख और मै. के ई टैक्निकल टैक्सटाईल प्रा.लि. के मामले में 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान ₹ 8.83 लाख के सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ लिया गया।

विभाग ने दिसंबर 2013 में मार्च 2013 तक की अवधि तक के लिए मै. सन फार्मा लेबोरेटरीज प्रा. लि. की आन्तरिक लेखापरीक्षा की। मै. के ई टैक्निकल टैक्सटाईल प्रा.लि. के मामले में, विभाग ने अक्टूबर 2014 में मार्च 2014 तक की अवधि के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा की। दोनों ही मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षा कमियों को निकालने में असफल रहा। विभाग ने आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए पूर्ण अवधि को भी कवर नहीं किया था जैसा कि लेखापरीक्षा नियमपुस्तक के पैरा 4.2 में अपेक्षित है।

जब हमने इन्हें बताया (मार्च 2015 और सितंबर 2015), तब मंत्रालय ने मै. सन फार्मा लेबोरेटरीज लिमिटेड के मामले में बताया कि निर्धारिती को जारी एससीएन ब्याज और शास्ति सहित मांग की पुष्टि करते हुए अधिनिर्णित किया गया था। निर्धारिती ने ₹ 7.53 लाख के ब्याज सहित ₹ 8.39 लाख के शुल्क का भुगतान किया था। मै. के ई टैक्निकल टैक्सटाईल प्रा.लि. के मामले में, मंत्रालय ने जून 2017 में सूचित किया कि निर्धारिती ने ₹ 1.06 लाख के ब्याज सहित ₹ 8.83 लाख का शुल्क वापस किया था।

मै. एन फार्मा लैबोरीज लि. के संबंध में कमियों का पता न लगाने के लिए मंत्रालय ने बताया कि बीजकों की अधिक संख्या और श्रमबल की कमी के कारण कमियों की पहचान नहीं हो सकी। मै. कोई टैक्निकल टैक्सटाईल प्रा. लि. के संबंध में यह बताया गया कि चूक करने वाले अधिकारियों से स्पष्टिकरण मांगा जा रहा था। तथापि मंत्रालय ने लेखापरीक्षा में अवधि की अपूर्णता के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया।

#### 5.4.2 सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ प्राप्त करना।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5(ए) की उप-धाराएं (1) और (1ए) यह प्रावधान करती हैं कि जहाँ किसी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के संबंध में उत्पाद शुल्क से पूर्ण रूप से छूट दी जाती है वहां ऐसी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का विनिर्माता ऐसी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं करेगा।

परिपत्र सं. 940/1/2011-सी एक्स दिनांक 14 जनवरी 2011 स्पष्ट करता है कि यदि निर्धारिती ऐसी छूट प्राप्त वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क के रूप में किसी राशि का भुगतान करता है, तो उक्त को डाउनस्ट्रीम ईकाई के लिए 'सेनवैट क्रेडिट' के रूप में स्वीकृत नहीं किया जा सकता है चूंकि निर्धारिती द्वारा प्रदत्त राशि को सेनवैट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 3 के अन्तर्गत 'उत्पाद शुल्क' नहीं कहा जा सकता है। निर्धारिती द्वारा इस प्रकार प्रदत्त और उत्पाद पर शुल्क के रूप में प्रस्तुत कर क्रेताओं से संग्रहीत राशि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11डी की शर्तों के अनुसार केंद्रीय सरकार को जमा की जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, डाउनस्ट्रीम इकाईयों द्वारा प्रयुक्त ऐसी राशि के सेनवैट क्रेडिट को भी सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 14 के अनुसार वसूलने की आवश्यकता है।

स्पंज आयरन, एमएस बिल्लेट, सिलीकॉन मैगनीज इत्यादि के विनिर्माण में लगे बोलपुर कमिश्नरी के अन्तर्गत मै. सुपर स्मेल्टर्स लि. (इकाई-III), ने फैरो मैगनीज स्लैग की खरीद की जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क की सामान्य अधिसूचना संख्या 50 (अधिसूचना सं. 12/2012-सीई दिनांक 17 मार्च 2012) के क्रम सं. 57 के तहत शुल्क मुक्त थी। वस्तुओं के शुल्क से मुक्त होने के बावजूद, निर्धारिती ने वस्तुओं की खरीद पर शुल्क का भुगतान किया और क्रेडिट का

लाभ भी प्राप्त किया। यह उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन था जिसके परिणामस्वरूप 2014-15 के दौरान ₹4.14 लाख के सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ प्राप्त किया गया था जो कि निर्धारिती से उचित ब्याज सहित वसूलने योग्य था।

विभाग द्वारा निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा नियमपुस्तक 2008 के पैरा 4.2 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, वर्तमान लेखापरीक्षा की तिथि के पूर्ववर्ती पूर्ण एक माह तक की अवधि का समावेश करने के बजाय केवल 2013-14 तक की अवधि समावेश करते हुए, मार्च 2015 में की गई थी। इसके अतिरिक्त वार्षिक लेखापरीक्षा करने के लिए अनिवार्य इकाई होने के बावजूद, विभाग ने वर्ष 2014-15 के बाद निर्धारिती की लेखापरीक्षा नहीं की थी। अतः हमारे बताए जाने तक कमी का पता नहीं चल सका।

जब हमने यह बताया (सितंबर 2015), तब मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (सितंबर 2017) और बताया कि एससीएन लगातार जारी किए जा रहे थे। आंतरिक लेखापरीक्षा में पूर्व माह तक की अवधि को कवर न करने के लिए मंत्रालय ने बताया कि उचित दस्तावेजों जो लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं के बिना अवधि को समावेशित करना लेखापरीक्षा नियम पुस्तक के मूल सिद्धान्तों का उल्लंघन होगा और परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हो सकती है। लेखापरीक्षा एक निरन्तर प्रक्रिया है और पूर्ण वित्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा के लिए ईकाईया पुनः आंशिक की जाती है।

#### **5.5 आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारितियों की कमियों का पता न लगाया जाना**

लेखापरीक्षा ने 42 मामलों में देखा जहां विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी लेकिन वे निर्धारिती द्वारा की गई कमियों का पता लगाने में असफल हो गये। 22 मामलों में मंत्रालय ने आंतरिक लेखापरीक्षा की कमियों को स्वीकार किया और जहां कहीं भी आवश्यक हुआ चूककर्ता अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ की। ये मामले परिशिष्ट-III में विस्तृत रूप से दिये गये हैं। शेष 20 मामले सोदाहरण नीचे दिये गये हैं।

### 5.5.1 शुल्क का कम भुगतान

#### 5.5.1.1 मालभाडे के रूप में प्राप्त प्रतिफल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क का कम भुगतान

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 4 की व्याख्या VI के खण्ड (डी) के अनुसार “संव्यवहार मूल्य” वस्तुएं जब बेची जाती हैं, के लिए वास्तव में दी गई कीमत अथवा देय कीमत के रूप में परिभाषित किया जाता है और मूल्य के रूप में प्रभारित राशि के अतिरिक्त कोई राशि जिसे क्रेता अदा करने के लिए अथवा बिक्री के संबंध में निर्धारिती की ओर से अथवा क्रेता भुगतान करने के लिए दायी है चाहे बिक्री के समय पर अथवा किसी अन्य समय पर देय है शामिल करता है। परन्तु उसके लिए प्रभारित किसी राशि तक अथवा विज्ञापन अथवा प्रचार, विपणन तथा विक्रय संगठन खर्च, भंडारण, बाह्य प्रहस्थान, कमीशन, अथवा किसी अन्य विषय के प्रावधान करने तक सीमित को छोड़ कर परन्तु ऐसी वस्तुओं पर वास्तव देय उत्पाद शुल्क बिक्री कर और अन्य करो यदि कोई हो की राशि को शामिल नहीं करता है।

(i) केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 के अध्याय 72 एवं 73 के अन्तर्गत आने वाली प्लेटस, ऐन्गल, जी-स्टील टावॅर, पोल्स इत्यादि के विनिर्माण में लगे हैदराबाद III कमिशनरी के अन्तर्गत मै. ऐस्टर प्रा. लि. नालगोडा ने मै. यू.पी. पावर ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन लि. और मै. ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन आफ आंध्र प्रदेश लि. को 2012-13 से 2015-16 तक के दौरान फैक्ट्री से निकासी के स्थान तक अर्थात् क्रेता के परिसर को एफओआर गन्तव्य आधार पर माल की निकासी की थी। वस्तुओं के परिवहन का जोखिम और मालिकाना हक वस्तुओं के परिवहन के दौरान निर्धारिती पर रहा। तथापि, क्रेता से प्राप्त परिवहन की लागत पर खर्च ₹ 7.42 करोड़ की उक्त नियम के उल्लंघन में संव्यवहार मूल्य की गणना करते समय कटौती की गई थी। इसके परिणामस्वरूप वस्तुओं का अल्प मुल्यांकन हुआ और ₹ 91.87 लाख के शुल्क का कम भुगतान हुआ जिसे निर्धारिती से ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक था।

विभाग द्वारा निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा मई 2014 तक की अवधि के लिए जून-जुलाई 2014 में की गई थी परन्तु वह चूक खोजने में असफल रही।

जब हमने इसे बताया (जून 2016) तब मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार (अप्रैल 2017) किया और बताया कि ब्याज और शास्ति सहित ₹ 1.25 करोड़ के लिए एससीएन जारी किया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षा के असफल रहने के लिए, यह बताया गया कि लेखापरीक्षा नमूना जांच आधार पर होने के कारण मामले का पता नहीं चला था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्पादन शुल्क लेखापरीक्षा नियमपुस्तक 2008 का अनुबंध (सी) कहता है कि लाभ एवं हानि लेखा की जांच करते समय भाड़े के रूप में वसूली गई राशि की विस्तृत जांच की जानी चाहिए और 'एफओआर गंतव्य आधार' पर वस्तुओं की आपूर्ति के मुद्दे की जांच की जानी चाहिए थी।

(ii) सेटा 1985 के अध्याय शीर्ष 85 के अन्तर्गत आने वाले पीजेयू भूमिगत केबलों, सिंगल केबलों आदि के विनिर्माण में लगे हैराबाद-III कमिश्नरी के अन्तर्गत मै. गोलकुंडा इंजिनियरिंग इंटरप्राइजेज लि. मल्लापुर ने 2014-15 से 2015-16 तक की अवधि के दौरान फैक्ट्री से निकासी के स्थान अर्थात् क्रेता के परिसरों को एफओआर गन्तव्य आधार पर विभिन्न स्थानों पर स्थित भारतीय रेल के विभिन्न जोनों को माल की निकासी की थी। वस्तुओं के परिवहन के दौरान वस्तुओं के परिवहन और स्वामित्व का जोखिम निर्धारिती के पास रहा। तथापि, परिवहन की लागत पर खर्च ₹ 4.34 करोड़ (क्रेता से प्राप्त) की उक्त नियम के उल्लंघन में, संव्यवहार मूल्य की गणना करते समय कटौती की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 54.02 लाख के उत्पादन शुल्क का कम भुगतान हुआ जिसे निर्धारिती से ब्याज सहित वसूले जाने की आवश्यकता थी।

हालांकि, विभाग द्वारा निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा मार्च 2016 तक की अवधि के लिए की गई परन्तु यह कमियों को खोजने में असफल रही।

जब हमने यह बताया (अक्टूबर 2016), तब मंत्रालय ने पैरा से यह (अगस्त 2017), कहते हुए असहमति जताई कि विभाग ने नवंबर 2013 में की

गई आंतरिक लेखापरीक्षा में उक्त मुद्दे को पहले ही खोज लिया था और अप्रैल 2012 से सितंबर 2013 की अवधि के लिए ₹ 0.58 लाख के ब्याज सहित ₹ 5.35 लाख और दिसंबर 2013 से फरवरी 2015 की अवधि के लिए ₹ 4.07 लाख की राशि को वसूल किया गया था। आगे यह भी बताया कि मार्च 2012 से सितंबर 2016 की अवधि के लिए ₹ 87.86 लाख का एससीएन जारी किया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षा की असफलता के लिए मंत्रालय ने बताया कि मुद्दे को नहीं उठाया गया था क्योंकि आपत्ति में सम्मिलित मुद्दे में एस्कार्ट जेसीबी लि. के मामले में शीर्ष कोर्ट का विपरीत निर्णय हुआ था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आंतरिक लेखापरीक्षा ने इसी प्रकार के मुद्दे का नवंबर 2013 में पता लगाया था लेकिन बाद में जुलाई 2016 में किये गये लेखापरीक्षा में यह उसी प्रकार की कमियों को पहचानने में असफल हो गया। इसके अलावा, इसी प्रकार के मुद्दे पर शीर्ष कोर्ट के विपरीत निर्णय का तर्क मान्य नहीं है क्योंकि इसी प्रकार का मुद्दा नवंबर 2013 में आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया था।

(iii) सेटा 1985 के अध्याय शीर्ष 68 के अन्तर्गत आने वाली एसबेस्टस सीमेन्ट शीट और एसबेस्टस अन्य के विनिर्माण में लगी गुटूर कमिश्नरी के अन्तर्गत में. रामको इन्डस्ट्रीज लि. इब्राहिमपटनम ने 2013-14 से 2015-16 तक की अवधि तक के दौरान फैक्ट्री से निकासी के स्थान अर्थात क्रेता के परिसर को एफओआर गंतव्य आधार पर मै. आन्ध्र प्रदेश पॉवर जनरेशन कॉरपोरेशन लि. और डा. नरला टाटा राव थर्मल पावर स्टेशन को वस्तुओं की निकासी की थी। वस्तुओं के परिवहन के दौरान वस्तुओं के परिवहन और स्वामित्व का जोखिम निर्धारिती के पास रहा। तथापि खर्च हुई (क्रेता से प्राप्त) ₹ 1.27 करोड़ की परिवहन की लागत की उक्त नियम के उल्लंघन में संव्यवहार मूल्य की गणना करते समय कटौती की गई थी। इसके परिणामस्वरूप वस्तुओं का अल्प मूल्यांकन हुआ और ₹ 15.71 लाख के शुल्क की कम उगाही हुई जिसे निर्धारिती से ब्याज सहित वसूले जाने की आवश्यकता थी।

विभाग द्वारा निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा मार्च 2015 तक की अवधि के लिए की गई थी लेकिन यह त्रुटि का पता लगाने में असफल रहा।

जब हमने यह बताया (नवम्बर 2016) तब विभाग ने (फरवरी 2017) अपत्ति को स्वीकार किया और बताया (मार्च 2017) कि ₹24.86 लाख के लिए निर्धारिती को एससीएन जारी किया गया था।

मंत्रालय ने यह कहते हुए अपत्ति से असहमति जताई (जुलाई 2017) कि यद्यपि वस्तुओं की निकासी एफओआर गतंव्य आधार पर की गई लेकिन वस्तुएं कैरियर को सौंपी गई थीं और विनिर्माणकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। बोर्ड का परिपत्र 999/2015 दिनांक 28 फरवरी 2015 और इस्पात इंडस्ट्रीज लि. 2015(324) ईएलटी 670 (एससी) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी इसी की पुष्टि करता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्तमान मामले में, निर्धारिती ने एफओआर गतंव्य आधार पर विभिन्न ग्राहको को एसबेस्टोस शीट की निकासी की थी। खरीद आदेशों से यह देखा गया कि जोखिम और परिवहन की लागत की एकमात्र जिम्मेदारी जब तक की वस्तुएं गतंव्य तक नहीं पहुंच जाती निर्धारिती पर रही और वस्तुओं का स्वामित्व विभिन्न गतंव्यों पर वस्तुओं के परिवहन के दौरान निर्धारिती पर रहा। अतः बोर्ड का परिपत्र और शीर्ष न्यायालय निर्णय जिसे मंत्रालय द्वारा उद्धृत किया है, वर्तमान मामले पर लागू नहीं हैं।

(iv) अहमदाबाद-II कमिश्नरी के अन्तर्गत मै. ल्यूबी इंडस्ट्रीज एलएलपी अहमदाबाद ने 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिए अपने परिसर से वस्तुओं की निकासी करने के लिए अपने ग्राहको से माल ढुलाई प्रभार वसूल किया था। तथापि, माल भाड़ा प्रभार पर निर्धारिती द्वारा उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया था।

हालांकि विभाग ने मार्च-जुलाई 2015 के मध्य आंतरिक लेखापरीक्षा की थी, परन्तु यह त्रुटि को नहीं बता सका।



जब हमने यह बताया (दिसंबर 2015) तब विभाग ने (अगस्त 2016) लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और ब्याज तथा बराबर शास्ति सहित ₹ 41.10 लाख के शुल्क की मांग की पुष्टि की।

तथापि, मंत्रालय ने यह कहते (सितंबर 2017) हुए असहमति जताई कि आंतरिक लेखापरीक्षा ने कमियों को पहले ही पहचान लिया था।

उत्तर स्वीकार नहीं है पर विभाग द्वारा एससीएन के साथ-साथ ओआईओ क्योंकि हमारी लेखापरीक्षा के आधार जारी किया गया था।

(v) दमन कमिश्नरी के अन्तर्गत मै. फरमेनिक एरोमेटिक्स (इ) प्रा. लि. भैंसलोर ने वस्तुओं के मूल्य के अतिरिक्त अपने ग्राहको से माल भाड़ा प्रभार को वसूल किया और अपने माल भाड़ा प्रभार को अलग से बिक्री बीजक में वाणिज्य किया जहां क्रेता के परिसर को निकासी का स्थान दर्शाया गया था। अतः क्रेताओं से निर्धारिती द्वारा वसूला गया माल भाड़ा अतिरिक्त प्रतिफल का भाग बन गया और उत्पाद शुल्क के भुगतान हेतु निर्धारण योग्य मूल्य में सम्मिलित किया जाना चाहिए था। निर्धारिती ने 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान अपने क्रेताओं से माल भाड़े प्रभार के रूप में ₹ 4.72 करोड़ की राशि वसूल की जिसे निर्धारण योग्य मूल्य में सम्मिलित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 34.85 लाख के शुल्क का कम भुगतान हुआ जिसे लागू ब्याज सहित वसूले जाने की आवश्यकता थी।

यद्यपि विभाग ने फरवरी 2015 से फरवरी 2016 तक की अवधि के लिए अप्रैल 2016 में आंतरिक लेखापरीक्षा की थी, परन्तु यह कमियों का पता लगाने में असफल रहा।

जब हमने इसे बताया (मार्च 2016) तब मंत्रालय ने यह बताते हुए पैरा से असहमति जताई कि विभाग पहले से ही मुद्दे के बारे में जानता था क्योंकि आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उसका पता लगा लिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हमने 7 मार्च 2016 (एचएम दिनांक 7 मार्च 2016) को अनियमितता को बताया था जबकि 11 मार्च 2016 को आंतरिक लेखापरीक्षा का आरंभ किया गया। हमने मार्च 2015 तक की अवधि के लिए आपत्ति उठायी थी जबकि आंतरिक लेखापरीक्षा ने फरवरी 2015 से फरवरी

2016 की अवधि को कवर किया है। अतः आंतरिक लेखापरीक्षा ने हमारे द्वारा बताए जाने के बाद मुद्दे को उठाया।

(vi) सीईटीए 1985 के अध्याय शीर्ष 39 के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न रंगों के प्लास्टिक क्लोजर्स की वस्तु घटकों के विनिर्माण में लगे हैदराबाद-IV कमिश्नरी के अन्तर्गत मै. अप्तार ब्यूटी एण्ड होम इन्डिया प्रा.लि. हैदराबाद ने 2012-13 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान फैक्ट्री से निकासी के स्थान अर्थात् क्रेता के परिसरों को एफओआर गंतव्य आधार पर विभिन्न ग्राहकों को वस्तुओं की निकासी की थी। वस्तुओं के परिवहन के दौरान वस्तुओं के परिवहन और स्वामित्व का जोखिम निर्धारिती के पास रहा। तथापि परिवहन की लागत पर खर्च (क्रेता से प्राप्त) ₹1.89 करोड़ को उक्त नियम के उल्लंघन में संव्यवहार मूल्य की गणना करते समय शामिल नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹23.37 लाख के शुल्क का कम भुगतान हुआ जिसे निर्धारिती से ब्याज सहित वसूल किया जाना था।

विभाग द्वारा निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा दिसंबर 2014 तक की अवधि के लिए फरवरी 2015 में की गई थी लेकिन यह कमी का पता लगाने में असफल रही।

जब हमने यह बताया (फरवरी 2016) तब मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (सितंबर 2017) और बताया कि 2011-12 से 2016-17 की अवधि के लिए ₹30.15 लाख हेतु एससीएन जारी किया गया था और मांग की पुष्टि की गई थी। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक के लिए मंत्रालय ने बताया कि उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के मूल्यांकन और निकासी का स्थान का विषय विभिन्न प्रकार की व्याख्याओं के लिए खुला है और इसलिए आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्ति नहीं उठा सका।

(vii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ 1985 के अध्याय 39 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के विनिर्माण में लगे अहमदाबाद-II कमिश्नरी के अन्तर्गत मै. पारिख पैकैजिंग प्रा.लि. ने निर्धार्य मूल्य के अलावा ग्राहको को जारी अपने बिक्री चालान में अलग से ₹7.23 करोड़ राशि का माल भाड़ा वसूल किया था। 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान निर्धारिती ने क्रेता के परिसर को निकासी के स्थान के रूप में दर्शाया था। इसलिए, क्रेता से निर्धारिती द्वारा

वसूला गया माल भाड़ा अतिरिक्त प्रतिफल का भाग था और उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए निर्धार्य मूल्य में सम्मिलित किये जाने योग्या था। तथापि, निर्धारिती ने निर्धार्य मूल्य में क्रेताओं से वसूले गये माल भाड़े को शामिल नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹89.31 लाख तक की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ड्यूटी का कम भुगतान हुआ जो ब्याज सहित वसूली योग्य थी।

निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा जनवरी-फरवरी 2014 और मई-जून 2015 में विभाग द्वारा की गई थी लेकिन यह कमी का पता लगाने में असफल रही।

जब हमने इसे बताया (अप्रैल 2016) तब मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (03 जुलाई 2017) और बताया कि ₹ 1.40 करोड़ के लिए एससीएन जारी किया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षा की कमियों के लिए यह बताया गया कि उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के मूल्यांकन और निकासी का स्थान का मुद्दा विभिन्न प्रकार की विवेचनाओं के लिए खुला है। इसलिए आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्ति नहीं उठा सका।

मंत्रालय का उत्तर दोनों उपरोक्त मामलों (vi और vii) में स्वीकार नहीं है क्योंकि मंत्रालय ने आपत्तियों को स्वीकार किया है। इसके अलावा, मंत्रालय का उत्तर यह दर्शाता है कि भिन्न व्याख्याओं के अधीन मामलों पर अस्पष्टता दूर करने के लिए और सभी क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा मामलों का एक समान उपचार सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय संरचनाओं के लिए स्पष्टीकरण वांछित है।

#### **5.5.1.2 संबंधित इकाई को निकासी की गई वस्तुओं के अवमूल्यांकन के कारण शुल्क का कम भुगतान**

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (मुल्यांकन) नियमावली 2000 के नियम 8 और 9 के साथ पठित नियम 10 के अनुसार, जहां उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से किसी परस्पर संबंधित उपक्रम को अथवा उस के माध्यम से निर्धारिती द्वारा बेचा जाता है अथवा बेचा नहीं जाता बल्कि अन्य वस्तुओं के उत्पादन अथवा विनिर्माण में खपत किया जाता है वहां मूल्य

सीएस 4 विवरण के अनुसार तुलना किये गये ऐसे माल के उत्पादन अथवा विनिर्माण की लागत का एक सौ दस प्रतिशत होगा।

(i) चैन्नै-IV कमिश्नरी के अन्तर्गत मै. फौरेशिया ऐमिशंस कन्ट्रोल टेक्नॉलोजी इन्डिया प्रा. लि. ने 2013-14 और 2014-15 वर्षों के दौरान क्रमशः ₹ 110.44 करोड़ और ₹ 130.05 करोड़ की कुल राशि के लिए बेंगलोर और पुणे में अपनी संबंधित इकाईयों को वस्तुओं की निकासी की थी। तथापि, निर्धारिती ने मूल्य पर जिस शुल्क का निर्वहन किया वह बेची गई वस्तुओं की लागत से एक सौ दस प्रतिशत से कम था। निर्धारित संव्यवहार मूल्य को न अपनाने के परिणाम स्वरूप वस्तुओं का अव-मूल्यांकन हुआ और फलस्वरूप शुल्क का कम भुगतान लागू ब्याज सहित वसूली योग्य था।

निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा अक्टूबर 2014 में की गई थी, लेकिन यह कमियों का पता लगाने में असफल रही।

जब हमने यह बताया (दिसंबर 2015) तब विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2016) कि वर्ष 2013-14 के लिए निकासी का कुल मूल्य वास्तव में ₹ 106.82 करोड़ था और निर्धारिती ने तब से विभेदक शुल्क ₹ 31.08 लाख का निर्वहन कर चुका था और वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 14.59 लाख (जून 2016) के ब्याज का भुगतान भी किया था। विभाग ने आगे बताया (मार्च 2017) कि वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारिती ने ₹ 13.26 लाख के ब्याज सहित ₹ 36.33 लाख का भुगतान किया।

मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (जुलाई 2017) और वसूली की पुष्टि की। आंतरिक लेखापरीक्षा असफल रहने के लिए, यह बताया गया कि लेखापरीक्षा नमूना जांच आधार पर किये जाने के कारण मामले का पता नहीं लग सका।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा नियमपुस्तक 2008 का अध्याय-7 विशेष परिस्थितियों में दिशा निर्देशों को निर्दिष्ट करता है जिसमें अन्य बातों के साथ यह भी सम्मिलित है कि सहायक इकाईयों को की गई निकासी अवमूल्यांकन उन्मुख है इसलिए सहायक इकाईयों को की गई सभी निकासियां आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा जांची जानी चाहिए थी।

(ii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 के अध्याय 44 में आने वाले प्लाईवुड आदि के विनिर्माण में लगे सिलीगुडी कमिश्नरी के अन्तर्गत मै. तिरुपति प्लाईवुड इन्डस्ट्रीज के केंद्रीय उत्पाद शुल्क अभिलेखों की संवीक्षा दौरान यह देखा गया कि निर्धारिती ने अपने तैयार माल को अपनी संबंधित पार्टी में. रीगल उद्योग प्रा. लि. को बेचा।

तथापि, संबंधित पार्टी ने जिस कीमत पर अंतिम क्रेता को (संबंधित नहीं था) उक्त माल को बेचा वह कीमत से लगभग 4 प्रतिशत अधिक थी जिस पर माल संबंधित पार्टी को बेचा गया था। अतः निर्धारिती उस मूल्य पर शुल्क भुगतान का दायी था जिस पर माल संबंधित पार्टी द्वारा क्रेताओं को बेचा गया था। तथापि, निर्धारिती ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यनिर्धारण नियमावली के उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उस कीमत पर शुल्क का भुगतान किया था जिस पर संबंधित पार्टी को माल बेचा गया था। इसके परिणामस्वरूप 2012-13 और 2013-14 की अवधि के दौरान अवनिर्धारण के कारण ₹ 7.56 लाख के केंद्रीय उत्पाद शुल्क का कम भुगतान हुआ था।

यद्यपि विभाग ने मार्च 2013 तक की अवधि को कवर करते हुए अक्टूबर 2013 में निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा की थी परन्तु यह चूक का पता लगाने में विफल रहा।

जब हमने इस बारे में बताया (फरवरी 2015), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2017) तथा सूचना दी कि 2011-12 से 2015-16 की अवधि को कवर करते हुए ₹ 17.63 लाख के लिए एससीएन जारी किया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षा विफलता के लिए इसने बताया कि नमूना जांच आधार पर लेखापरीक्षा करने के कारण मामले का पता नहीं चला था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्पादशुल्क लेखापरीक्षा नियमपुस्तक के अध्याय 7 में विशेष परिस्थितियों में दिशानिर्देश निर्दिष्ट किए गए थे जिसमें संबंधित इकाईयां शामिल हैं, क्योंकि सहायक इकाईयों को भेजे गए माल के अवनिर्धारण की संभावना है, अतः सहायक इकाई की सभी निकासियों की आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा जांच की जानी चाहिए।

(iii) राँची-1। (बोकारो) कमिश्नरी के अन्तर्गत मै. संतपुरिया एलॉय (पी) लिमिटेड, गिरीडीह ने 2013-14 की अवधि के दौरान उत्पादन की लागत से कम निर्धारणीय मूल्य पर मै. मोंगिया स्टील लिमिटेड, गिरीडीह (संबंधित पार्टी) को स्पंज लौह (अंतिम उत्पाद) की निकासी की थी। चूंकि माल की निकासी का निर्धारणीय मूल्य उत्पादन लागत से कम था, इसके परिणामस्वरूप ₹ 15.51 लाख तक केंद्रीय उत्पाद शुल्क का कम उदग्रहण हुआ था।

विभाग द्वारा निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा नवम्बर 2015 में की गई थी परन्तु इसमें चूक का पता नहीं चला।

जब हमने इस बारे में बताया (फरवरी 2016), विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2016) तथा सूचना दी (मई 2017) कि 2013-14 से 2015-16 की अवधि के लिए ₹ 1.74 करोड़ की राशि हेतु एससीएन जारी कर दिया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2017)।

### 5.5.1.3 कोयले पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा स्वच्छ ऊर्जा उपकरण का कम भुगतान

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 4(1) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी उत्पाद शुल्क योग्य माल का उत्पादन या विनिर्माण करता है या जो मालगोदाम में ऐसे माल का भंडारण करता है, नियम 8 या किसी अन्य कानून में निर्दिष्ट तरीके से ऐसे माल पर उदग्रहणीय शुल्क का भुगतान करेगा तथा किसी उत्पाद शुल्क योग्य माल को जिस पर कोई शुल्क देय है, किसी स्थान से जहां इनका उत्पादन या विनिर्माण हुआ है या मालगोदाम से शुल्क भुगतान के बिना नहीं हटाया जाएगा, जब तक इसके लिए कोई प्रावधान न हो। तथ्यों के छिपाव या छलकपट/ मिथ्याकथन आदि द्वारा भुगतान न किए गए या कम भुगतान किए गए शुल्क पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 एसी के अन्तर्गत शास्ति लगाई जाएगी।

धनबाद कमिश्नरी के तहत एक निर्धारिती मै. सेल चसनाला, जितपुर तथा तसरा के 2012-13 की अवधि के अभिलेखों (अन्य कोयला धुलाई उत्पादन विवरण, विद्युत परियोजना को सीधा प्रेषण विवरण तथा ईआर-1 विवरणी लेखापरीक्षा) की जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती ने अन्य कोयला उत्पादन 4,54,775 एमटी दर्शाया था तथा 64,082 एमटी कोयला 2012-13 के दौरान तसरा खदानों से सेल की विद्युत परियोजना (बीएसएल, बीएसपी तथा आरएसपी) को सीधे हस्तांतरित किया गया था। आगे की जांच से पता चला कि इस अवधि हेतु ईआर-1 में अन्य कोयले का कुल उत्पादन केवल 4,80,593.33 एमटी लिया गया था। इस प्रकार निर्धारिती ने ईआर -1 विवरणी में अन्य कोयले को 38,263.67 एमटी कोयला (4,54,775 एमटी + 64,082 एमटी - 4,80,593.33 एमटी = 38,263.67 एमटी) तक कम बताया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 75.48 लाख के शुल्क का कम भुगतान हुआ। ब्याज और शास्ति के अतिरिक्त ₹ 19.13 लाख का स्वच्छ ऊर्जा उपकर भी कम लेखांकित कोयले पर उदग्रहणीय था।

यद्यपि विभाग द्वारा मई 2014 में निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी, फिर भी यह चूकों को पता लगाने में विफल रहा।

जब हमने इस बारे में बताया (मार्च 2015), विभाग ने कहा कि निर्धारिती को ₹ 94.61 लाख के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2017)।

#### 5.5.1.4 छूट का अनियमित लाभ उठाने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कम भुगतान

अधिसूचना सं. 1/2011-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 01 मार्च 2011, अधिसूचना सं. 16/2012-सीई दिनांक 17 मार्च 2012 के माध्यम से यथा संशोधित, में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत उदग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से सीईटीए, 1985 के अध्याय उप शीर्षक 22029020 के तहत आने वाले उत्पादन शुल्क योग्य माल से छूट दी गई है जितना कि मूल्यानुसार दो प्रतिशत की दर पर परिकल्पित राशि के आधिक्य में है।

यद्यपि अधिसूचना में निर्दिष्ट कुछ भी उस माल पर लागू नहीं होगा जिसके संबंध में इनपुट पर शुल्क या इनपुट सेवाओं पर कर का क्रेडिट सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के प्रावधानों के तहत लिया गया हो।

मै. वरुण बेवरेज लिमिटेड, भिवाड़ी ने वर्ष 2012-13 के दौरान उपरोक्त छूट अधिसूचना का लाभ उठाते हुए सीईटीएसएच 22029020 के तहत आने वाले फलों के रस आधारित पेयों के हटाव/निकासी पर मूल्यानुसार दो प्रतिशत की दर पर शुल्क का भुगतान किया था। तथापि, निर्धारिती ने उक्त माल के विनिर्माण में उपयोग की गई इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए सेवा कर का सेनवैट क्रेडिट लिया था। अतः निर्धारिती छूट अधिसूचना का लाभ उठाने के लिए हकदार नहीं था तथा उससे निकासियों पर मूल्यानुसार 6.18 प्रतिशत की लागू दर पर शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित था। अतः छूट अधिसूचना का अनियमित रूप से लाभ उठाने के परिणामस्वरूप उपकर सहित ₹ 52.80 लाख के उत्पादशुल्क का कम भुगतान हुआ था।

आंतरिक लेखापरीक्षा मार्च 2014 में की गई थी परन्तु लेखापरीक्षा दल चूक का पता लगाने में विफल रहा।

जब हमने इस बारे में बताया (अगस्त 2015) मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (अप्रैल 2017) तथा बताया कि ₹ 1.28 करोड़ की मांग की पुष्टि हो गई थी। आंतरिक लेखापरीक्षा विफलता के लिए यह बताया गया कि नमूना जांच आधार पर लेखापरीक्षा करने के कारण मामले का पता नहीं चला था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा नियमपुस्तक 2008 के संलग्नक सी (iv) में निर्धारिती द्वारा ली गई छूट की यथार्थता की जांच हेतु विशिष्ट जांच बिंदु निर्धारित थे।

## **5.5.2 सेनवैट क्रेडिट का गलत लाभ उठाना**

### **5.5.2.1 निर्माण सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट का गलत लाभ उठाना**

सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(1) में परिभाषित 'इनपुट सेवा' में निर्माण कार्य ठेका तथा निर्माण सेवाओं के कार्यान्वयन में सेवा भाग सम्मिलित नहीं है जहां तक इनका विशिष्ट सेवा के प्रावधान को छोड़ कर भवन के निर्माण ठेका या सिविल संरचना या उसके भाग के निर्माण या



कार्यान्वयन में उपयोग किया गया है। नियम 14 के तहत सेनवैट क्रेडिट गलत प्राप्त करने या उपयोग पर ब्याज देय है।

चेन्नै- IV कमिश्नरी के तहत मै. फर्स्ट इंजीनियरिंग प्लास्टिक इंडिया प्रा. लिमिटेड (सीईटीएसएच 87082900 के तहत प्लास्टिक मोल्डिंग घटकों के विनिर्माता) ने वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान भवन तथा निर्माण सेवाओं के प्रति भुगतान किए गए सेवा कर पर ₹ 46.42 लाख का सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाया था। चूंकि निर्धारित निर्माण कार्य ठेका सेवाएं प्रदान नहीं करता है, अतः कुल ₹ 46.42 करोड़ की सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाना गलत था तथा लागू ब्याज सहित वसूली योग्य था।

निर्धारित की आन्तरिक लेखापरीक्षा जनवरी 2014 में की गई थी परन्तु यह चूक का पता लगाने में विफल रही।

जब हमने इस बारे में बताया (सितम्बर 2015) मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (मई 2017) तथा बताया कि ₹ 12.75 लाख के ब्याज तथा ₹ 8.94 लाख की शास्ति सहित समस्त राशि की वसूली कर ली गई थी। विभाग ने ₹ 33.16 लाख की वसूली की सूचना दी थी (अगस्त 2016)। आंतरिक लेखापरीक्षा विफलता हेतु यह बताया गया कि मामले का अनजाने में पता नहीं चल सका, हालांकि आंतरिक लेखापरीक्षा में ₹ 4.65 लाख मूल्य की 6 आपत्तियाँ पता चली थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आंतरिक लेखापरीक्षा में 6 आपत्तियाँ पता चली जिसमें ₹ 4.65 लाख की राशि शामिल थी परन्तु ₹ 46.42 लाख मूल्य की आपत्ति छूट गई थी। मंत्रालय को उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

#### 5.5.2.2 सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना तथा उपयोग

सेनवैट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 2(एल) के अनुसार इनपुट सेवा का तात्पर्य अंतिम उत्पादों के विनिर्माण और हटाव स्थल तक अंतिम उत्पादों की निकासी में या उस के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में , (i) आउटपुट सेवा उपलब्ध कराने हेतु आउटपुट सेवा प्रदाता द्वारा उपयोग की जाने वाली या (ii) विनिर्माता द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी सेवा से है और इसमें

अन्य बातों के साथ-साथ विज्ञापन या बिक्री प्रोत्साहन के संबंध में उपयोग की गई सेवा शामिल है।

(i) नागपुर-11 कमिश्नरी में सीईटीए, 1985 के अध्याय 29 तथा 30 के तहत आने वाली दवाईयों के विनिर्माण में लगे मै. जिम लेबोरिटरीज लिमिटेड ने 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान निर्यात आदेशों की खरीद हेतु विदेशी विनिमय में विदेशी कमीशन एजेंटों को कमीशन का भुगतान किया था और अधिसूचना सं. 18/2009-एसटी तथा 42/2012-एसटी के तहत छूट लाभ प्राप्त करने के बाद सेवा प्राप्तकर्ता के रूप में कारोबार सहायक सेवाएं श्रेणी के तहत तदनुसार सेवा कर का भुगतान किया था। उपरोक्त अवधि हेतु फॉर्म इएक्सपी 4 ईआर-1 तथा सेनवैट क्रेडिट अभिलेखों में विवरणियों की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने निर्यात आदेश की अधिप्राप्ति हेतु कमीशन पर भुगतान किए गए सेवा कर के सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाया था और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान हेतु भी उक्त का उपयोग किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.68 करोड़ के सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाया तथा उपयोग किया गया।

निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा मार्च 2015 तक की अवधि को कवर करते हुए की गई थी किन्तु लेखापरीक्षा दल हमारे द्वारा बताई गई चूक का पता लगाने में विफल रहा।

हमने इस बारे में बताया (मार्च 2016)।

(ii) वडोदरा -11 कमिश्नरी के अन्तर्गत मै. स्टाइरोल्यूशन एबीएस (इंडिया) ने इसके मुख्य कार्यालय द्वारा जारी इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) बीजकों के आधार पर इसके कमीशन एजेंटों को भुगतान की गई बिक्री कमीशन राशि में शामिल सेवा कर के संबंध में 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान ₹ 28.38 लाख के सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाया था। बिक्रियों पर कमीशन पर भुगतान किए गए सेवा कर के संबंध में सेनवैट क्रेडिट उपलब्ध नहीं है जब तक कि सेवा में बिक्री प्रोत्साहन शामिल न हो। अतः ₹ 28.38 लाख का सेनवैट क्रेडिट अनियमित था और लागू ब्याज सहित इसकी वसूली करना अपेक्षित था।

विभाग द्वारा सितम्बर 2010, मार्च 2013 तथा दिसम्बर 2014 में निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी। किन्तु यह चूक का पता नहीं लगा सकी।

हमने इस बारे में बताया (मार्च 2015)।

मंत्रालय ने यह कहते हुए अभ्युक्तियों स्वीकार नहीं किया (सितम्बर 2017) कि कमीशन एजेंट की सेवाएं कारबार सहायक सेवा के तहत आती हैं तथा अम्बिका ओवरसीज के मामले में पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय (2011(7) टीएमआई 980) के साथ-साथ बोर्ड परिपत्र 943/2011 ने स्पष्ट किया कि बिक्रियों पर कमीशन के आधार पर सेनवैट क्रेडिट को इनपुट सेवा की परिभाषा के तहत कवर किया गया है। इसके अलावा अधिसूचना सं. 02/2016 दिनांक 3 फरवरी 2016 के माध्यम से यह स्पष्ट करते हुए सेनवैट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 2(1) के साथ व्याख्या जोड़ी गई है कि बिक्री प्रोत्साहन में कमीशन आधार पर शुल्कयोग्य माल की बिक्री के माध्यम से सेवा शामिल है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कैडिला हैल्थकेयर लिमिटेड के समान मामले में (2013(30) एसटीआर 3 (गुज.) गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा कि बिक्री कमीशन पर सेनवैट क्रेडिट स्वीकार्य नहीं है यदि इसमें प्रोत्साहनात्मक कार्यकलाप शामिल न हो। साथ ही, नियम 2(एल) में व्याख्या भी फरवरी 2016 में जोड़ी गई थी, अतः यह पूर्व अवधि पर लागू नहीं था।

#### **5.5.2.3 आईएसडी के अन्तर्गत मुख्य कार्यालय द्वारा संवितरित अचल संपत्ति को किराए पर देने से इनपुट सेवा क्रेडिट के सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना**

सेनवैट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 7 इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) द्वारा क्रेडिट के वितरण के तरीके का प्रावधान करता है जिसके उपनियम (डी) के अनुसार सभी इकाइयों को इनपुट सेवा के रूप में आरोप्य सेवा कर के क्रेडिट को संबंधित अवधि के दौरान सभी इकाइयों के कुल कारबार के यथानुपात ऐसी इकाइयों के कारबार के आधार पर सभी इकाइयों को वितरित किया जाएगा।

दमन कमिशनरी के अन्तर्गत आने वाले मै. फरमेनिक एरोमेटिक्स (इंडिया) प्रा. लिमिटेड ने सितम्बर 2014 से मार्च 2015 तक अचल सम्पत्ति को किराए पर देने हेतु भुगतान किए गए सेवा कर के आईएसडी के रूप में इसके मुख्य कार्यालय द्वारा वितरित ₹ 1.33 करोड़ के सेवा क्रेडिट का लाभ उठाया था। हमने देखा कि निर्धारिती के पास एक अन्य इकाई मै. फरमेनिक एरोमेटिक्स प्रोडक्शन (इंडिया) प्रा. लिमिटेड दाहेज है जो कि एक कर छूट प्राप्त सेज इकाई है। यद्यपि दोनों इकाईयों (दमन के साथ साथ दाहेज इकाई) का समान पंजीकृत मुख्य कार्यालय है, फिर भी मुख्य कार्यालय ने गलत रूप से इसकी उत्पाद शुल्क योग्य इकाई अर्थात् केवल दमन इकाई को ही समस्त सेनवैट क्रेडिट संवितरित किया था। इसके परिणामस्वरूप मुख्य कार्यालय द्वारा वितरित समस्त इनपुट सेवा के सेनवैट क्रेडिट की गलत रूप से लाभ उठाया गया।

विभाग ने फरवरी 2015 से फरवरी 2016 की अवधि हेतु निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा अप्रैल 2016 में की थी किन्तु लेखापरीक्षा दल चूक का पता नहीं लगा सका।

जब हमने इस बारे में बताया (मार्च 2016) मंत्रालय ने यह कहते हुए अभ्युक्ति से असहमति जताई (सितम्बर 2017) कि विभाग को निर्धारिती द्वारा चूक के बारे में पहले से जानकारी थी क्योंकि आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उक्त का पता लगा लिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हमने इस अनियमितता के बारे में 7 मार्च 2016 को (एचएम सं.7 दिनांक 7 मार्च 2016 के माध्यम से) बताया था और आंतरिक लेखापरीक्षा 11 मार्च 2016 को शुरू की गई थी। हमने मार्च 2015 तक की अवधि हेतु टिप्पणी की थी और आंतरिक लेखापरीक्षा में फरवरी 2015 से फरवरी 2016 की अवधि को कवर किया गया था। अतः आंतरिक लेखापरीक्षा ने हमारे द्वारा बताए जाने के बाद मामले को उठाया था।

### 5.5.3 सेनवैट क्रेडिट वापस न करना/कम वापस करना

#### 5.5.3.1 अप्रचलित इनपुट हेतु किए गए प्रावधान पर सेनवैट क्रेडिट वापस न करना

सेनवैट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 3(5) प्रावधान करता है कि किसी इनपुट या पूंजीगत माल के मूल्य को, जिसपर सेनवैट क्रेडिट लिया गया था, इसे उपयोग हेतु रखने से पूर्व पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बट्टे खाते में डाल दिया गया है या जहां लेखा बही में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बट्टे खाते में डालने के लिए कोई प्रावधान किया गया है तब विनिर्माता या सेवा प्रदाता, जैसा भी मामला हो, उक्त इनपुट या पूंजीगत मामले के संबंध में लिए गए सेनवैट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

बडी करदाता इकाई (एलटीयू) बेंगलोर कमिश्नरी के तहत में. वोल्वो इंडिया प्रा. लिमिटेड बेंगलोर टिपर्स, ट्रैक्टरों, ट्रेलरों तथा चैसिस का विनिर्माण करता है। निर्धारिती ने अप्रचलित इनपुटों, जिन पर सेनवैट क्रेडिट लिया गया था, हेतु वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 9.53 करोड़ का प्रावधान किया। हालांकि, निर्धारिती ने इन अप्रचलित इनपुटों पर लिए गए ₹ 1.56 करोड़ का सेनवैट क्रेडिट वापस नहीं किया था।

बडी करदाता इकाई, बेंगलोर की आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई ने सितम्बर-अक्तूबर 2015 में निर्धारिती की लेखापरीक्षा की थी किन्तु यह चूक का पता लगाने में विफल रही।

जब हमने इस बारे में बताया (जनवरी 2016) विभाग ने सूचना दी कि निर्धारिती ने सेनवैट अकाउंट से ₹ 1.56 करोड़ वापस दिये थे।

मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार कर लिया (अप्रैल 2017) किन्तु आंतरिक लेखापरीक्षा की विफलता के लिए इसने बताया कि आंतरिक लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देने से पूर्व हमारी लेखापरीक्षा शुरू हो गई थी तथा चूंकि यह मामला हमारे द्वारा उठाया गया था, अतः दोहरीकरण से बचने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा में उक्त मामला नहीं उठाया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आंतरिक लेखापरीक्षा में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा की तिथियों से पता चला कि आंतरिक लेखापरीक्षा 8 अक्तूबर 2015 को पूरी हो

गई थी जो कि हमारी लेखापरीक्षा से काफी पहले था। अतः मंत्रालय का यह दावा मान्य नहीं है कि आंतरिक लेखापरीक्षा हमारी लेखापरीक्षा के समय तक पूरी नहीं हुई थी।

### 5.5.3.2 बड़े खाते में डाली गई इनपुट सामग्री पर सेनवैट क्रेडिट शुल्क वापस न करना

सेनवैट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 3(5बी) प्रावधान करता है कि यदि किसी इनपुट के मूल्य, जिसपर सेनवैट क्रेडिट लिया गया है, को पूर्ण या आंशिक रूप से बड़े खाते में डाल दिया गया है या जहां लेखा बही में इसे पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बड़े खाते में डालने के लिए कोई प्रावधान किया गया है तब विनिर्माता से उक्त इनपुटों पर लिए गए सेनवैट क्रेडिट को वापस करना अपेक्षित है।

कोल्हापुर कमीशनरी में सीईटीए, 1985 के अध्याय 87 के तहत आने वाले ऑटो पार्ट्स के विनिर्माण में लगे मै. स्पाइसर इंडिया प्रा. लिमिटेड ने वर्ष 2014-15 में ₹ 94.64 लाख तथा वर्ष 2015-16 में ₹ 143.13 लाख मूल्य की इनपुट सामग्री को बड़े खाते में डाल दिया था। तथापि, निर्धारिती ने प्रावधान के अनुसार बड़े खाते में डाली गई उपरोक्त इनपुट सामग्री के प्रति सेनवैट क्रेडिट वापस नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 29.59 लाख का सेनवैट क्रेडिट वापस नहीं किया गया।

निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा 2013-14 से 2015-16 की अवधि के लिए जून 2016 में की गई थी किन्तु लेखापरीक्षा दल चूक के बारे में बताने में विफल रहा।

जब हमने इस बारे में बताया (सितम्बर 2016), तब मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार कर लिया (जून 2017) तथा बताया कि निर्धारिती को ₹ 29.59 लाख के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था और उसने ₹ 11.01 लाख का सेनवैट क्रेडिट वापस कर दिया था और ₹ 2.54 लाख के ब्याज तथा ₹ 1.65 लाख की शास्ति का भुगतान किया था। आंतरिक लेखापरीक्षा की विफलता हेतु यह बताया गया कि लेखापरीक्षा को नमूना जांच आधार पर करने के कारण मामले का पता नहीं चला था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि माल को बड़े खाते में डालने की जानकारी वित्त लेखाओं में उपलब्ध होती है, अतः लेखापरीक्षा दल को सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या बड़े खाते में डाले गए माल पर क्रेडिट वापस किया गया था।

### 5.5.3.3 गलत गणना के कारण सेनवैट क्रेडिट की कम वापसी

सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(3) के अनुसार इनपुट या इनपुट सेवाओं के सेनवैट क्रेडिट प्राप्त करने वाले तथा इनपुट एवं इनपुट सेवाओं का लाभ उठाने, खपत और मालसूची के लिए अलग लेखाओं न रखने वाले शुल्कयोग्य और छूट प्राप्त माल के विनिर्माता या कर योग्य तथा छूट प्राप्त आऊटपुट सेवाओं के प्रदाता छूट प्राप्त माल और सेवाओं के मूल्य के छः प्रतिशत के बराबर राशि या उप नियम (3ए) के तहत निर्धारित छूट प्राप्त माल और सेवाओं पर प्राप्त किए गए क्रेडिट के अनुपात में राशि का भुगतान करेगा। सेनवैट क्रेडिट नियमावली का नियम 6(6) बताता है कि नियम 6 के उप नियम (1) से (4) के प्रावधान निर्यात हेतु निकासियों पर लागू नहीं थे।

(i) कोचीन कमिश्नरी में मै. सिन्थाइट इन्डस्ट्रीज लि. कोलेनचेरी ने शुल्कयोग्य तथा छूट प्राप्त माल का विनिर्माण किया और करयोग्य तथा छूट प्राप्त सेवाएं प्रदान की हैं। निर्धारिती ने नियम 6(3)(ii) के तहत क्रेडिट के आनुपातिक भुगतान का विकल्प चुना था, चूंकि इनपुट तथा इनपुट सेवाओं के लेखाकरण हेतु किसी पृथक लेखा का रख रखाव नहीं किया गया था। तथापि, निर्धारिती ने इनपुट सेवाओं के संबंध में वापसी हेतु आनुपातिक राशि की गणना के लिए निर्यात निकासी के मूल्य पर भी विचार किया था। इसके परिणामस्वरूप 2011-12 से 2012-13 की अवधि के दौरान ₹ 17.26 लाख की कम सेनवैट क्रेडिट राशि लौटाई गई थी।

विभाग द्वारा नवम्बर 2012 तक की अवधि को कवर करते हुए निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी, इसमें चूक का पता नहीं चला था।

जब हमने इस बारे में बताया (जनवरी 2014), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2017) तथा बताया कि 2011-12 से 2014-15 की अवधि हेतु निर्धारिती को ₹ 8.72 करोड़ का कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था। मंत्रालय ने आंतरिक लेखापरीक्षा की विफलता के लिए बताया कि हमारी

लेखापरीक्षा के साथ-साथ की गई आंतरिक लेखापरीक्षा में भी मामले का पता चल गया था और दोनों की टिप्पणियों पर विचार करते हुए कार्रवाई की गई थी, अधिक अवधि को कवर करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को जनवरी 2014 में की गई आंतरिक लेखापरीक्षा में मामले पता चला था किन्तु उक्त का नवम्बर 2012 तक की अवधि को कवर करते हुए पहले की गई आंतरिक लेखापरीक्षा में पता नहीं चला था। हालांकि यह मामला वर्ष 2011-12 से लगातार जारी था।

(ii) विशाखापट्टनम कमिश्नरी में केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के अध्याय 23 के तहत आने वाले मेज स्टार्च पाउडर, मेज ग्लुटेन आदि के विनिर्माण में लगे मै. विजयनगर बायोटेक लि. ने अप्रैल 2012 तथा मार्च 2015 के बीच की अवधि के दौरान शुल्कयोग्य तथा छूट प्राप्त माल दोनों की निकासी की थी। निर्धारिती ने इनपुट तथा इनपुट सेवाओं के लिए अलग लेखे नहीं बनाए थे और सीसीआर 2004 के नियम 6(3) के अनुसार आनुपातिक आधार पर सेनवैट क्रेडिट वापस करने का विकल्प चुना था। यह देखा गया कि सेनवैट क्रेडिट लौटाते समय निर्धारिती ने विशेष माह की समाप्ति पर छूट प्राप्त और शुल्क योग्य टर्न ओवर पर विचार करते हुए ऐसी वापसी की प्रत्येक माह गणना की थी, ओर वर्ष की सामाप्ति पर एसी वापसी राशि का अंतिम रूप से निर्धारण भी नहीं किया गया था।

इसके अलावा, इनपुट सेवाओं के संबंध में वापसी प्राप्त किए गए कुल सेवा कर क्रेडिट के बजाय सामान्य सेवाओं पर लिए गए इनपुट सेवा क्रेडिट पर ही की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.02 लाख के सेनवैट क्रेडिट की कम वापसी हुई जो ₹ 4.46 लाख के ब्याज सहित लौटाना अपेक्षित था।

निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा अप्रैल 2012 से मार्च 2015 की अवधि के लिए की गई थी किन्तु चूक का पता नहीं चला था।

जब हमने इस बारे में बताया (दिसम्बर 2015) मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार की (जुलाई 2017) तथा बताया कि निर्धारिती को ब्याज सहित ₹ 17.04 लाख के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षा



की चूक हेतु इसने बताया कि नियम 6(3ए) के तहत फार्मूले में संदर्भित छूट प्राप्त माल/सेवाओं का मूल्य केवल उन छूट प्राप्त माल/सेवाओं के संदर्भ में होगा जिसके संदर्भ में सेनवैट क्रेडिट सामान्य इनपुटों/इनपुट सेवाओं के लिए लिया गया है। उन छूट प्राप्त माल/छूट प्राप्त सेवाओं जिनके संबंध में कोई क्रेडिट नहीं लिया गया है, ऐसे सामान्य इनपुटों/इनपुट सेवाओं के संबंध में भी, को फॉर्मूला में शामिल नहीं किया जाएगा। उपरोक्त के मद्देनजर आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया कदम सेनवैट क्रेडिट नियमावली के नियम 6 के उद्देश्य के अनुरूप है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मौजूदा मामले में निर्धारिती ने शुल्कयोग्य तथा छूट प्राप्त माल में उपयोग की गई सामान्य इनपुट सेवा पर लिए गए इनपुट सेवा क्रेडिट को ही लौटाया था और अन्य सेवाओं पर लिए गए क्रेडिट को छोड़ दिया था। मंत्रालय का उत्तर टिप्पणी से संबधित नहीं है क्योंकि यह छूट प्राप्त सेवा को छोड़ने का मामला नहीं था जिस पर कोई क्रेडिट नहीं लिया गया था जैसा कि मंत्रालय ने तर्क दिया था।

## 5.6 विविध मामले

हमने विभाग द्वारा प्रक्रिया/नियंत्रण तंत्र के अननुपालन के पाँच मामले भी देखे जिन्हें नीचे दर्शाया गया है-

### 5.6.1 शुल्क के कम भुगतान की वसूली हेतु विभाग की निष्क्रियता

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो किसी उत्पादशुल्क योग्य माल का उत्पादन या विनिर्माण करता है या जो भंडारागार में ऐसे माल का भंडारण करता है नियम 8 या किसी अन्य कानून में दिए गए तरीके से ऐसे माल पर उदग्रहणीय शुल्क का भुगतान करेगा तथा किसी उत्पादशुल्क योग्य माल को, जिस पर कोई शुल्क देय है, किसी स्थान, जहां इनका उत्पादन या विनिर्माण हुआ है या भंडारागार, से शुल्क भुगतान के बिना हटाया नहीं जाएगा।

सिलवासा कमिश्नरी के तहत आने वाले मै. नीलगिरी हर्बल्स तथा एग्रो इन्डस्ट्रीज प्रा. लि. द्वारा जुलाई-सितम्बर 2014 की तिमाही हेतु फाइल की गई ईआर-3 रिटर्न की संवीक्षा के दौरान यह पता चला कि निर्धारिती ने

₹16.92 लाख के देय शुल्क के प्रति सेनवैट क्रेडिट अकाउंट में डेबिट के माध्यम से केवल ₹ 2.88 लाख का भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹14.55 लाख का कम भुगतान हुआ जो ब्याज सहित वसूली योग्य था। विभाग ने कम भुगतान किए गए शुल्क की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी जब तक कि लेखापरीक्षा द्वारा उक्त के बारे में नहीं बताया गया।

जब हमने इस बारे में बताया (मई 2015), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2017) तथा सूचना दी कि निर्धारिती ने ₹ 1.35 लाख के ब्याज तथा ₹ 1.16 लाख की शास्ति सहित ₹ 14.55 लाख का भुगतान कर दिया है इसने आगे बताया कि संवीक्षा हेतु बड़ी संख्या में रिटर्नों के कारण कार्रवाई नहीं की जा सकी थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि समय पर कार्रवाई न करने से मामला काल बाधित हो सकता था तथा परिणामस्वरूप राजस्व की हानि होती।

#### 5.6.2 कारण बताओ नोटिस में कम मांग उठाना

सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 14 के प्रावधानों के अनुसार जहां सेनवैट क्रेडिट गलत रूप से लिया गया या उपयोग किया गया है या त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिदाय किया गया है, वहां उक्त की आऊटपुट सेवा के विनिर्माता या प्रदाता से ब्याज सहित वसूली की जाएगी तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11ए तथा 11 एबी तथा वित्त अधिनियम 1994 की धारा 73 तथा 75 के प्रावधान ऐसी वसूलियों को प्रभावी करने के लिए यथोचित परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(i) कोल्हापुर कमिश्नरी में मै. रायटर इंडिया प्रा. लि., केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के अध्याय 84 के तहत आने वाले उत्पाद शुल्क योग्य माल के विनिर्माण में लगा है। विभाग ने हमारी आपत्ति के आधार पर नवम्बर 2012 से अप्रैल 2014 तथा मई 2014 से जनवरी 2015 की अवधि के लिए सेनवैट क्रेडिट की गलत प्राप्ति को अननुमत करने हेतु निर्धारिती को दो कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। विभाग ने ओआईओ दिनांक 10 मार्च 2016 के माध्यम से इन एससीएन का अधिनिर्णय किया था तथा ₹ 1.41 करोड़ की मांग की पुष्टि की। निर्धारिती ने उक्त को स्वीकार

किया तथा लौटा दिया। तथापि, 2013-14 से 2015-16 की अवधि हेतु इन एससीएन, ओआईओ तथा सेनवैट क्रेडिट रजिस्टर की संवीक्षा से पता चला कि कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए सेनवैट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति की कुल राशि की गणना करते समय विभाग ने अगस्त 2014 के माह के दौरान निर्धारिती द्वारा अनियमित रूप से लाभ उठाए गए ₹ 27.15 लाख के सेनवैट क्रेडिट की राशि पर विचार नहीं किया था। तथापि, निर्धारिती द्वारा उक्त क्रेडिट उनके सेनवैट क्रेडिट अकाउंट से लौटाया गया था और न ही विभाग ने मई 2014 से जनवरी 2015 की अवधि हेतु एससीएन में ₹ 27.15 लाख की मांग उठाते समय निर्धारिती द्वारा उपलब्ध कराए गए बीजकों के ब्योरों की जांच की थी।

जब हमने इस बारे में बताया (अगस्त 2016) मंत्रालय ने पैरा को आंशिक रूप से स्वीकार किया (सितम्बर 2017) तथा बताया कि निर्धारिती ने ₹ 4.03 लाख की शास्ति सहित ₹ 27.15 लाख का क्रेडिट वापस कर दिया था। मंत्रालय ने आगे बताया कि निर्धारिती ने विभाग को अधूरी सूचना दी थी जिसे एससीएन तैयार करते समय आधार के रूप में लिया गया था तथा सही सूचना प्रस्तुत करना निर्धारिती की जिम्मेदारी थी।

(ii) 2013-14 से 2015-16 की अवधि के लिए सेनवैट क्रेडिट रजिस्टर की आगे की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने विभाग द्वारा एससीएन जारी किए जाने के बाद भी फरवरी 2015 तथा मार्च 2015 माह में ₹ 23.17 लाख की आईटी सेवाओं पर अपात्र सेनवैट क्रेडिट भी गलत रूप से लिया था। इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि विभाग मई 2014 से जनवरी 2015 की अवधि के लिए एससीएन जारी करते समय उक्त अवधि हेतु निर्धारिती द्वारा लाभ उठाए गए अपात्र सेनवैट क्रेडिट की राशि को शामिल करने में विफल रहा जबकि एससीएन मई 2015 में जारी किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 23.17 लाख के अपात्र सेनवैट क्रेडिट की वापसी हेतु एससीएन में कम मांग उठाई गई।

जब हमने इस बारे में बताया (अगस्त 2016) मंत्रालय ने पैरा को आंशिक रूप से स्वीकार किया (सितम्बर 2017) तथा बताया कि निर्धारिती ने ₹ 3.47 लाख की शास्ति सहित ₹ 23.17 लाख का क्रेडिट वापस कर दिया था।

मंत्रालय ने फिर बताया कि निर्धारिती ने विभाग को अधूरी सूचना दी थी जिसे एससीएन तैयार करने के लिए आधार के रूप में लिया गया था और सही सूचना प्रस्तुत करना निर्धारिती की जिम्मेदारी थी।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि एससीएन तैयार करते समय तथा अधिनिर्णय के समय निर्धारिती द्वारा दी गई सूचना की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

### 5.6.3 काल बुक मामलों की अप्रभावी समीक्षा

सीबीईसी का दिनांक 14 दिसम्बर 1995 का परिपत्र संख्या 162/73/95-सीएक्स निर्धारित करता है कि केवल निम्नलिखित वर्गों के मामलों को कॉल बुक में हस्तांतरित किया जा सकता है:-

- (i) वह मामले जिनमें विभाग ने उपयुक्त प्राधिकरण को अपील की थी;
- (ii) वह मामले जहां सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/सीईजीएटी आदि द्वारा आदेश दिया गया था;
- (iii) वह मामले जहां लेखापरीक्षा आपत्तियों पर असहमति हो; तथा
- (iv) वह मामले जहां बोर्ड ने विशेष रूप से इसे लम्बित रखने और कॉल बुक में प्रविष्ट करने का आदेश दिया था।

लम्बित कॉल बुक मदों की आवधिक समीक्षा की हेतु कमिश्नरियों को निर्देश जारी किए गए थे।

बड़ी करदाता इकाई बेंगलोर में कॉल बुक में लम्बित एससीएन की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 9.06 करोड़ की कुल मांग वाले 25 एससीएन कॉल बुक में लम्बित थे यद्यपि ये मामले बोर्ड के निर्देशों के अनुसार अधिनिर्णयन के योग्य थे। चूंकि ये मामलें अब कॉल बुक में रखने के लिए मान्य नहीं थे अतः विभाग को इन मामलों को कॉल बुक से हटाना चाहिए तथा अधिनिर्णीत करना चाहिए था।

कॉल बुक में एससीएन को गलत रोक कर रखने के फलस्वरूप केवल वसूली योग्य राजस्व ही अवरूद्ध नहीं हुआ अपितु इसने आयुक्तालयों द्वारा किए गए

कॉलबुक मामलों की अप्रभावी आवधिक समीक्षा तथा उच्च प्राधिकारियों द्वारा खराब निगरानी को भी दर्शाया।

जब हमने इस विषय में बताया (मई 2015) तो विभाग ने कॉल बुक से मामले निकाल लिये तथा मार्च 2016 से जुलाई 2016 के दौरान 23 एससीएन अधिनिर्णीत किये जहां तीन एससीएन (₹ 25.76 लाख वाले) में मांग की आंशिक रूप से पुष्टि की गई थी तथा एकल निर्धारिती से संबंधित 20 एससीएन (₹ 5.32 करोड़ सहित) बन्द कर दिए गए थे। शेष दो एससीएन (₹ 3.49 करोड़ वाले) अधिनिर्णय के अन्तर्गत थे (जनवरी 2017)।

मंत्रालय ने यह कहते हुए आपत्ति का विरोध किया (अप्रैल 2017) कि 25 एससीएन में से 24 एससीएन में, विभाग की अपील को अस्वीकृत किया गया तथा एक मामले में, विभाग द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं की गई थी। इस प्रकार कॉल बुक से मामले निकालने में विलम्ब के परिणामस्वरूप राजस्व का अवरोधन नहीं हुआ था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया मुद्दा केवल अधिनिर्णयन में विलम्ब के कारण राजस्व के अवरोधन का ही नहीं है अपितु अधिनिर्णयन के लिए समय पर कॉल बुक से मामले लेने में विभाग की विफलता का है। चाहे मामले का निर्णय राजस्व के पक्ष में हो या अन्यथा नहीं इसे अधिनिर्णयन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर ही जाना जाता है। जहां किसी मामले का निर्णय विभाग के पक्ष में हो इसे समय पर अधिनिर्णयन न करने के परिणामस्वरूप राजस्व का अवरोधन होगा। इसके अतिरिक्त, पर्याप्त कारण के बिना कॉल बुक में एससीएन को रखना एक नियंत्रण चूक है।

#### **5.6.4 समय बाधित होने वाली मांग के कारण राजस्व हानि**

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए में प्रावधान है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी सुसंगत तिथि से एक वर्ष के अन्दर उस शुल्क को प्रभार्य व्यक्ति को नोटिस देगा जो उदग्रहीत नहीं हुआ अथवा भुगतान नहीं किया गया या जिसका कम उदग्रहण किया गया या कम भुगतान किया गया अथवा जिसका गलती से प्रतिदाय किया गया है। शुल्क को प्रभार्य किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से जहां किसी उत्पाद शुल्क का उदग्रहण अथवा भुगतान नहीं किया गया है या कम उदग्रहण या कम

भुगतान किया गया है या गलती से धोखे अथवा मिली भगत के कारण से अथवा किसी स्वैच्छिक गलत विवरण या गलत कथन या तथ्यों के छिपाव या इस अधिनियम के किसी प्रावधान या उसके अन्तर्गत बनाए गए किसी नियमों का उल्लंघन किया गया है, वहां केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी सुसंगत तिथि से पांच वर्षों के अन्दर नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान क्यों न किया जाये, की अपेक्षा कर ऐसे व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा।

वर्ष 2014-15 से 2015-16 के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नरी चंडीगढ़-11 के कार्यालय में अधिनिर्णय से संबंधित फाइलों की नमूना जांच के दौरान, यह देखा गया कि मै. पंजाब ट्रैक्टर लि. (एससीडी), गांव छप्परछेरी, तहसील खरड़, जिला रोपड़ को ₹ 25.40 लाख की शुल्क राशि की मांग करने वाला एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। एससीएन की संवीक्षा से पता चला कि इसी विषय पर अप्रैल 2001 से नवम्बर 2001 तक की समयावधि के लिए ₹ 9.10 लाख के शुल्क की मांग करने वाला एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 27 मार्च 2002 को पहले ही जारी किया गया था। निर्धारिती को उक्त वर्णित अवधि के लिए सही आंकड़ों की आपूर्ति करने को कहा गया तथा निर्धारिती ने संशोधित आंकड़े प्रदान किये (अक्टूबर 2002) जहां मूल्य ₹ 30.22 लाख की बजाय ₹ 1.89 करोड़ था। निर्धारिती ने विभेदक मूल्य पर संशोधित एससीएन जारी करने के लिए अनुरोध भी किया (जनवरी 2003)।

तथापि विभाग समय पर कार्रवाई करने में विफल हुआ और पांच वर्षों के अन्तराल के पश्चात अगस्त 2007 में ₹ 25.40 लाख के शुल्क की मांग करने के लिए एससीएन जारी किया जो उक्त नियम में दिए अनुसार समय सीमा के बाहर था। निर्धारिती ने दिनांक 04 दिसम्बर 2015 को यह कहते हुए उत्तर दिया कि अप्रैल 2001 से नवम्बर 2001 तक की समयावधि के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क की मांग करने वाले एससीएन सीमांकन से बाधित हुआ था। मांग को दिनांक 15 फरवरी 2016 को मूल आदेश द्वारा अधिनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा इस आधार पर समाप्त कर दिया गया कि शुल्क की विभेदक राशि की मांग इसकी नियत तिथि से पांच वर्षों की अवधि के बाद जारी की गई थी जिसे मार्च 2002 में पूर्व में जारी एससीएन के शुद्धिपत्र के रूप में नहीं लिया जा सकता। इस प्रकार विभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब से

कार्रवाई के परिणामस्वरूप ₹ 25.40 लाख के सरकारी राजस्व की हानि हुई। यदि विभाग ने तत्कालीन व्यवस्था के अनुसार समय सीमा के अन्दर अन्य एससीएन जारी किया होता तो सरकारी राजकोष की ₹ 25.40 लाख की हानि को रोका जा सकता था।

यह विभागीय अधिकारी की ओर से लापरवाही का मामला है जो दोषी अधिकारी के प्रति कार्रवाई की मांग करता है।

जब हमने इसे बताया (अप्रैल 2016) तो मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (जून 2017) तथा बताया कि ₹ 25.40 लाख के लिए निर्धारिती को एससीएन जारी किया गया था। विभागीय अधिकारी की लापरवाही के संबंध में, मंत्रालय ने बताया कि दोषी अधिकारी के प्रति कार्रवाई की जा रही थी। तथापि, यह समझ में नहीं आता कि फिर से एससीएन कैसे जारी किया जा सकता है जबकि मामला अधिनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पहले ही समय बाधित घोषित किया जा चुका था।

नई दिल्ली

दिनांक: 27 नवम्बर 2017

SJ WI 4144  
(द्वारका प्रसाद यादव)

प्रधान निदेशक (माल एवं सेवा कर-II)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 27 नवम्बर 2017

राजीव महर्षि  
(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक






---

# परिशिष्ट

---



**परिशिष्ट I**  
**सीबीईसी की संगठनात्मक संरचना**  
**(संदर्भ पैराग्राफ 1.3)**



**परिशिष्ट II**

**(अध्याय IV में संदर्भित आपत्तियों की सूची)**

**(संदर्भ: पैराग्राफ 4.2 तथा 4.3)**

(₹ लाख में)

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्तिगत राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	कमिश्नरी
<b>शुल्क का भुगतान न किया जाना/कम किया जाना</b>						
1	18बी	कम पाई गई वस्तुओं पर शुल्क से बचना	22.42	22.42	22.42	जमशेदपुर
2	24डी	केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान न करना	31.92	31.92		शिलांग
3	3ए	सहायक इकाई को निकासित वस्तुओं पर शुल्क का कम भुगतान	28.43	28.43	28.43	कोल्हापुर
4	6बी	सहायक इकाई को निकासित वस्तुओं पर शुल्क का कम भुगतान	15.49	15.49	15.49	कोल्हापुर
5	30डी	वस्तुओं के अवमूल्यांकन के कारण शुल्क का कम भुगतान	29.41	29.41	29.41	जयपुर
6	41डी	केंद्रीय उत्पाद शुल्क का कम भुगतान	18.72	18.72		कोलकाता-II
7	53डी	ब्याज तथा शास्ति सहित केंद्रीय उत्पाद शुल्क का कम भुगतान	16.44	16.44	16.44	फरीदाबाद-I
8	59डी	लाईट डीजल ऑयल पर शुल्क का कम भुगतान	30.50	30.50	30.50	कोचीन
9	61डी	शुल्क का कम भुगतान	22.37	22.37	22.37	जयपुर
<b>सेनवैट क्रेडिट का गलत लाभ/उपयोग</b>						
10	2ए	सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ	15.32	15.32	15.32	गोवा
11	11ए	पूंजीगत वस्तुओं पर सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ	24.06	24.06	24.06	अहमदाबाद-II

2017 का प्रतिवेदन सं. 42 (अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्तिगत राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	कमिश्नरी
12	1बी	सेनवैट क्रेडिट का अधिक/दोबारा लाभ	19.99	19.99	19.99	पुणे-॥
13	2बी	सेनवैट क्रेडिट वापस न करना	31.64	31.64	0.69	बेलापुर
14	3बी	सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ	22.65	22.65	22.65	बैंगलूरु-V
15	4बी	आनुपातिक सेनवैट क्रेडिट की कम वापसी	15.47	15.47	15.47	पुणे-॥
16	5बी	बट्टे खाते मे डाले गए इनपुट पर सेनवैट क्रेडिट वापस न करना	22.43	22.43	22.43	कोल्हापुर
17	8बी	सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ	16.93	16.93	16.93	कोल्हापुर
18	9बी	आनुपातिक सेनवैट क्रेडिट वापस न करना	67.31	67.31	67.31	मुम्बई एलटीयू
19	10बी	सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ	16.81	16.81	16.81	पुणे-॥
20	11बी	सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ	18.57	18.57	18.57	गोवा
21	12बी	इनपुट/इनपुट सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट का गलत लाभ	27.39	27.39		रायपुर
22	13बी	इनपुट/इनपुट सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट का गलत लाभ	18.36	18.36		रायपुर
23	14बी	अप्रचलित मानी गई पूंजीगत वस्तुओं पर सेनवैट क्रेडिट का गलत लाभ	18.71	18.71	18.71	वैंगलूरु-V
24	15बी	सेनवैट क्रेडिट नियमावली के अन्तर्गत राशि का भुगतान न किया जाना	74.12	74.12		उदयपुर
25	19बी	शुल्क के भुगतान हेतु सेनवैट क्रेडिट का गलत प्रयोग	48.13	48.13		दमन

2017 का प्रतिवेदन सं. 42 (अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्तिगत राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	कमिश्नरी
26	1डी	रिवर्स चार्ज तंत्र के अन्तर्गत सेवाकर के भुगतान के लिए सेनवैट क्रेडिट का गलत प्रयोग	24.39	24.39	24.39	त्रिवेन्द्रम
27	9डी	अन्य इकाइयों से संबंधित सेवा कर के सेनवैट क्रेडिट का गलत लाभ	72.11	72.11		फरीदाबाद-1
28	12डी	अपात्र सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट का गलत लाभ	16.25	16.25	16.25	चैन्नई-1
29	49डी	सामान्य इनपुट सेवा के अनियमित वितरण के कारण सेनवैट क्रेडिट का अधिक लाभ	16.18	16.18		चेन्नई एलटीयू
30	60डी	सेनवैट क्रेडिट का गलत लाभ	18.86	18.86	18.86	अलवर
31	74डी	सेनवैट क्रेडिट का गलत लाभ	77.24	77.24	9.95	रायपुर-1
		कम धन मूल्य की आपत्तियां जो विभाग द्वारा स्वीकार की गईं और सुधारात्मक कार्रवाई की गईं लेकिन मसौदा लेखापरीक्षा पैराग्राफों में परिवर्तित नहीं की गईं।	1855.65	1855.65	1455.04	
		<b>कुल</b>	<b>2754.27</b>	<b>2754.27</b>	<b>1948.49</b>	

परिशिष्ट III

(अध्याय V में संदर्भित आपत्तियों की सूची)

(संदर्भ: पैराग्राफ 5.3 तथा 5.5)

(₹ लाख में)

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्तिगत राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	कमिश्नरी
<b>आन्तरिक लेखापरीक्षा न किया जाना</b>						
1	18डी	केंद्रीय उत्पाद शुल्क का कम भुगतान	19.17	19.17		सिलीगुड़ी
2	51डी	कम मूल्यांकन के कारण केंद्रीय उत्पाद शुल्क का कम भुगतान	40.69	40.69		सिलीगुड़ी
3	3डी	सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ	15.97	15.97	15.97	गोवा
4	76डी	समय सीमा के परे इनपुट सेवाओं के सेनवैट क्रेडिट का गलत लाभ लेना	91.68			बिलासपुर
<b>आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा नहीं खोजी गई त्रुटियां</b>						
5	19डी	विभेदक शुल्क का भुगतान न किया जाना	19.17	19.17		बोलपुर
6	5डी	वस्तुओं के अल्प मूल्यांकन के कारण शुल्क का कम भुगतान किया जाना	125.54	125.54		जयपुर
7	56डी	निर्धारण मूल्य में माल-भाड़ा प्रभार शामिल न किए जाने के कारण केंद्रीय उत्पाद शुल्क का कम भुगतान	17.88	17.88		हैदराबाद-II और हैदराबाद-III
8	67डी	अल्पमूल्यांकन के कारण कम भुगतान	31.85	31.85		बोलपुर
9	14डी	लेनदेन मूल्य में यंत्रों के ऋणमुक्ति मूल्य शामिल न किए जाने के कारण शुल्क का कम भुगतान	26.46	26.46	26.46	चेन्नई-IV

2017 का प्रतिवेदन सं. 42 (अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्तिगत राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	कमिश्नरी
10	4डी	सेनवैट क्रेडिट का गलत लाभ	20.91	20.91	20.91	कोल्हापुर
11	7डी	निर्माण सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट का गलत लाभ	28.41	28.41		विशाखापट्टनम
12	15डी	अवसंरचना सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट का गलत लाभ	19.77	19.77	19.77	दुर्गापुर
13	34डी	सेनवैट क्रेडिट का गलत लाभ	118.90	118.90		अलवर
14	45डी	सेनवैट क्रेडिट का गलत लाभ	679.23	679.23		हल्दिया
15	85डी	सेनवैट क्रेडिट का गलत लाभ	22.62	22.62		फरीदाबाद-I
16	70डी	सेनवैट क्रेडिट का अपात्र लाभ और उपयोग	16.47	16.47		कालीकट
17	55डी	बट्टे खाते में डाले गये इनपुट के मूल्य के लिए सेनवैट क्रेडिट वापस न करना	45.40	45.40	45.40	कोचीन
18	58डी	सेनवैट क्रेडिट वापस न करना	58.22	58.22		दमन
19	79डी	सेनवैट क्रेडिट वापस/भुगतान न करना	26.11	26.11		वडोदरा-I
20	64डी	सेनवैट क्रेडिट का अधिक लाभ	159.87	159.87		अहमदाबाद-III
21	66डी	सेनवैट क्रेडिट का गलत लाभ	49.24	49.24		कच्छ
22	68डी	सेनवैट क्रेडिट का अधिक लाभ	79.02	79.02		अहमदाबाद-III
23	69डी	आधार सीमा शुल्क पर दिए गए उपकर के क्रेडिट का अपात्र लाभ	45.12	45.12		कालीकट



2017 का प्रतिवेदन सं. 42 (अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्तिगत राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	कमिश्नरी
24	75डी	फैक्टरी की स्थापना के लिए अपात्र इनपुट सेवा पर प्राप्त क्रेडिट	25.15	25.15		रायपुर
25	77डी	वस्तुओं के व्यापार के संबंध में सेनवैट क्रेडिट वापस न करना	24.98	24.98		वडोदरा-॥
26	82डी	सेनवैट क्रेडिट वापस न करना	17.79	17.79		रायपुर
		<b>कुल</b>	<b>1825.62</b>	<b>1733.94</b>	<b>128.51</b>	

## शब्दावली

एसी	सहायक आयुक्त
एसीईएस	केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर का स्वचालन
एटीएन	की गई कार्रवाई टिप्पणी
बीई	बजट प्राक्कलन
बीएफ	ब्लास्ट फर्नेस
बोर्ड	केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
सीएएपी	कम्प्यूटर समर्थित लेखापरीक्षा कार्यक्रम
सीएएटी	कम्प्यूटर समर्थित लेखापरीक्षा तकनीक
सीएजी	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सीएएस	लागत लेखांकन मानक
सीबीडीटी	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीबीईसी	केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
सीसी	मुख्य आयुक्त
सीसीई	केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त
सीसीआर	सेनवैट क्रेडिट नियम
सीडीआर	कमिश्नरी डिवीजन एवं रेंज
सीई/सीएक्स	केंद्रीय उत्पाद शुल्क
सीईएएम	केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा नियम पुस्तक

सेनवैट	केंद्रीय मूल्य संवर्धित कर
सीईआरए	केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा
सीईएसटीएटी	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण
सीईटीए	केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय
सीपीडब्ल्यूडी	केंद्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग
डीसी	उपायुक्त
डीजी	महानिदेशक
डीजीसीईआई	महानिदेशक केंद्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना
डीएनपी	डाटा प्रदान नहीं किया गया
डीओआर	राजस्व विभाग
डीपीसी	कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें
डीआरआई	राजस्व आसूचना निदेशालय
डीआरटी	ऋण वसूली अधिकरण
डीटीए	घरेलू टैरिफ क्षेत्र
ईए 2000	उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा 2000
ईसी	शिक्षा उपकर
ईएलटी	उत्पाद शुल्क लॉ टाइम्स

ईओयू	निर्यातोन्मुख इकाई
ईआर	उत्पाद शुल्क विवरणी
एफआईयू	वित्त आसूचना यूनिट
एफवाई	वित्त वर्ष
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीएसटी	माल एवं सेवा कर
एच एम	हाफ मार्जिन
आईएसडी	इनपुट सेवा वितरक
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
जेसी	संयुक्त आयुक्त
एलटीयू	बड़ी करदाता इकाई
एमसीएम	निगरानी समिति बैठक
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमटीआर	मासिक तकनीकी रिपोर्ट
ओआईए	अपीलीय आदेश
ओआईओ	मूल आदेश
ओएम	कार्यालय जापन

पीडी	प्रधान निदेशक
पीएलए	व्यक्तिगत खाता लेखा
आरएडंसी	समीक्षा और संशोधन
आरई	संशोधित प्राक्कलन
एससीएन	कारण बताओ नोटिस
एसएचईसी	माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर
एस एस आई	लघु उद्योग
एसटी	सेवा कर
एसटीटीजी	माल के परिवहन के लिए सेवा कर प्रमाण पत्र
टीएआर	कर बकाया रिपोर्ट/वसूली

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)